



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे 2018-19 खण्ड-I



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन

वित लेखे

खण्ड-I

2018-19

छत्तीसगढ़ शासन

विषय—सूची

विषय	पृष्ठ
खण्ड—I	
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	iii-vii
वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	ix-xvi
1. वित्तीय स्थिति का विवरण	2–3
2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण	4–6
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	7–12
3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण	13–16
4. समेकित निधि में व्यय का विवरण	17–20
कार्यात्मक व्यय	21–23
व्यय का स्वरूप	21–23
5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	24–30
6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण	31–34
7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण	35–41
8. वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार	42–44
9. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	45
10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण	46–48
11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	49
12. वर्ष 2018–19 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण	50–57
13. समेकित निधि, आक्रिमिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	58–61
लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ	62–75
अनुलग्नक— (क) आवधिक/अन्य समायोजनों का विवरण	76–77
(ख) (i) पूंजीगत अनुभाग के दर्ज सहायता अनुदान का विवरण	78
(ख) (ii) पूंजीगत अनुभाग में दर्ज कार्यालय व्यय का विवरण	79
(ख) (iii) पूंजीगत अनुभाग में दर्ज व्यवसायिक सेवा का विवरण	80
(ख) (iv) पूंजीगत अनुभाग में दर्ज अनुरक्षण कार्य का विवरण	81
(ग) लघुशीर्ष-800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज व्यय का मुख्य शीर्षवार विवरण	82
(घ) लघुशीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्य शीर्षवार विवरण	83–84
(ङ) व्यक्तिगत निक्षेप खाते का विवरण	85
(च) ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण	86–88
(छ) मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष का विवरण	89

विषय-सूची		
विषय		पृष्ठ
खण्ड-II		
भाग-I		
14.	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	92—138
15.	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण	139—198
16.	पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	199—375
17.	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	376—390
18.	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण	391—435
19.	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	436—465
20.	सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण	466—473
21.	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संबंधहारों का विस्तृत विवरण	474—486
22.	उदिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण	487—491
भाग-II—परिशिष्ट		
I	मुख्यशीर्ष वार वेतन पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	494—508
II	आर्थिक सहायता पर व्यय का तुलनात्मक विवरण	509—516
III	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान/सहायता (संस्थावार तथा योजनावार)	517—569
IV	बाह्य सहायित परियोजनाएं की जानकारी	570—571
V	योजनाओं में व्यय	572—593
(क)	केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं केन्द्रीय योजना)	
(ख)	राज्य योजनाएं	594—598
VI	भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियों) (अलेखापरीक्षित आंकड़े)	599—608
VII	विवरण क्रमांक 18 एवं 21 में दर्शाए गए अन्तर्शेषों का मिलान एवं स्वीकरण	609—610
VIII	(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	611
	(ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम	612
IX	राज्य शासन की प्रतिबद्धता—अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची	613—641
X	अनुरक्षण व्यय का वेतन एवं गैर वेतन भाग का विवरण	642—659
XI	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नवीन योजनाओं	660—665
XII	शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों का विवरण	666—669
XIII	राज्यों के पुनर्गठन—राज्यों के मध्य शेषों के प्रभाजन नहीं किये गए मदों का विवरण	670

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे समाहित है, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, खंड—I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के साथ पठित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों (8, 9, 17 (ख) (i), 17 (ग) (i), 19 एवं 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरण क्रमांक 14, 15 तथा 16 के नीचे) और परिशिष्टों (VIII, IX, XI तथा XII) को छत्तीसगढ़ सरकार/निगमों/कम्पनियों/समितियों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ—साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थायें हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी समिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि “लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ” के साथ पठित वित्त लेखे 2018–19 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार पर हमारे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

ध्यानाकर्षण हेतु मामले

मैं निम्नलिखित मामलों पर ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा –

1. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (सी.एच.बी.) द्वारा शासकीय कर्मचारियों हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में 6,424 आवासीय भवनों का निर्माण तथा 728 फ्लैट के क्रय हेतु केनरा बैंक से ₹ 401.64 करोड़ एवं इलाहाबाद बैंक से ₹ 195 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया। इस ऋण के मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान का दायित्व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिया गया। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी.एच.सी.एल.) द्वारा पुलिस कर्मचारियों हेतु 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु इलाहाबाद बैंक से ₹ 143.76 करोड़ एवं केनरा बैंक से ₹ 60.95 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया।

इस प्रकार, ऋण का दायित्व पूर्णरूप से छत्तीसगढ़ शासन में निहित था न कि सी.एच.बी. तथा सी.पी.एच.सी.एल. पर, यद्यपि यह दायित्व छत्तीसगढ़ शासन के लेखों में परिलक्षित नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ शासन के दायित्व में ₹ 801.35 करोड़ की कमी परिलक्षित हुई।

2. वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के स्वचालित संग्रहण के प्रारंभ होने से लेखापरीक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सभी लेनदेनों की नमूना जांच के स्थान पर व्यापक जांच की ओर बढ़ा जाए, जिससे लेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के संवैधानिक आदेश का परिपालन किया जा सके। डाटा तक वांछित पहुँच अभी प्रदान किया जाना बाकी है। जी.एस.टी. के सभी लेनदेनों के डाटा तक पहुँच न होने के कारण, जी.एस.टी. प्राप्तियों की व्यापक लेखापरीक्षा में कठिनाई हो रही है। अतः वर्ष 2018–19 के लेखे, नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर एक बार अपवाद के रूप में, उसी प्रकार प्रमाणित किये गये हैं जैसा कि अभिलेखों को मैनुअल रूप में रखरखाव के समय किये जाते थे।
3. राज्य शासन द्वारा नौ सार्वजनिक उपक्रमों को उस अवधि में, जिसमें उनके लेखे 31 मार्च 2019 तक लंबित थे, ₹ 12,789.88 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान एवं आर्थिक सहायता) प्रदान की तथा दायित्व (प्रतिभूति) स्वीकार किया। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुये अपने विगत 1 से 4 वर्षों के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया। इस कारण,

(vii)

मैं, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित इन सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों के प्रमाणीकरण के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हूँ।

उपरोक्त मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां का विस्तृत विवरण 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए “राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन” में दिया गया है।



(राजीव महार्षि)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

दिनांक : 22 जुलाई 2020
स्थान : नई दिल्ली

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क शासकीय लेखे की संरचना का सिंहावलोकन :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियां एवं संवितरणों के लेखाओं तथा लेखे में दर्ज शेष के आधार पर राज्य सरकार के लोक ऋण और देनदारियां एवं परिसम्पत्तियों का लेखा—जोखा प्रस्तुत करते हैं।
2. सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है :-

भाग I—समेकित निधि : इस निधि के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा लिए गए समस्त ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड्स्, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति, इत्यादि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी से प्राप्त समस्त राशि सम्मिलित है। इस निधि से कोई भी धनराशि विधि के अनुसार तथा भारत के संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से विभाजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। व्यय के कुछ वर्ग जैसे (सांविधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण अदायगी, इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर भारित होता है एवं इसके लिए राज्य विधान मण्डल में मतदान की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्ययों (दत्तमत व्यय) के लिए मतदान किया जाता है।

समेकित निधि के दो भाग होते हैं—राजस्व एवं पूंजी (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)। इन्हे पुनः ‘प्राप्ति’ एवं ‘व्यय’ शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति शीर्ष को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है : ‘कर राजस्व’, ‘करेतर राजस्व’, सहायता अनुदान एवं अंशदान। ये तीन क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि ‘आय एवं व्यय पर कर’, ‘राजकोषीय सेवा’, इत्यादि। पूंजीगत प्राप्ति में कोई भी क्षेत्र या उप क्षेत्र नहीं होता है। राजस्व व्यय शीर्ष को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है : सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं एवं सहायता अनुदान तथा अंशदान। राजस्व व्यय के इन क्षेत्रों को पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है जैसे—राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति इत्यादि। पूंजीगत व्यय को सात क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है। जैसे—‘सामान्य सेवाएं’, ‘सामाजिक सेवाएं’, ‘आर्थिक सेवाएं’, ‘लोक ऋण’, ‘ऋण एवं अग्रिम’, ‘अन्तर्राज्यीय समाशोधन एवं आकस्मिक निधि में अन्तरण’।

भाग II—आकस्मिकता निधि : यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है, जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। यह राशि राज्य के समेकित निधि से संबंधित मुख्य शीर्षों को नामे कर, प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2018–19 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के आकस्मिक निधि ₹ 100.00 करोड़ की है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

भाग III—लोक लेखा : सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में प्राप्त अन्य लोक धन राशि, जहाँ सरकार एक बैंक या न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा की जाती है। लोक लेखा के अन्तर्गत प्रतिदेय जैसे—अल्प बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (जो कि अंतिम लेखांकन के लंबित रहने तक पारगमन शीर्ष है) सम्मिलित है। सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। लोक लेखा के 6 क्षेत्र हैं : 'अल्प बचत', 'भविष्य निधि इत्यादि' 'आरक्षित निधि', 'जमा एवं अग्रिम', 'उचंत एवं विविध', 'प्रेषण एवं रोकड़ शेष'। यह छः क्षेत्र पुनः उप क्षेत्रों में उप विभाजित किया जाता है। लोक लेखा राज्य विधायिका के मताधीन नहीं है।


3. छत्तीसगढ़ सरकार के लेखे सात स्तरीय वर्गीकरण में प्रस्तुत किया जाता है जैसे—मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), समूह शीर्ष (चार अंक), उप शीर्ष (दो से चार अंक), उद्देश्य शीर्ष/विस्तृत शीर्ष (दो अंक) तथा उप विस्तृत शीर्ष (तीन अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष सरकार के कार्यक्रमों/क्रियाकलाप को प्रदर्शित करते हैं, समूह शीर्ष योजना व्यय के स्त्रोत को प्रदर्शित करते हैं, (अर्थात् राज्य या केन्द्र के संसाधन), उप शीर्ष योजना को प्रदर्शित करते हैं, उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष व्यय के उद्देश्य/स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, एवं उप विस्तृत शीर्ष व्यय के उद्देश्यों के घटक को प्रदर्शित करते हैं, (अर्थात्—यदि व्यय का स्वरूप वेतन है तो उप विस्तृत शीर्ष मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि होगा)।
4. लेखाओं में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई मुख्य शीर्ष होती है, जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है : (मुख्य एवं लघु शीर्ष 31 मार्च 2019 तक अद्यतित की सूची अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे सामान्यतः (कुछ अपवादों के साथ), लघु शीर्ष तक के संव्यवहारों को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर पर, अर्थात् वसूली को व्यय में से कटौत्रे करते हुए दर्शाये जाते हैं। यह प्रक्रिया विधायिका के समक्ष प्रस्तुत लेखा अनुदान तथा विनियोग लेखे से भिन्न है, जहाँ व्यय को सकल स्तर पर दर्शाया जाता है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

6. शासकीय लेखे की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत है :



ख वित्त लेखे में क्या निहित है :-

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत किये गये हैं।

खण्ड-I में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण—पत्र, वित्त लेखाओं की मार्गदर्शिका, चालू वित्त वर्ष हेतु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और संव्यवहारों की संक्षिप्त जानकारी से संबंधित तेरह विवरणियाँ, लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ एवं इसके अनुलग्नक सम्मिलित हैं। **खण्ड-II** में दिए तेरह विवरणियाँ निम्नलिखित हैं :

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

1. **वित्तीय स्थिति का विवरण :** इस विवरण में वर्ष के अंत में शासन की परिस्म्पत्ति एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों एवं विगत वर्षात के तुलनात्मक आँकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है।
2. **प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण :** इस विवरण में, सरकारी लेखे के तीनों भागों अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा में वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त एक परिशिष्ट, जो राज्य सरकार के रोकड़ शेषों का वैकल्पिक चित्रण (निवेश सहित) दर्शाते हैं, सम्मिलित है। इस परिशिष्ट में राज्य सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति को भी विस्तृत रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
3. **समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण :** इस विवरण में राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों (विनिवेश, उधार एवं ऋण तथा अग्रिमों की वसूली सहित) की जानकारी समाविष्ट है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II के भाग—I में विस्तृत विवरण 14, 17 एवं 18 के अनुरूप है।
4. **समेकित निधि में व्यय का विवरण :** वित्त लेखे में लघुशीर्ष स्तर तक के सामान्य चित्रण से भिन्न यह विवरण कार्य के स्वरूप अनुसार व्यय भी दर्शाता है। यह खण्ड-II के भाग—I में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 एवं 18 के अनुरूप है।
5. **प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण खण्ड-II के भाग—I में विस्तृत विवरण क्रमांक 16 के अनुरूप है।
6. **उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण :** शासन के उधारों में उसके द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्जे एवं अग्रिम सम्मिलित है। अन्य दायित्वों में 'अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि' 'आरक्षित निधि' एवं 'जमा' शामिल है। इस विवरण में ऋणों के परिशोधन व्यवस्था पर एक टिप्पणी भी है तथा यह खण्ड-II के भाग—I में विस्तृत विवरण क्रमांक 17 के अनुरूप है।
7. **सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम का विवरण :** यह विवरण राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणी समूहों जैसे—सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियाँ, स्वायत्त एवं अन्य निकाय/प्राधिकरणों एवं एकल प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारी सहित), को दिये गये समस्त कर्ज तथा अग्रिम को प्रदर्शित करता है। यह विवरण खण्ड-II के भाग—I में विस्तृत विवरण क्रमांक 18 के अनुरूप है।
8. **वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों की अंशपूँजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार :** इस विवरण में शासन द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनी, अन्य संयुक्त उपक्रम, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूँजी में किये गये निवेश की स्थिति का सारांश प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड-II के भाग—I में सम्मिलित विस्तृत विवरण क्रमांक 19 के अनुरूप है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

9. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण:** इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का सारांश प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड-II के भाग—I में विस्तृत विवरण क्रमांक 20 के अनुरूप है।
10. **सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण :** यह विवरण सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदानग्राहियों जैसे—सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दी गई सहायता अनुदान को प्रदर्शित करता है। परिशिष्ट-III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं के विवरण होते हैं।
11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आंकड़ों के साथ के मिलान में सहायता करती है।
12. **वर्ष 2018–19 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण :** यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से पूरित किया जाना चाहिए, जबकि पूँजीगत व्यय राजस्व आधिकार्य, लोक लेखे के निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में रोकड़ शेष तथा उधार से पूरित किया जाना चाहिए।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश :** यह विवरण वर्ष 2018–19 के अन्त में राज्य लेखों की निवल नामे राशि के साथ क्षेत्रवार शेषों का सारांश दर्शाता है।

वित्त लेखे के खण्ड-II के दो भाग हैं : भाग—I में 9 विस्तृत विवरण, भाग—II में 13 परिशिष्ट हैं।

खण्ड-II का भाग—I

14. **राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड—I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 3 के अनुरूप है।
15. **राजस्व व्यय का लघुशीर्ष वार विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड—I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 4 के अनुरूप है, जो शासन के राजस्व व्यय को राज्य निधि से व्यय और केन्द्रीय सहायता से व्यय (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं) के अंतर्गत विस्तार में प्रदर्शित करते हैं। भारित तथा दत्तमत व्ययों को स्पष्ट प्रथक रूप से दर्शाये जाते हैं।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

16. **पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरण भाग—I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 5 के अनुरूप है, जो शासन के पूंजीगत व्यय को राज्य निधि से व्यय और केन्द्रीय सहायता से व्यय (केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं) के अर्तगत विस्तार में प्रदर्शित करते हैं। भारित तथा दत्तमत व्ययों को स्पष्ट पृथक रूप से दर्शाये जाते हैं। लघुशीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय दर्शाये जाने के अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में यह विवरण उपशीर्ष स्तर की जानकारी भी प्रदर्शित करता है।
17. **उधारों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण इस खण्ड—I के सारांशित विवरण—6 के अनुरूप है, जिसमें राज्य शासन द्वारा उगाहे गये समस्त ऋण (बाजार ऋण, बंदपत्र, केन्द्र शासन से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित है। इस विवरण में ऋणों की जानकारी तीन संवर्ग में प्रस्तुत किये गये हैं: (क) प्रत्येक ऋणों का विवरण, (ख) परिपक्वता विवरणी अर्थात् प्रत्येक संवर्ग के ऋणों का विभिन्न वर्षों में देय राशि, (ग) बकाया ऋणों का ब्याज दर विवरणी।
18. **सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण :** यह विवरण इस खण्ड—I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 7 के अनुरूप है।
19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण :** इस विवरण में सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूजी में किये गये निवेश की स्थिति प्रदर्शित करता है। यह विवरण खण्ड—I में सम्मिलित सारांशित विवरण क्रमांक 8 के अनुरूप है।
20. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण:** इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों पर मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का विवरण प्रदर्शित किया जाता है। यह विवरण खण्ड—I के सारांशित विवरण क्रमांक 9 के अनुरूप है।
21. **आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण :** इस विवरण में आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखे संव्यवहारों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अंत में बकाया शेषों का विवरण लघुशीर्षवार स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है।
22. **उदिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से किये गये निवेश को विस्तृत रूप में प्रदर्शित करता है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—जारी

खण्ड-II के भाग-II

भाग-II में वेतन, आर्थिक सहायता, सहायता अनुदान, बाह्य सहायित परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य पोषित योजनाओं में योजनावार व्यय इत्यादि, से संबंधित 13 परिशिष्ट सम्मिलित है। यह विस्तृत विवरण, लेखाओं में उप-शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (अर्थात् लघुशीर्ष स्तर से नीचे) तक, दर्शाए जाते हैं एवं इसलिए इन्हें सामान्यतः वित्त लेखे में नहीं दर्शाये जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I एवं II में 'विषय—सूची' में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों का पठन, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

ग सुलभ तालिका (रेडी रेकनर) :

खण्ड—I में सारांशिकृत विवरण एवं खण्ड—II में समावेशित विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों के मध्य संबंध निम्न तालिका में दर्शाया गया है (परिशिष्ट जिनके सारांशिकृत विवरणों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, निम्न तालिका में नहीं दर्शाये गये हैं):

मापदण्ड	सारांशिकृत विवरण (खण्ड—I)	विस्तृत विवरण (खण्ड-II)	परिशिष्ट (खण्ड-II)
राजस्व प्राप्तियां (प्राप्त अनुदानों सहित)	2, 3	14	..
राजस्व व्यय	2, 4,	15	I (वेतन), II (आर्थिक सहायता)
शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान	2, 10	..	III
पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	14	..
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	..
शासन द्वारा प्रदत्त कर्ज तथा पेशगियां	1, 2, 4, 7, 12, 13	18	..
ऋण की स्थिति/उधार	1, 2, 4, 6, 12, 13	17	..
कम्पनियों, निगमों आदि पर शासन का निवेश	1, 5, 8	16, 19	..
रोकड़	1, 2, 12, 13	21	..
लोक लेखे में शेष एवं उस पर निवेश	1, 2, 6, 12, 13	17, 21, 22	..
प्रतिभूतियाँ	9	20	..
अंतर्राज्यीय समायोजन	2, 3, 4, 12, 13
योजनाएँ	..		V(क), V(ख), VI

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका—समाप्त

घ आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजन :

कतिपय संव्यवहारों को लेखे में दर्ज करते समय नगद का वास्तविक प्रवाह नहीं होता है। इनमें से कुछ संव्यवहार लेखा प्रेषण ईकाईयों (जैसे कोषालयों, संभागों इत्यादि) के स्तर पर किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वेतन से किये जाने वाले समस्त कटौत्रों का संव्यवहार (सामान्य भविष्य निधि, प्रदत्त अग्रिमों की वसूली) क्रियात्मक मुख्य शीर्षों (संबंधित विभाग के) को नामे करते हुए पुस्तकीय समायोजन से राजस्व/ऋणों/लोक लेखा प्राप्तियों में दर्ज किये जाते हैं। इसी प्रकार ‘निरंक’ देयक जहाँ समेकित निधि तथा लोक लेखे के मध्य निधियों का स्थानांतरण किया जाता है, लेखा प्रस्तुत करने वाली ईकाईयों के स्तर पर बिना रोकड़ स्थानांतरण का लेन—देन है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के लेखों में निम्न प्रकार के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन करते हैं जिनका विवरण अनुलग्नक—क (खण्ड—I) तथा संबंधित विवरणों के नीचे पादटीपों में वर्णित किया जाता है।

आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन के उदाहरण निम्नानुसार हैं:

- (1) लोक लेखा के अन्तर्गत निधियों का सृजन/निधियों को अंशादान का समायोजन समेकित निधि को नामे कर किया जाता है, यथा—राज्य आपदा विमोचन निधि, केन्द्रीय सङ्क निधि, शोधन निधि इत्यादि।
- (2) समेकित निधि को नामे कर लोक लेखा के जमा शीर्षों में जमा किया जाना।
- (3) सामान्य भविष्य निधि एवं राज्य शासन समूह बीमा योजना पर वार्षिक ब्याज का समायोजन, जहाँ ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049—ब्याज अदायगियों को नामे कर 8009—सामान्य भविष्य निधि लेखे को जमा किया जाता है।
- (4) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसानुसार भारत शासन की योजना के अन्तर्गत ऋण माफी योजना। ऐसे समायोजन (जहाँ केन्द्रीय ऋणों को मुख्यशीर्ष 0075—‘विविध सामान्य सेवाएं’ में जमा कर मुख्यशीर्ष 6004—‘केन्द्र शासन से कर्ज तथा पेशगियों को नामे कर अपलेखित किया जाता है) से राजस्व प्राप्तियों एवं लोक लेखे शीर्ष दोनों प्रभावित होते हैं।

ड पूर्णांक :

₹ 0.01 लाख/करोड़ का अंतर, जहाँ भी परिलक्षित हो, पूर्णांक के कारण है।

सारांशित विवरण

1. वित्तीय स्थिति

आस्तियाँ ¹	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
	लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ	विवरण / परिशिष्ट		
रोकड़				
(i) कोषालय में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष	..	2,21	12.49	10.28
(iii) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	..	2,21	0.34	0.34
(iv) रोकड़ शेष निवेश	..	2,21	9,759.02	4,070.85
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	2(iv)	2,21	320.72	637.60
(vi) पृथक उदिष्ट निधियों से निवेश ²	..	2,21	2,185.31	2,085.84
पूंजीगत व्यय				
(i) कंपनी, निगम इत्यादि के अंशपूंजी में निवेश	3(iv)	5,8,16,19	7,125.84 ³	6,866.37
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	..	5,16	77,206.31	66,863.11
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)	4.92	0.00
कर्ज और पेशागियां	3(iii)	7,18	1,597.75	1,172.15
विभागीय अधिकारियों के पास पेशागियां	..	21	1.74	1.74
उच्चत और विविध शेष ⁴	0.00	0.00
प्रेषण शेष	3(v)	12,21	359.09	236.66
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य	0.00	0.00
योग	98,573.53	81,944.94

¹ आस्तियों तथा दायित्व के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। कृपया 'लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ' के टीप 1(ii) भी देखें।

² केन्द्र सरकार की प्रतिभूती में निवेशित राशि ₹ 2,043.11 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि से संयुक्त उपक्रम कम्पनियों "छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित", "छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे मर्यादित" एवं "छत्तीसगढ़ रेलवे कारपोरेशन मर्यादित" के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 142.20 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

³ राज्य शासन की कंपनियों/निगमों इत्यादि का कुल अंशपूंजी निवेश ₹ 7,268.04 करोड़ है जिसमें से ₹ 7,125.84 करोड़ पूंजीगत शीर्षों से निवेश किया गया है एवं ₹ 142.20 करोड़ उदिष्ट निधि "छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निधि" से निवेश किया गया है।

⁴ इस विवरण में 'उच्चत एवं विविध' के अन्तर्गत 'रोकड़ शेष निवेश लेखे', 'विभागीय शेष' एवं 'स्थायी रोकड़ अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं, जिसे पृथक से दर्शाया गया है यद्यपि ये लेखे कहीं इस क्षेत्र का एक हिस्सा बनता है।

का विवरण

(₹ करोड़ में)

दायित्वों ⁵	संदर्भ (सरल क्रमांक)		31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को		
	लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ	विवरण/ परिशिष्ट				
उधार (लोक ऋण)						
(i) राज्य शासन का आंतरिक ऋण						
बाजार कर्जे	..	6,17	39,452.10	26,552.11		
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	..	6,17	918.53	918.53		
वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	..	6,17	4,296.34	3,889.20		
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को विशेष प्रतिभूतियाँ जारी	..	6,17	4,886.86	5,330.60		
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	6,17	0.00	0.00		
(ii) केन्द्र सरकार से कर्जे और पेशागियां						
आयोजनेतर कर्जे	..	6,17	0.56	1.09		
राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6,17	1,681.69	1,873.53		
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6,17	0.19	0.19		
केन्द्र प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	..	6,17	0.00 ⁶	(-) 0.23		
अन्य ऋण	..	6,17	0.69	0.69		
राज्य/विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के योजनाओं के लिए अन्य कर्जे	..	6,17	1,017.26	464.30		
आकस्मिकता निधि (शेष)	..	21	100.00	100.00		
लोक लेखा पर दायित्व						
(i) अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	..	12,17,21	6,832.41	6,075.40		
(ii) जमा	..	12,17,21	6,007.34	6,238.73		
(iii) आरक्षित निधियाँ	3(viii)	12,21,22	3,840.85	3,648.78		
(iv) प्रेषण शेष	0.00	0.00		
(v) उचंत और विविध शेष	3(v)	12,21	96.78 ⁷	114.08		
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य⁸	..	12	29,441.93	26,737.94		
योग			98,573.53	81,944.94		

⁵ आस्तियों तथा दायित्व के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। उपर प्रदर्शित दायित्व में राज्य शासन के ₹ 3,087.52 करोड़ का आफ बजट दायित्व सम्मिलित नहीं है। कृपया 'लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ' के टीप 3(i) देखें।

⁶ वर्ष 2018–19 में मध्य प्रदेश सरकार से ऋण की प्राप्ति किये जाने के कारण ₹ 0.23 करोड़ की वृद्धि है।

⁷ मुख्यशीर्ष 8658–‘उचंत लेखा’ का अंतशेष ₹ 35.96 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 8670 ‘चेक्स तथा बिल’ का अंतशेष ₹ 60.82 करोड़ सम्मिलित है।

⁸ व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व आधिक्य से भिन्न है। आंकड़े ‘पूँजीगत एवं अन्य व्यय’ तथा ‘निधियों के मुख्य स्रोत’ के निवल से निकाले गए हैं। विस्तृत जानकारी विवरण क्रमांक 12 में है।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		संवितरण			
	2018–19	2017–18		2018–19	2017–18
भाग–1 समेकित निधि					
अनुभाग क— राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां	65,094.93	59,647.07	राजस्व व्यय	64,411.17	56,229.75
कर राजस्व	44,885.95	40,649.49	वेतन ¹	17,031.04 ^{2, 3}	12,773.11
स्वयं के कर राजस्व	21,427.26	19,894.68	आर्थिक सहायता ¹	8,323.01 ⁴	5,004.96
संघीय करों/शुल्कों का अंश	23,458.69	20,754.81	सहायता अनुदान ^{1, 5}	21,978.79 ⁶	22,929.82
करेतर राजस्व	7,703.02	6,340.42	सामान्य सेवायें	10,457.35	8,625.93
ब्याज प्राप्तियां	189.55	180.44	ब्याज भुगतान तथा ऋण सेवायें	3,752.55 ⁷	3,298.33
अन्य	7,513.47	6,159.98	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	5,428.50 ⁸	3,923.58
केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	12,505.96	12,657.16	अन्य	1,276.30	1,404.02
			सामाजिक सेवायें	3,348.89	3,190.56
			आर्थिक सेवायें	2,376.93	2,340.71
			स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	895.16 ⁹	1,364.66
राजस्व घाटा	0.00	0.00	राजस्व आधिक्य	683.76	3,417.32

¹ समेकित आंकड़ा प्रदर्शित करने के लिए सभी क्षेत्रों के वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान के ऑकड़ों के योग किए गये हैं। इस विवरण में “सामान्य”, “सामाजिक” एवं “आर्थिक” सेवा क्षेत्रों के व्यय में वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान पर किये गये व्यय सम्मिलित नहीं हैं (पादटीप 2, 3, 4 एवं 6 में उल्लेखित)।

² उद्देश शीर्ष 01—वेतन एवं 07—कार्यभारित आकर्षिकता स्थापना के अन्तर्गत दर्ज व्यय क्रमशः ₹ 16,698.87 करोड़ एवं ₹ 332.17 करोड़ सम्मिलित हैं।

³ सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं के अन्तर्गत वेतन व्यय क्रमशः ₹ 4,485.26 करोड़, ₹ 10,416.15 करोड़ एवं ₹ 2,129.63 करोड़ हैं। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक I देखें।

⁴ सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता व्यय क्रमशः ₹ 25.81 करोड़, ₹ 9.83 करोड़ एवं ₹ 8,287.37 करोड़ हैं। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट क्रमांक II देखें।

⁵ शासन द्वारा सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्व संस्थाओं, स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान दिये जाते हैं जो ऊपर दिखाये अनुसार शामिल हैं। ये सहायता अनुदान क्षतिपूर्ति एवं करों के समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न है जिसे पृथक रूप में “स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज्य संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समपुदेशन” के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

⁶ सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सहायता अनुदान क्रमशः ₹ 311.86 करोड़, ₹ 9,680.07 करोड़ एवं ₹ 11,986.86 करोड़ हैं। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए विवरण क्रमांक 10 एवं परिशिष्ट क्रमांक III देखें।

⁷ आफ बजट लाइब्रिलीज पर ₹ 23.60 करोड़ का ब्याज भुगतान सम्मिलित है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए “लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ” के अनुच्छेद 3(i) (ग) देखें।

⁸ इस राशि में विस्तृत शीर्ष—12—पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ ₹ 5,402.66 करोड़ 25—सामग्री और पूर्तियों ₹ 3.84 करोड़ तथा 37—अंतः लेखा अन्तरण के अन्तर्गत दर्ज व्यय—₹ 22.00 करोड़ सम्मिलित हैं।

⁹ वर्ष 2018–19 में राज्य शासन द्वारा दिये गये सहायता अनुदान ₹ 919.88 करोड़ जिसमें से ₹ 24.72 करोड़ छत्तीसगढ़ स्टाम्प ड्यूटी निधि को स्थानांतरित किया गया।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		संवितरण			
	2018–19	2017–18		2018–19	2017–18
अनुभाग ख—पूँजी					
पूँजीगत प्राप्तियां	5.26	3.32	पूँजीगत व्यय	8,903.45 ¹⁰	10,000.96
			सामान्य सेवायें	255.52	303.33
			सामाजिक सेवायें	1,773.79	2,651.78
			आर्थिक सेवायें	6,874.14 ¹¹	7,045.85
कर्जे तथा पेशगियों की वापसी	162.32	138.59	कर्जे तथा पेशगियों का संवितरण	240.44	368.76
सामान्य सेवायें	0.00	26.71	सामान्य सेवायें	0.00	200.00
सामाजिक सेवायें	133.09	47.25	सामाजिक सेवायें	90.44	93.20
आर्थिक सेवायें	28.95	65.34	आर्थिक सेवायें	150.00	75.56
शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियां	0.28	(-) 0.71	शासकीय कर्मचारियों को कर्जे तथा पेशगियां	0.00	0.00
लोक ऋण प्राप्तियां	14,370.10	9,652.44	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,145.89	999.88
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्जे इत्यादि) ¹²	13,816.66	9,187.89	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्जे) ¹²	953.27	827.74
भारत सरकार से कर्जे	553.44	464.55	भारत सरकार से प्राप्त कर्जे	192.62	172.14
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.57	1.24	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.25	1.07
		..	आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0.00	0.00
योग—समेकित निधि प्राप्तियां	79,633.18	69,442.66	योग—समेकित निधि व्यय	74,701.20	67,600.42
समेकित निधि में कमी	0.00	0.00	समेकित निधि में आधिक्य	4,931.98	1,842.24
भाग-II—आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि	4.92	0.00

¹⁰ पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के ₹ 1,998.74 करोड़, वेतन के ₹ 95.31 करोड़ एवं 07—कार्यभारित स्थापना के ₹ 48.58 करोड़ के व्यय सम्मिलित हैं।

¹¹ मुख्यशीर्ष 4059 (₹ 4.99 करोड़) तथा 5054 (₹ 81.66 करोड़) में वर्गीकृत कुल पूँजीगत व्यय ₹ 86.65 करोड़ “अधोसंरचना विकास निधि”, मुख्यशीर्ष 4801 (₹ 100.00 करोड़) एवं मुख्यशीर्ष 4810 (₹ 95.27 करोड़) कुल ₹ 195.27 करोड़ “विद्युत विकास निधि”, मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत ₹ 3.40 करोड़ “खनिज विकास निधि” तथा मुख्यशीर्ष 5054 के अन्तर्गत ₹ 251.62 करोड़ की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सङ्क निधि से किये गये हैं।

¹² वर्ष 2018–19 में केन्द्र शासन के राष्ट्रीय लघु बचत निधि से कोई भी कर्ज प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु ₹ 443.74 करोड़ एवं ₹ 503.15 करोड़ का क्रमशः मूलधन तथा व्याज का भुगतान किया गया है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए विवरण क्रमांक 6 का व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पैरा 2 देखें।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2018–19	2017–18		2018–19	2017–18
भाग— III—लोक लेखा ¹³					
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,649.09	1,435.87	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	894.58	795.26
आरक्षित तथा निक्षेप निधि	1,024.82	1,224.59	आरक्षित तथा निक्षेप निधि	959.50	1,989.73
जमा	3,692.51	3,538.42	जमा	3,923.90	3,417.65
पेशागियां	425.82	500.75	पेशागियां	425.82	500.56
उचंत तथा विविध	1,59,728.76	1,55,385.53	उचंत तथा विविध ¹⁴	1,65,438.71	1,56,996.70
प्रेषण	9,858.07	10,003.60	प्रेषण	9,980.50	9,932.68
योग—लोक लेखा प्राप्तियां	1,76,379.07	1,72,088.76	योग—लोक लेखा व्यय	1,81,623.01	1,73,632.58
लोक लेखे में कमी	5,243.94	1,543.82	लोक लेखे में आधिक्य	0.00	0.00
प्रारंभिक रोकड़ शेष	637.60	339.18	रोकड़ का अंतशेष	320.72	637.60
रोकड़ शेष में वृद्धि		298.42	रोकड़ शेष में कमी	316.88	0.00

¹³ विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड-II के विवरण क्रमांक 21 देखें।

¹⁴ उचंत एवं विविध में “अन्य लेखे” जैसे—रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल होने के कारण आंकड़े वृहद प्रतीत होता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विवरण क्रमांक 21 देखें।

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी

विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक

रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

शासन की सकल रोकड़ स्थिति	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
क—सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा ¹⁵	320.72 ¹⁶	637.60
योग	320.72	637.60
(3) “रोकड़ शेष निवेश लेखा” में किया गया निवेश	9,759.02	4,070.85
योग—(क)—सामान्य रोकड़ शेष	10,079.74	4,708.45
ख—अन्य रोकड़ शेष और निवेश—		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे—वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव आदि के पास रोकड़	12.49	10.28
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशागी राशियां	0.34	0.34
(3) पृथक उद्दिष्ट निधियों का निवेश	2,185.31	2,085.84
योग—(ख)—अन्य रोकड़ शेष और निवेश—	2,198.14	2,096.46
योग (क) एवं (ख)	12,277.88	6,804.91

व्याख्यात्मक टिप्पणी

- (क) **रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य** :— रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य के अंतर्गत कोषालय में नगद एवं भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों में जमा एवं मार्गस्थ प्रेषण सम्मिलित है। उपरोक्त क (2) में दर्शित “भारतीय रिजर्व बैंक” जमा के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के समेकित शेषों को प्रदर्शित करता है। समग्र रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषालयों एवं विभागों में नगद शेष तथा आरक्षित निधियों से निवेश, आदि को रिजर्व बैंक जमा शेषों में सम्मिलित किया जाता है।
- (ख) **दैनिक रोकड़ शेष** :— रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को बैंक में ₹ 0.72 करोड़ का न्यूनतम शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि, किसी भी दिवस में करार के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति रिजर्व बैंक से समय—समय पर विशेष आहरण सुविधा एवं साधारण अर्थोपाय अग्रिम/अधिविर्वण लेकर की जाती है। वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विशेष आहरण सुविधा अथवा साधारण अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिये गये।

अर्थोपाय अग्रिम/अधिविर्वण को स्वीकृत करने के उद्देश्य से दैनिक रोकड़ शेष¹⁷ की गणना हेतु 14 दिवसीय ट्रेज़री बिलों की धारिता, साथ में वर्तमान दिवस को सूचित लेन—देने।

¹⁵ रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अन्तर्गत शेष का निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के 10 अप्रैल 2019 तक के अन्तः शासन मौद्रिक समाशोधन के संव्यवहारों को सम्मिलित किया गया है।

¹⁶ मार्च 2019 के लेखे बंद होने पर भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹ 320.72 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 81.15 करोड़ (नामे) के मध्य ₹ 401.87 करोड़ (नामे) का अन्तर था, जो पुनर्मिलान के अधीन है। कुल अन्तर ₹ 401.87 करोड़ में से ₹ 399.82 करोड़ का अन्तर विभिन्न बैंकों द्वारा भुगतान किये गये पैशान जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित अवशेष में सम्मिलित है किन्तु राज्य शासन के लेखे में लेखांकन नहीं किये जाने के कारण है तथा शेष ₹ 2.05 करोड़ कोषालय अधिकारियों द्वारा तिथिवार मासिक विवरण का ऋटिपूर्ण सत्यापन तथा एजेन्सी बैंक द्वारा नोडल ब्राच को या नोडल ब्राच द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को ऋटिपूर्ण सूचना देने के कारण है।

¹⁷ उपर्युक्त ‘भारतीय रिजर्व बैंक जमा’ का रोकड़ शेष वर्ष का 31 मार्च, 2019 की स्थिति का अंत शेष है किन्तु दिनांक 10 अप्रैल 2019 तक आकलित की गई है, एवं केवल 31 मार्च, 2019 का दैनिक रोकड़ शेष नहीं है।

**2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी**

(भारतीय रिज़र्व बैंक के शाखाओं, अंतः सरकार लेन-देनों तथा अभिकर्ता बैंकों द्वारा सूचित कोषालय के लेन-देनों) के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक आकलन करती है। इस तरह आकलित शेष में 14 दिवसीय ट्रेज़री बिलों की परिपक्वता (यदि कोई हो) जोड़ा जाता है तथा न्यूनतम रोकड़ शेष रखते हुए अधिक शेष यदि हो, तो उसे ट्रेज़री बिलों में पुनः निवेश किया जाता है। यदि आकलित निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम शेष से कम होता है अथवा केंट शेष हो और उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेज़री बिल परिपक्व नहीं होता हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक धारित 14 दिवसीय ट्रेज़री बिलों की भुनाती है एवं उस कमी को पूरा कर लेती है और यदि उस दिवस को 14 दिवसीय ट्रेज़री बिल नहीं हो तो राज्य शासन अर्थोपाय अग्रिम/विशेष आहरण सुविधा/अधिविकर्ष हेतु आवेदन करता है।

- (ग) **आहरण सुविधा की सीमा (डब्ल्यू.एम.ए.) :** 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक राज्य शासन के साधारण आहरण सुविधा की सीमा ₹ 660.00 करोड़ था। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गवर्नर्मेंट सिक्यूरिटी के बंधक पर विशेष आहरण सुविधा देने पर सहमति दी गई है। बैंक द्वारा विशेष आहरण सुविधा की सीमा समय-समय पर संशोधन किया जाता है। विशेष आहरण सुविधा की सीमा निम्नानुसार है :

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
01.04.2018	242.90
02.04.2018 से 10.04.2018	248.30
11.04.2018 से 13.04.2018	246.80
14.04.2018 से 16.04.2018	292.19
17.04.2018 से 20.04.2018	245.49
21.04.2018 से 22.04.2018	210.68
23.04.2018	245.65
24.04.2018 से 02.05.2018	244.27
03.05.2018 से 08.05.2018	244.28
09.05.2018 से 13.05.2018	245.16
14.05.2018	248.30
15.05.2018 से 20.05.2018	245.47
21.05.2018	256.86
22.05.2018 एवं 23.05.2018	245.35
24.05.2018	251.49
25.05.2018 से 01.06.2018	251.42
02.06.2018 एवं 03.06.2018	243.40
04.06.2018	253.68
05.06.2018 से 10.06.2018	261.84
11.06.2018	265.55
12.06.2018 से 30.06.2018	261.82
01.07.2018	238.98

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी

विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—जारी

रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा—जारी

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
02.07.2018	242.12
03.07.2018 से 06.07.2018	238.97
07.07.2018 एवं 08.07.2018	242.66
09.07.2018	252.12
10.07.2018	234.36
11.07.2018 से 15.07.2018	234.90
16.07.2018	236.00
17.07.2018 से 23.07.2018	234.90
24.07.2018 से 27.07.2018	234.91
28.07.2018 एवं 29.07.2018	234.71
30.07.2018 से 01.08.2018	234.90
02.08.2018 से 15.08.2018	434.81
16.08.2018 से 20.08.2018	435.62
21.08.2018 से 27.08.2018	436.71
28.08.2018 से 13.09.2018	437.71
14.09.2018 से 16.09.2018	437.75
17.09.2018 एवं 18.09.2018	439.40
19.09.2018	441.10
20.09.2018	440.22
21.09.2018 से 23.09.2018	441.55
24.09.2018	448.22
25.09.2018 से 30.09.2018	442.05
01.10.2018 एवं 02.10.2018	405.58
03.10.2018 से 10.10.2018	446.12
11.10.2018 से 22.10.2018	444.11
23.10.2018 से 02.11.2018	442.74
03.11.2018 एवं 04.11.2018	442.62
05.11.2018 से 07.11.2018	442.74
08.11.2018	440.36
09.11.2018 से 13.11.2018	443.03
14.11.2018	443.05
15.11.2018 से 19.11.2018	443.42
20.11.2018 से 23.11.2018	443.41
24.11.2018 एवं 25.11.2018	434.42
26.11.2018	450.18

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी

विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—जारी

रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी

तालिका : विशेष आहरण सुविधा की सीमा—समाप्त

(₹ करोड़ में)

अवधि	विशेष आहरण सुविधा की सीमा
27.11.2018 से 02.12.2018	445.36
03.12.2018	455.83
04.12.208	447.32
05.12.2018 से 09.12.2018	447.34
10.12.2018	450.98
11.12.2018 से 19.12.2018	447.35
20.12.2018 एवं 21.12.2018	540.91
22.12.2018 एवं 23.12.2018	540.89
24.12.2018 से 31.12.2018	540.91
01.01.2019	418.02
02.01.2019 से 07.01.2019	417.58
08.01.2019	418.81
09.01.2019 एवं 10.01.2019	422.60
11.01.2019 से 13.01.2019	423.66
14.01.2019	425.06
15.01.2019	423.70
16.01.2019 से 23.01.2019	423.71
24.01.2019 से 27.01.2019	423.72
28.01.219	423.92
29.01.2019 एवं 30.01.2019	423.71
31.01.2019 एवं 01.02.2019	224.90
02.02.2019 एवं 03.02.2019	220.60
04.02.2019 से 14.02.2019	224.93
15.02.2019 से 20.02.2019	226.00
21.02.2019 से 27.02.2019	227.09
28.02.2019 से 05.03.2019	231.50
06.03.2019 से 12.03.2019	44.52
13.03.2019 से 17.03.2019	44.56
18.03.2019	46.85
19.03.2019	45.66
20.03.2019	46.33
21.03.2019	27.75
22.03.2019 से 24.03.2019	46.74
25.03.2019	53.33
26.03.2019 से 31.03.2019	47.26

**2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—जारी
विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—जारी
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—जारी**

अर्थोपाय अग्रिम पर भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर के अनुसार व्याज प्रभारित होता है, जो निम्नानुसार है :

तालिका : अर्थोपाय अग्रिमों पर व्याज का विवरण

सरल क्रमांक	शीर्षक	दर
1.	विशेष आहरण सुविधा (पूर्व में विशेष अर्थोपाय अग्रिम जाना जाता था)	रेपो रेट – एक प्रतिशत
2.	90 दिवस तक साधारण आहरण अग्रिम	रेपो रेट
3.	90 दिवस से अधिक साधारण आहरण अग्रिम	रेपो रेट + एक प्रतिशत
4.	शत प्रतिशत साधारण अर्थोपाय अग्रिम तक अधिविकर्षण	रेपो रेट + दो प्रतिशत
5.	शत प्रतिशत साधारण अर्थोपाय अग्रिम से अधिक के अधिविकर्षण	रेपो रेट + पाँच प्रतिशत

वर्ष 2018–19 में रेपो रेट निम्नानुसार है :

तालिका : रेपो रेट का विवरण

अवधि	रेपो रेट
01.04.2018 से 05.06.2018	6.00 प्रतिशत
06.06.2018 से 31.07.2018	6.25 प्रतिशत
01.08.2018 से 06.02.2019	6.50 प्रतिशत
07.02.2019 से 31.03.2019	6.25 प्रतिशत

वर्ष 2018–19 की अवधि में राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से तय की हुई न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहाँ तक समर्थ थी, नीचे दर्शाया गया है :

- (i) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष राशि बिना अग्रिम लिए बनाये रखी गई 365
- (ii) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम राशि साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर बनाए रखी गई निरंक
- (iii) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम राशि विशेष आहरण सुविधा लेकर बनाए रखी गई निरंक
- (iv) दिनों की संख्या, जब उपरोक्त अग्रिम का उपयोग करने के बावजूद न्यूनतम अवशेष में कमी थी, किन्तु कोई अधिविकर्षण नहीं लिया गया। निरंक
- (v) दिनों की संख्या जब अधिविकर्षण लिये गए निरंक

2. प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण—समाप्त
 विवरण क्रमांक 2 का अनुलग्नक—समाप्त
 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश—समाप्त

(घ) 31 मार्च 2019 को सामान्य रोकड़ शेष से किये गए निवेशों का विवरण निम्नानुसार है :

तालिका : रोकड़ शेष निवेश की जानकारी

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	प्रतिभूतियों का नाम	राशि
1.	भारत सरकार के खजाना बिल	9,759.02
	योग	9,759.02

- (अ) वर्ष 2017–18 में ₹ 140.20 करोड़ रुपयों के विरुद्ध वर्ष 2018–19 के दौरान उपरोक्त निवेशों पर ₹ 144.33 करोड़ रुपयों का ब्याज प्राप्त हुआ।
- (ब) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों के अंशपूजी में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण 19—“सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण” में दिये गये हैं।
- (छ) पृथक उद्दिष्ट निधियों से निवेशित राशियां की जानकारी विवरण 22—“उद्दिष्ट निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण” में दर्शाई गई है।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018–19	2017–18
I. कर तथा करेतर राजस्व			
(क)	कर राजस्व		
क.1	स्वयं के कर राजस्व	21,427.26	19,894.68
	भू—राजस्व	487.57	446.41
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,108.46	1,197.47
	राज्य उत्पाद शुल्क	4,489.03	4,054.00
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	8,203.41	4,386.56
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,087.72	6,449.60
	माल तथा यात्री कर	54.51	477.66
	वाहन कर	1,204.85	1,180.01
	विद्युत कर तथा शुल्क	1,790.27	1,688.96
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.28	10.14
	होटल प्राप्ति कर	1.00	3.70
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.16	0.17
क.2	संधीय करों/शुल्क के निवल आगमों का अंश	23,458.69	20,754.81
	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	5,789.33	291.44
	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	462.00	2,094.36
	निगम कर	8,157.09	6,352.98
	निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,007.35	5,364.62
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	42.48	0.00
	धन कर	2.98	(-)0.19
	सीमा शुल्क	1,662.66	2,093.70
	संघ उत्पाद शुल्क	1,104.93	2,188.50
	सेवा कर	217.76	2,369.40
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	12.11	0.00
	योग—(क)	44,885.95	40,649.49
(ख)	करेतर राजस्व—		
	व्याज प्राप्तियां	189.55 ¹	180.44
	अन्य—		
	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	6,110.24 ²	4,911.44
	वृहद् सिंचाई	521.81	461.23
	वानिकी और वन्य प्राणी	236.73	291.17
	लघु सिंचाई	164.06	121.73
	लोक निर्माण कार्य	73.57	54.29
	विविध सामान्य सेवायें	59.54	(-)0.29
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	52.86	52.56

¹ राज्य शासन द्वारा उगाहे गये ऋणों पर प्राप्त ₹ 7.66 करोड़ का प्रीमियम सम्मिलित है।² कोल ब्लाक की निलामी से प्राप्त ₹ 851.10 करोड़ तथा कोयला के अलावा अन्य मुख्य खनिजों के निलामी से प्राप्त ₹ 7.61 करोड़ कुल ₹ 858.71 करोड़ सम्मिलित है।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018–19	2017–18
I. कर तथा करेतर राजस्व			
(ख)	करेतर राजस्व—समाप्त		
अन्य—समाप्त			
	अन्य प्रशासनिक सेवायें	42.10	39.81
	शहरी विकास	30.31	31.37
	पुलिस	29.18	17.08
	श्रम तथा रोजगार	26.75	20.61
	फसल कृषि—कर्म	25.83	12.22
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	23.23	10.33
	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	14.04	17.15
	मध्यम सिंचाई	11.32	5.91
	अन्य सामाच्य आर्थिक सेवाएं	11.19	12.50
	लोक सेवा आयोग	8.59	10.72
	अन्य सामाजिक सेवाएं	8.12	17.42
	सहकारिता	7.93	2.57
	पशु पालन	6.11	7.01
	जेल	5.78	6.38
	समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5.70	3.46
	ग्राम तथा लघु उद्योग	5.62	4.83
	मछली पालन	5.45	4.45
	उद्योग	5.31	10.55
	जलपूर्ति तथा सफाई	4.57	7.99
	आवास	4.34	3.94
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	4.30	8.40
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	2.84	3.43
	सड़क तथा सेतु	2.09	2.46
	लाभांश तथा लाभ	1.49	4.80
	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.27	1.33
	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार	0.63	0.68
	सूचना तथा प्रचार	0.33	0.06
	नागर विमानन	0.17	0.30
	परिवार कल्याण	0.07	0.06
	ऊर्जा	0.00	0.03
	योग—अन्य	7,513.47	6,159.98
	योग—(ख)	7,703.02	6,340.42

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018–19	2017–18
II-भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			
(ग)	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
	केन्द्रीय सहायता/अंशदान	7,724.46	9,193.79
	बाह्य सहायित परियोजना— केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	490.31 ³	81.97
	योग—केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	8,214.77	9,275.76
	वित्त आयोग अनुदानें		
	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	1,047.86	1,022.18
	शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	282.04	243.80
	राज्य आपदा उन्मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान	349.58	194.25
	कुल वित्त आयोग अनुदानें	1,679.48	1,460.23
	राज्य/विधान मण्डल वाले संघराज्य क्षेत्र को अन्य स्थानांतरण/अनुदान		
	संसाधनों के अंतराल को पूरा करने के लिए अनुदान	0.00	51.90
	विशेष सहायता	23.16	15.04
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के उपबन्ध के अन्तर्गत अनुदान	113.53	109.64
	केन्द्रीय सङ्क निधि से अनुदान	214.02	212.28
	वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	2,261.00	1,483.00
	राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि से अनुदान	0.00	49.31
	योग— राज्य/विधान मण्डल वाले संघराज्य क्षेत्र को अन्य स्थानांतरण/अनुदान	2,611.71	1,921.17
	योग—ग	12,505.96	12,657.16
	कुल राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	65,094.93	59,647.07
III-पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां			
घ.	पूंजीगत प्राप्तियां		
	अन्य	5.26	3.32
	योग—घ	5.26	3.32
ड.	लोक ऋण प्राप्तियां		
	आन्तरिक ऋण	13,816.66	9,187.89
	बाजार कर्जे	12,899.99	8,100.00
	प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	0.00	0.00
	वित्तीय संस्थाओं से कर्जे	916.67 ⁴	1,087.89
	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों	0.00	0.00
	केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा पेशेगियों	553.44	464.55
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजना के लिए कर्जे	553.44	464.55
	योग—ड.	14,370.10	9,652.44

³ विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड-II के परिशिष्ट IV देखें।⁴ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बँक से ₹ 916.67 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया।

3. समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण—समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018–19	2017–18
III-पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां—समाप्त			
च	राज्य शासन द्वारा कर्जे तथा पेशगियाँ वसूलियाँ ⁵	162.32	138.59
छ	अन्तर्राजीय परिशोधन	0.57	1.24
	समेकित निधि में कुल प्राप्तियां⁶ (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)	79,633.18	69,442.66

⁵ विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड—I में विवरण संख्या 7 एवं खण्ड-II में विवरण संख्या 18 देखें।

⁶ विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड—I में विवरण संख्या 2, 6, 7 एवं खण्ड-II में विवरण संख्या 14, 17 एवं 18 देखें।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण

क—कार्यात्मक व्यय		(₹ करोड़ में)			
	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्जे तथा उधार	योग
क	सामान्य सेवाएं				
क.1	राज्य के अंग				
	संसद / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	39.35	0.00	0.00	39.35
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	9.15	0.00	0.00	9.15
	मंत्रि—परिषद	46.79	0.00	0.00	46.79
	न्याय प्रशासन	282.62	0.00	0.00	282.62
	निर्वाचन	190.14	0.00	0.00	190.14
क.2	राजकोषीय सेवाएं				
	भू—राजस्व	282.87	0.00	0.00	282.87
	स्टाम्प तथा पंजीकरण	29.99	0.00	0.00	29.99
	राज्य उत्पाद शुल्क	72.71	0.00	0.00	72.71
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	62.73	0.00	0.00	62.73
	वाहन कर	25.37	0.00	0.00	25.37
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	231.70	0.00	0.00	231.70
क.3	ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा				
	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	100.00	0.00	0.00	100.00
	ब्याज की अदायगियाँ	3,652.55	0.00	0.00	3,652.55
क.4	प्रशासनिक सेवाएं				
	लोक सेवा आयोग	14.71	0.00	0.00	14.71
	सचिवालय—सामान्य सेवाएं	131.33	0.00	0.00	131.33
	जिला प्रशासन	273.01	0.00	0.00	273.01
	खजाना तथा लेखा प्रशासन	72.09	0.00	0.00	72.09
	पुलिस	3,544.94	13.93	0.00	3,558.87
	जेल	135.77	0.00	0.00	135.77
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	7.77	0.00	0.00	7.77
	लोक निर्माण—कार्य	467.55	233.71	0.00	701.26
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	178.64	7.88	0.00	186.52
क.5	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं				
	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	5,428.50	0.00	0.00	5,428.50
	योग—क—सामान्य सेवाएं	15,280.28	255.52	0.00	15,535.80

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

क—कार्यात्मक व्यय—जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्ज तथा उधार	योग
ख	सामाजिक सेवाएं				
ख.1	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (कृपया विवरण के नीचे की टीप 1 देखें।)				
	सामान्य शिक्षा	12,266.52	490.37 ¹	0.00	12,756.89
	तकनीकी शिक्षा	161.80	0.00	0.00	161.80
	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	39.56	0.00	0.00	39.56
	कला एवं संस्कृति	44.07	0.00	0.00	44.07
ख.2	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण				
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3,306.44	214.49	0.00	3,520.93
	परिवार कल्याण	236.45	0.00	0.00	236.45
ख.3	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास				
	जलपूर्ति तथा सफाई	744.53	281.16	44.14	1,069.83
	आवास	2,377.39	30.85	0.00	2,408.24
	शहरी विकास	1,338.38	378.67	46.30	1,763.35
ख.4	सूचना तथा प्रसारण				
	सूचना तथा प्रचार	240.67	0.00	0.00	240.67
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	142.62	339.50	0.00	482.12
ख.6	श्रमिक तथा श्रम कल्याण				
	श्रम तथा रोजगार	227.13	0.00	0.00	227.13
ख.7	समाज कल्याण तथा पोषण				
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,527.04	0.00	0.00	1,527.04
	पोषण	461.86	9.92	0.00	471.78
	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	322.21	0.00	0.00	322.21
ख.8	अन्य				
	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.65	0.00	0.00	4.65
	सचिवालय—सामाजिक सेवाएं	13.62	28.83	0.00	42.45
	योग—ख—सामाजिक सेवाएं	23,454.94	1,773.79	90.44	25,319.17

¹ उपक्षेत्र “शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति” के अंतर्गत “सामान्य शिक्षा”, “तकनीकी शिक्षा”, “खेलकूद एवं युवा सेवाएं” तथा “कला एवं संस्कृति” हेतु पृथक राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष है, किन्तु इन राजस्व मुख्यशीर्षों हेतु एक ही पूंजीगत मुख्यशीर्ष-4202—“शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय” है। इन चार मुख्यशीर्षों के पूंजीगत व्यय मुख्यशीर्ष-4202 के अन्तर्गत उप मुख्यशीर्ष स्तर पर दर्ज किये जाते हैं। वर्ष 2018–19 में इन शीर्षों में क्रमशः ₹ 393.56 करोड़, ₹ 40.28 करोड़, ₹ 56.53 करोड़ तथा निरंक राशि दर्ज किये गये हैं।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

क—कार्यात्मक व्यय—जारी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजी	कर्ज तथा उधार	योग
ग	आर्थिक सेवाएं—				
ग.1	कृषि तथा संबद्ध क्रिया—कलाप				
	फसल कृषि कर्म	8,839.89	2.77	0.00	8,842.66
	मृदा तथा जल संरक्षण	126.82	17.81	0.00	144.63
	पशु पालन	378.34	21.41	0.00	399.75
	मछली पालन	73.79	1.10	0.00	74.89
	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1,018.20	20.54	0.00	1,038.74
	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार	4,105.84	0.61	0.00	4,106.45
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	96.12	15.64	0.00	111.76
	सहकारिता	3,119.17	7.02	150.00	3,276.19
	अन्य कृषि कार्यक्रम	261.85	0.00	0.00	261.85
ग.2	ग्राम विकास				
	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	159.64	0.00	0.00	159.64
	ग्राम रोजगार	785.67	0.00	0.00	785.67
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1,487.86	588.68	0.00	2,076.54
ग.3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00
ग.4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
	वृहद सिंचाई	88.10	635.56	0.00	723.66
	मध्यम सिंचाई	399.34	65.24	0.00	464.58
	लघु सिंचाई	77.40	848.90	0.00	926.30
	कमान विकास क्षेत्र	2.43	11.38	0.00	13.81
	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	0.00	27.37	0.00	27.37
ग.5	उर्जा				
	बिजली	2,078.77	130.00	0.00	2,208.77
	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	26.25	464.99	0.00	491.24
ग.6	उद्योग तथा खनिज				
	ग्राम तथा लघु उद्योग	166.57	19.93	0.00	186.50
	उद्योग	159.62	0.00	0.00	159.62
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	191.26	0.52	0.00	191.78
	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	10.48	0.00	0.00	10.48
ग.7	परिवहन				
	नागर विमानन	0.25	2.17	0.00	2.42
	सड़क तथा सेतु	1,015.44	3,765.51	0.00	4,780.95
	सड़क परिवहन	0.00	3.09	0.00	3.09

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

क—कार्यात्मक व्यय—समाप्त

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूँजी	कर्जे तथा उधार	योग
ग	आर्थिक सेवाएं—समाप्त				
ग.8	संचार				
	अन्य संचार सेवाएं	50.15	208.00	0.00	258.15
ग.9	विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण				
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	5.73	2.13	0.00	7.86
ग.10	सामान्य आर्थिक सेवाएं				
	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	17.97	0.00	0.00	17.97
	पर्यटन	5.70	13.77	0.00	19.47
	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	24.51	0.00	0.00	24.51
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7.63	0.00	0.00	7.63
	योग—ग—आर्थिक सेवाएं	24,780.79	6,874.14	150.00	31,804.93
घ	सहायता अनुदान तथा अंशदान				
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	895.16	0.00	0.00	895.16
	योग—घ—सहायता अनुदान तथा अंशदान	895.16	0.00	0.00	895.16
ङ.	लोक ऋण—				
	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	953.27	953.27
	केन्द्र सरकार से कर्जे तथा पेशागियां	0.00	0.00	192.62	192.62
	योग—ङ—लोक ऋण	0.00	0.00	1,145.89	1,145.89
च	अन्तर्राज्यीय परिशोधन—	0.00	0.00	0.25	0.25
छ	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग—समेकित निधि व्यय	64,411.17	8,903.45	1,386.58	74,701.20

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

ख—व्यय का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2018–19			2017–18			2016–17		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
1	14—सहायक अनुदान	22,898.67	0.00	22,898.67	24,293.17	0.00	24,293.17	18,993.71	45.94	19,039.65
2	01—वेतन	16,698.87	95.31	16,794.18	12,447.56	89.39	12,536.95	10,780.63	84.47	10,865.10
3	13—आर्थिक सहायता	8,323.01	0.00	8,323.01	5,004.96	0.00	5,004.96	4,189.14	0.00	4,189.14
4	12—पेंशन एवं हितलाभ	5,403.09	0.00	5,403.09 ²	3,897.54	0.00	3,897.54	3,459.20	0.00	3,459.20
5	97—निर्माण कार्य	0.29	3,970.86	3,971.15	1.13	4,655.27	4,656.40	1.29	4,100.58	4,101.87
6	35—ब्याज / ऋण अदायगी	3,652.60	0.00	3,652.60	3,098.33	0.00	3,098.33	2,686.83	0.00	2,686.83
7	26—वृहद निर्माण कार्य	0.00	2,566.50	2,566.50	0.05	2,722.48	2,722.53	0.00	2,984.07	2,984.07
8	45—पूंजीगत परि— संपत्तियों का निर्माण	0.00	1,998.74	1,998.74	1.32	2,359.39	2,360.71	0.00	1,432.94	1,432.94
9	25—सामग्री और पूर्तियाँ	1,453.91	2.10	1,456.01	1,847.70	2.27	1,849.97	1,936.22	0.00	1,936.22
10	37—अंतः लेखा अन्तरण	1,004.04	0.00	1,004.04	1,382.74	0.00	1,382.74	1,708.29	0.00	1,708.29
11	42—बीमा	839.74	0.00	839.74	575.19	0.00	575.19	645.21	0.00	645.21
12	24—अनुरक्षण कार्य	763.27	0.21	763.48	631.85	0.47	632.32	571.08	0.95	572.03
13	27—लघु निर्माण कार्य	335.73	302.50	638.23	411.92	375.85	787.77	421.09	318.65	739.74
14	02—मजदूरी	632.66	0.01	632.67	646.84	0.00	646.84	558.65	0.00	558.65
15	11—छात्रवृत्तियाँ वृत्तियाँ एवं अन्य हितलाभ	577.92	0.00	577.92	818.95	0.00	818.95	746.00	0.00	746.00
16	04—कार्यालय व्यय	514.74	0.85	515.59	578.19	5.22	583.41	515.57	0.85	516.42
17	30—अंशदान	385.02	0.00	385.02	345.08	0.00	345.08	315.17	0.00	315.17
18	07—कार्यभारित/ आकर्षिकता स्थापना	332.17	48.58	380.75	325.55	49.36	374.91	296.10	41.13	337.23
19	09—विज्ञापन एवं प्रचार	241.01	0.00	241.01	166.94	0.00	166.94	145.68	0.00	145.68
20	31—क्षतिपूर्ति	16.79	218.66	235.45	21.86	290.26	312.12	25.80	284.73	310.53
21	10—व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	222.62	3.95	226.57	246.89	2.68	249.57	210.68	2.91	213.59

² मुख्यशीर्ष 2071 के अंतर्गत सेवानिवृत शासकीय कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों, आदि के सेवानिवृत्ति लाभ की राशि ₹ 5,402.66 करोड़ एवं मुख्यशीर्ष 2235 के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन की राशि ₹ 0.43 करोड़ सम्मिलित है।

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—जारी

ख—व्यय का स्वरूप—जारी

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद	2018–19			2017–18			2016–17		
		राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
22	28—मशीन और उपकरण	25.88	137.78	163.66	36.80	158.41	195.21	33.92	109.44	143.36
23	43—निर्वाचन व्यय	100.33	0.00	100.33	6.51	0.00	6.51	12.19	0.00	12.19
24	03—यात्रा भत्ता	98.27	1.92	100.19	76.03	1.89	77.92	74.13	1.99	76.12
25	05—प्रशिक्षण	72.52	0.00	72.52	132.14	0.00	132.14	114.51	0.00	114.51
26	22—शस्त्रास्त्र एवं गोला बारूद	46.53	0.00	46.53	44.96	0.00	44.96	55.45	0.00	55.45
27	29—भूमि एवं भवन की खरीदी	0.00	41.65	41.65	1.92	185.18	187.10	0.00	234.08	234.08
28	17—सम्मेलन	35.77	0.00	35.77	52.77	0.00	52.77	33.80	0.00	33.80
29	74—मेला, उत्सव, प्रदर्शनी	30.73	0.00	30.73	28.09	0.00	28.09	25.67	0.00	25.67
30	89—परिवहन व्यय	30.27	0.00	30.27	36.56	0.00	36.56	42.71	0.00	42.71
31	06—सर्वेक्षण	7.55	17.80	25.35	9.77	15.05	24.82	14.24	5.52	19.76
32	34—वाहनों का क्रय	4.89	18.99	23.88	19.67	43.71	63.38	6.77	25.18	31.95
33	19—गोपनीय सेवा व्यय	14.86	0.00	14.86	15.09	0.00	15.09	12.73	0.00	12.73
34	15—डिक्री धन का भुगतान	3.25	8.10	11.35	1.90	6.27	8.17	0.87	5.69	6.56
35	08—प्रकाशन	11.26	0.00	11.26	5.23	0.00	5.23	10.17	0.00	10.17
36	86—कोचिंग/प्रतियोगितायें	10.03	0.00	10.03	17.40	0.00	17.40	11.87	0.00	11.87
37	32—निवेश	0.00	9.78	9.78	0.00	109.96	109.96	0.00	603.02	603.02
38	18—पारितोषिक	7.50	0.00	7.50	10.25	0.00	10.25	12.61	0.00	12.61
39	63—स्टॉक	6.27	0.00	6.27	7.43	0.00	7.43	13.39	0.00	13.39
40	55—जनसंपर्क दौरे के समय अनुदान	3.32	0.00	3.32	3.17	0.00	3.17	3.55	0.00	3.55
41	50—मंत्री के मोटर गाड़ियों हेतु पेट्रोल	3.16	0.00	3.16	3.55	0.00	3.55	3.89	0.00	3.89
42	57—आतिथ्य व्यय	2.66	0.00	2.66	3.39	0.00	3.39	3.01	0.00	3.01
43	33—ओजार एवं सयंत्र	2.07	0.00	2.07	3.21	0.01	3.22	3.27	0.01	3.28
44	52—सुसज्जित आवासों हेतु बिजली तथा पानी	1.22	0.00	1.22	2.40	0.00	2.40	1.02	0.00	1.02
45	49—दैनिक भत्ते	1.01	0.00	1.01	1.30	0.00	1.30	1.19	0.00	1.19
46	72—साज सज्जा पर व्यय	0.95	0.00	0.95	1.85	0.00	1.85	2.10	0.00	2.10
47	90—पारिश्रमिक	0.87	0.00	0.87	0.90	0.00	0.90	0.97	0.00	0.97

4. समेकित निधि में व्यय का विवरण—समाप्त

ख—व्यय का स्वरूप—समाप्त

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	व्यय के मद्	2018–19			2017–18			2016–17		
		राजस्व	पूँजी	योग	राजस्व	पूँजी	योग	राजस्व	पूँजी	योग
48	69—गैर शासकीय मानदेय	0.78	0.00	0.78	0.92	0.00	0.92	1.02	0.00	1.02
49	44—अनपेक्षित व्यय	0.75	0.00	0.75	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
50	48—निर्वाचन भत्ता	0.70	0.00	0.70	0.88	0.00	0.88	0.79	0.00	0.79
51	21—साक्षियों पर व्यय	0.39	0.00	0.39	0.30	0.00	0.30	0.27	0.00	0.27
52	36—ऋण तथा अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
53	85—अचेषण तथा अनुसंधान	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.21	0.00	0.21
54	79—अपलेखन	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
55	39—उचंत	0.00	(-)0.03 ³	(-)0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
56	40—घटाइयें— पुनर्प्राप्तियों	(-)408.77	(-)540.82	(-)949.59	(-)1,039.73	(-)1,072.16	(-)2,111.89	(-)538.06	(-)811.86	(-)1,349.92
महायोग		64,411.17	8,903.45	73,314.62⁴	56,229.75	10,000.96	66,230.71	48,164.60	9,470.51	57,635.11

³ 'विविध निर्माण अग्रिम' का समायोजन किये जाने के कारण ऋणात्मक राशि है।⁴ 'ऋण तथा अग्रिम', 'लोक ऋण' एवं 'अंतर्राज्यीय परिशोधन' की राशि क्रमशः ₹ 240.44 करोड़, ₹ 1,145.89 करोड़ एवं ₹ 0.25 करोड़ का व्यय सम्मिलित नहीं किया गया।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017–18 के दौरान व्यय	2017–18 तक प्रगामी व्यय	2018–19 के दौरान व्यय	2018–19 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018–19 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
क—सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	47.63	220.06	13.93	233.99	(-)70.75
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2.05	0.00	4.74*	0.00
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	228.26	1,814.93	233.71	2,053.36*	(+)2.39
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	27.44	37.29	7.88	45.22*	(-)71.28
योग—क—सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा		303.33	2,074.33	255.52	2,337.31¹	(-)15.76
ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा					
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	667.69	3,843.44	490.37	4,429.44*	(-)26.56
योग—(क)—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		667.69	3,843.44	490.37	4,429.44	(-)26.56
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	401.19	2,352.82	214.49	2,581.07*	(-)46.54
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	6.33	0.00	16.30*	0.00
योग—(ख)—स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा		401.19	2,359.15	214.49	2,597.37	(-)46.54
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा					
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	335.17	984.66	281.16	1,268.90*	(-)16.11
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	23.80	707.40	30.85	772.15*	(+)29.62
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	735.80	4,608.64	378.67	4,996.53	(-)48.54
योग (ग)—जलपूर्ति सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा		1,094.77	6,300.70	690.68	7,037.58	(-)36.91
(घ)	सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा					
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.79	0.00	1.63*	0.00
योग—(घ)—सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा		0.00	0.79	0.00	1.63	0.00

* मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन की राशि समिलित है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 29 एवं 30 पर दर्शाया गया है।

¹ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 7.46 करोड़ वृद्धि हुई है। मुख्यशीर्षवार प्रभाजन का विवरण पृष्ठ क्रमांक 29 एवं 30 पर दर्शाया गया है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017–18 के दौरान व्यय	2017–18 तक प्रगामी व्यय	2018–19 के दौरान व्यय	2018–19 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018–19 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—समाप्त						
(ङ)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	387.91	2,836.13	339.50	3,317.25*	(-)12.48
योग—(ङ)—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	387.91	2,836.13	339.50	3,317.25	(-)12.48	
(च)	समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	60.67	661.38	9.92	732.56*	(-)83.65
योग—(च)—समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	60.67	661.38	9.92	732.56	(-)83.65	
(छ)	अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा—					
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	39.55	355.57	28.83	388.13*	(-)27.10
योग—(छ)—अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा	39.55	355.57	28.83	388.13	(-)27.10	
योग—ख—सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	2,651.78	16,357.16	1,773.79	18,503.96 ²	(-)33.11	
ग—आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—						
(क)	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—					
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	3.25	14.71	2.77	24.81*	(-)14.77
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	19.91	290.40	17.81	339.66*	(-)10.55
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	12.72	53.61	21.41	76.86*	(+)68.32
4404	दुर्घट विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.36	0.00	1.99*	0.00
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	9.78	19.04	1.10	20.41*	(-)88.75
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	20.09	361.58	20.54	408.32*	(+)22.40
4408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	(-)0.04	64.52	0.61	82.63 ^{3*}	(+)1,625.00
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	16.58	18.33	15.64	34.06*	(-)5.67
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	1.97	204.22	7.02	294.86 ^{4*}	(+)256.35

² मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 373.01 करोड़ की वृद्धि हुई है। मुख्यशीर्षवार प्रभाजन का विवरण पृष्ठ क्रमांक 29 एवं 30 पर दर्शाया गया है।

³ अंतशेष में ₹ 2.48 करोड़ (निवल) की कमी की गई। सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृति के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी हुई एवं छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ द्वारा गोदाम निर्माण से संबंधित व्यय को मुख्यशीर्ष 6408 में स्थानांतरण के कारण ₹ 2.47 करोड़ की कमी हुई।

⁴ अंतशेष में ₹ 4.90 करोड़ (निवल) की कमी की गई सहकारी समितियों/बैंकों के पूंजी निवृति के कारण ₹ 5.25 करोड़ की कमी हुई एवं छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ द्वारा गोदाम निर्माण से संबंधित व्यय की वापसी को मुख्यशीर्ष 6408 में स्थानांतरण के कारण ₹ 0.35 करोड़ की वृद्धि हुई।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017–18 के दौरान व्यय	2017–18 तक प्रगामी व्यय	2018–19 के दौरान व्यय	2018–19 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018–19 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
ग—आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—जारी						
(क)	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा—समाप्त					
4435	अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.02	0.00	2.24*	0.00
योग—(क)—कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा		84.26	1,026.79	86.90	1,285.84 ⁵	(+)3.13
(ख)	ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा					
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	655.53	3,553.61	588.68	4,332.28*	(-)10.20
योग—(ख)—ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा		655.53	3,553.61	588.68	4,332.28	(-)10.20
(घ)*	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा					
4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	763.66	7,199.12	635.56	7,910.85*	(-)16.77
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	109.21	1,617.58	65.24	1,919.60*	(-)40.26
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	784.99	10,183.49	848.90	11,323.23*	(+)8.14
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	9.84	457.13	11.38	468.62*	(+)15.65
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	11.01	103.77	27.37	131.14	(+)148.59
योग—(घ)—सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा		1,678.71	19,561.09	1,588.45	21,753.44	(-)5.38
(ड)	ऊर्जा का पूंजीगत लेखा					
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	274.12	7,107.69	130.00	7,435.27 ⁷ *	(-)52.58
4810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	550.69	738.13	464.99	1,203.12	(-)15.56
योग—(ड)—ऊर्जा का पूंजीगत लेखा		824.81	7,845.82	594.99	8,638.39	(-)27.86
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा					
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	64.21	600.88	19.93	667.53*	(-)68.96
4852	लोहा तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	46.30	0.00	46.39*	0.00
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.55	1.97	0.52	3.87*	(-)5.45
4854	सीमेंट तथा धातुरहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.01*	0.00
4858	इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.02*	0.00

⁵ अंतशेष में ₹ 172.15 करोड़ (निवल) की वृद्धि हुई। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 179.53 करोड़ की वृद्धि तथा सहकारी समितियों/बैंकों की पूंजी निवृत्ति (₹ 5.26 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ से संबंधित व्यय तथा व्यय की वापसी मुख्यशीर्ष 4408 (₹ 2.47 करोड़ का व्यय) एवं मुख्यशीर्ष 4425 (₹ 0.35 करोड़ की वापसी) को मुख्यशीर्ष 6408 में स्थानांतरण के कारण ₹ 7.38 करोड़ (निवल) की कमी की गई।

⁶ उपक्षेत्र 'ग' 'विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के पूंजीगत लेखा' के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 4551, 4552 एवं 4575 के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किया गया है।

⁷ प्रोकार्मा में ₹ 175.85 करोड़ वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य पावर होलिडिंग कंपनी द्वारा निर्गत ₹ 175.85 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट को राज्य शासन के लेखे में अंशपूंजी धनवेष्टन के रूप में सामायोजित किया गया।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—जारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017–18 के दौरान व्यय	2017–18 तक प्रगामी व्यय	2018–19 के दौरान व्यय	2018–19 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018–19 में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
ग—आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा—समाप्त						
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा					
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	3.18*	0.00
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.30	0.00	12.14*	0.00
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	15.30	0.00	26.35*	0.00
योग—(च)—उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		64.76	664.75	20.45	759.49	(-)68.42
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा					
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	24.44	201.46	2.17	205.41*	(-)91.12
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,703.03	22,283.49	3,765.51	26,079.23*	(+)1.69
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	4.53	4.53	3.09	45.33*	(-)31.79
योग—(छ)—परिवहन का पूंजीगत लेखा		3,732.00	22,489.48	3,770.77	26,329.97	(-)1.04
(ज)	संचार का पूंजीगत लेखा					
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.78	8.96	208.00	216.96	(+)11,585.39
योग—(ज)— संचार का पूंजीगत लेखा		1.78	8.96	208.00	216.96	(+)11,585.39
(झ)	विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा					
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	8.91	2.13	11.04	(+)100.00
योग—(झ)—विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा		0.00	8.91	2.13	11.04	(+)100.00
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	138.40	13.77	159.33*	(+)244.25
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	0.00	0.14	0.00	0.15*	0.00
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.04	0.00	3.99*	0.00
योग—(ज)—सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		4.00	138.58	13.77	163.47	(+)244.25
योग—ग—आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		7,045.85	55,297.99	6,874.14	63,490.88 ⁸	(-)2.44
महायोग		10,000.96	73,729.48	8,903.45	84,332.15⁹	(-)10.97

⁸ अंतशेष में ₹ 1,318.75 करोड़ (निवल) की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 1,150.28 करोड़ की वृद्धि हुई। प्रभाजन का मुख्यशीर्षवार विवरण पृष्ठ क्रमांक 29 एवं 30 पर दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त ₹ 175.85 करोड़ की वृद्धि छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा निर्गत शेरयर सर्टिफिकेट को राज्य शासन के लेखे में अंशपूंजी धनवेष्ठन के रूप में समायोजन किये जाने तथा छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ से संबंधित व्यय तथा व्यय की वापसी मुख्यशीर्ष 4408 (₹ 2.47 करोड़ के व्यय) एवं मुख्यशीर्ष 4425 (₹ 0.35 करोड़ की वापसी) को मुख्यशीर्ष 6408 में स्थानांतरण के कारण ₹ 7.38 करोड़ (निवल) की कमी की गई।

⁹ अंतशेष में ₹ 1,699.22 करोड़ वृद्धि की हुई। विवरण हेतु कृपया उपरोक्त पादटीप क्रमांक 1, 2 एवं 8 का अवलोकन करें।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—जारी

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय से वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के अंत तक राज्य सरकार का विभिन्न कम्पनी/निगमों/सरकारी समितियों एवं बैंकों की अंश पूंजी में कुल निवेश क्रमशः ₹ 6,778.60 करोड़, ₹ 6,866.37 करोड़, तथा ₹ 7,268.04¹⁰ है।
2. उक्त निवेश से वर्ष 2016–17 में ₹ 0.55 करोड़, वर्ष 2017–18 में ₹ 4.80 करोड़ तथा 2018–19 में ₹ 1.49 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ।
3. अन्य जानकारियाँ विवरण क्रमांक 19—सरकार के निवेश का विस्तृत विवरण में दिए गए हैं।

¹⁰ खनिज विकास निधि से संयुक्त उपक्रम कम्पनियों (छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे मर्यादित, छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ रेलवे निगम मर्यादित) के अंशपूंजी में निवेशित ₹ 142.20 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—जारी

वर्ष 2018–19 में ₹ 1,530.75 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन किया गया। प्रभाजन की मुख्यशीर्षवार विवरण निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	शीर्ष	वर्ष 2018–19 में छत्तीसगढ़ को प्रभाजित राशि
क्षेत्र	क—सामान्य सेवाएं	
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	0.00
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	2.69
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4.72
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.05
योग	क—सामान्य सेवाएं	7.46
क्षेत्र	ख—सामाजिक सेवाएं	
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	95.63
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	13.76
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	9.97
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.08
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	33.90
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	9.22
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.84
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन—जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	141.62
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	61.26
4250	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.73
योग	ख—सामाजिक सेवाएं	373.01
क्षेत्र	ग—आर्थिक सेवाएं	
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	7.33
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	31.45
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.84
4404	दुग्ध विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1.63
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	0.27
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	26.20
4408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	19.98
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	0.09
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	88.52
4435	अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	2.22
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	189.99
4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	76.17
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	236.78
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	290.84
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	0.11
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21.73
4810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	46.72

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण—समाप्त

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	शीर्ष	वर्ष 2018–19 में छत्तीसगढ़ को प्रभाजित राशि
क्षेत्र	ग—आर्थिक सेवाएं	
4852	लोहा तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.09
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.38
4854	सीमेंट तथा धातुरहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.01
4858	इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.02
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3.18
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	11.84
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	11.05
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	1.78
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	30.23
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	37.71
5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00
5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.00
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	7.16
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	0.01
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.95
योग	ग—आर्थिक सेवाएं	1,150.28
	महायोग	1,530.75

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों¹ का विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	31 मार्च 2019 को शेष	निवल वृद्धि(+)/ कमी(-)	कुल दायित्वों का प्रतिशत					
					राशि						
(क)–लोक ऋण											
6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण											
बाजार कर्ज	26,552.11	12,899.99 ²	0.00	39,452.10	(+)12,899.99	(+)48.58					
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	918.53	0.00	0.00	918.53	0.00	0.00					
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	3,889.20	916.67	509.53	4,296.34	(+)407.14	(+)10.47					
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	5,330.60	0.00	443.74	4,886.86	(-)443.74	(-)8.32					
योग—6003	36,690.44	13,816.66	953.27	49,553.83	(+)12,863.39	(+)35.06					
6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम											
01—योजनेतर कर्ज	1.09	0.00	0.53	0.56	(-)0.53	(-)48.62					
02—राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	1,873.53	0.25	192.09	1,681.69	(-)191.84	(-)10.24					
03—केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00					
04—केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	(-)0.23	0.23 ³	0.00	0.00	(+)0.23	(+)100.00					
07—1984—85 पूर्व के कर्ज	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00					
09—राज्य / विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के योजनाओं के लिए अन्य कर्ज	464.30	552.96	0.00	1,017.26	(+)552.96	(+)119.10					
योग—6004	2,339.57	553.44	192.62	2,700.39	(+)360.82	(+)15.42					
योग—लोक ऋण	39,030.01	14,370.10	1,145.89	52,254.22	(+)13,224.21	(+)33.88					
(ख)–अन्य दायित्व											
लोक लेखा											
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	6,077.90 ⁴	1,649.09	894.58	6,832.41	(+)754.51	(+)12.41					
ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	202.83 ⁵	540.68	342.81	400.70	(+)197.87	(+)97.55					
						0.60					

¹ विस्तृत लेखा पृष्ठ क्रमांक 376 से 390 में दिए गए हैं।

² 6.75 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण—1992 से संबंधित ₹ 0.01 करोड़ का लेजर शेष रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नागपूर तथा चेन्नई की पुस्तकों में अपलेखित किया गया।

³ मध्य प्रदेश सरकार से राशि प्राप्त हुई। यह ऋण राज्य के पुनर्गठन के उपरान्त छत्तीसगढ़ शासन को आवंटित किया गया एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्भुगतान की गई परन्तु बाद में यह ऋण मध्य प्रदेश शासन को आवंटित किया जाना दर्शाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्भुगतान की गई राशि वर्ष 2018—19 में मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त हुई।

⁴ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रोफार्मा अन्तरण पर 1 नम्बर 2000 के पूर्व शेषों के प्रभाजन के कारण प्रारंभिक शेषों में ₹ 2.50 करोड़ वृद्धि हुई। यह प्रभाजन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से किया गया है।

⁵ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रोफार्मा अन्तरण पर 1 नम्बर 2000 के पूर्व शेषों के प्रभाजन के कारण (₹ 27.27 करोड़) एवं पूर्णांकित किये जाने (₹ 0.01 करोड़) के कारण प्रारंभिक शेषों में ₹ 27.28 करोड़ की वृद्धि हुई। यह प्रभाजन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से किया गया है।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण—जारी

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण—समाप्त

(₹ करोड़ में)

उधारों का स्वरूप	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान अदायगियाँ	31 मार्च 2019 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		कुल दायित्वों का प्रतिशत					
					राशि	प्रतिशत						
(ख) अन्य दायित्व—समाप्त												
लोक लेखा—समाप्त												
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	1,387.39	484.14	616.69	1,254.84	(-)132.55	(-)9.55	1.88					
ब्याज वाली जमा	49.69	767.19	773.98	42.90	(-)6.79	(-)13.66	0.06					
बिना ब्याज वाली जमा	6,189.04	2,925.32	3,149.92	5,964.44	(-)224.60	(-)3.63	8.94					
योग—(ख) अन्य दायित्व	13,906.85	6,366.42	5,777.98	14,495.29	(+)588.44	(+)4.23	21.72					
योग—लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	52,936.86	20,736.52	6,923.87	66,749.51⁶	(+)13,812.65	(+)26.09	100.00					

(ii) विवरण क्रमांक 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. परिशोधन हेतु व्यवस्था :

राज्य सरकार द्वारा निक्षेप निधि को प्रतिस्थापित करते हुए वर्ष 2006–07 से समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया। यह निधि वर्ष 2011–12 से राज्य सरकार के बकाया दायित्वों (आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्वों) के परिशोधन में उपयोग किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा इस निधि में गत वर्ष के अन्त में कुल शेष दायित्वों का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत अंशदान किया जायेगा जिसका स्रोत सामान्य राजस्व या अन्य स्रोत जैसे— विनिवेश से प्राप्त राजस्व, होगा। वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा बकाया दायित्वों के परिशोधन हेतु इस निधि का उपयोग नहीं किया गया है। निधि में वर्ष के प्रारंभ तथा वर्ष के अन्त में अवशेष निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान आहरण	31 मार्च 2019 को शेष
समेकित निक्षेप निधि	1,946.94	100.00	0.00	2,046.94

मार्च 2019 के अंत तक निक्षेप निधि का कुल शेष ₹ 2,046.94 करोड़ को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।

⁶ “लोक ऋण तथा अन्य दायित्व” की राशि में राज्य शासन की “आफ बजट लाईबिलिटीज” के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड (सी.एस.पी.डी.सी.एल) को “कृषक जीवन ज्योति योजना” के अन्तर्गत देय राशि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,955.00 करोड़, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन (सी.पी.एच.सी.एल.) को पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹ 800.00 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (सी.एच.बी.) को सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹ 800.00 करोड़ एवं भवनों के क्रय हेतु ₹ 195.00 करोड़ की प्रत्याभूति जारी किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड को जारी गारंटी आदेश, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को भुगतान किये गये ब्याज/मूलधन के स्वीकृति आदेश तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के मध्य संपादित करार में उल्लेख किया गया है कि उक्त कम्पनी/निगम/बार्ड द्वारा गारंटी के विरुद्ध प्राप्त ऋण एवं ब्याज के भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जावेगा। 31 मार्च 2019 तक उक्त प्रत्याभूति के विरुद्ध सी.एस.पी.डी.सी.एल., सी.पी.एच.सी.एल. तथा सी.एच.बी. द्वारा क्रमशः ₹ 1,955.00 करोड़, ₹ 374.86 करोड़ एवं ₹ 757.66 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण—जारी

(ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ—जारी

2. **अल्प बचत निधि से कर्ज़ :** डाक घर में “अल्प बचत योजना” तथा “लोक भविष्य निधि” के संग्रहण से कर्जों का राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के मध्य बांटा जाता है। अल्प बचत संग्रहणों से कर्ज विमुक्त करने के उद्देश्य से “राष्ट्रीय अल्प बचत निधि” नाम से एक पृथक निधि वर्ष 1999–2000 में गढ़ित की गई। चौदहवे वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि राज्यों को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के संचालन से बाहर रखा जाये। इस अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय कैबिनेट ने 18 जून 2017 को “राष्ट्रीय अल्प बचत निधि” के निवेश से सभी राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरला तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर) को बाहर रखे जाने को अनुमोदन किया तथा राज्य के निवेश केवन 01 अप्रैल 2016 तक के बकाया ऋण के भुगतान तक सीमित रहेगा। इसके अनुसार राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 से “राष्ट्रीय अल्प बचत निधि” से ऋण प्राप्त नहीं किया गया है। वर्ष 2018–19 में ₹ 443.74 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 503.15 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 4,886.86 करोड़ का शेष बकाया था जो कि 31 मार्च 2019 के राज्य शासन की कुल दायित्वों का 7.32 प्रतिशत था। 31 मार्च 2016 तक “राष्ट्रीय अल्प बचत निधि” से प्राप्त किये गये ऋण वर्ष 2038–39 में पूर्ण भूगतान किया जावेगा।
3. **भारत सरकार से कर्ज आदि:** 31 मार्च 2019 तक भारत सरकार से प्राप्त कर्ज, कुल दायित्वों का 4.04 प्रतिशत था। वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार से ₹ 553.44 करोड़ का कर्ज प्राप्त हुआ। 2018–19 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा ₹ 192.62 करोड़ के कर्ज का पुनर्भुगतान किया गया तथा ₹ 139.48 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।
4. **बाजार कर्ज :** वर्ष 2018–19 में कोई भी ऋण उन्मुक्त किए जाने हेतु देय नहीं था।
5. **स्वायत्त निकायों से कर्ज :** उधारों की इस श्रेणी में सरकार द्वारा विभिन्न स्वायत्त निकायों जैसे :- भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड से प्राप्त किए गए कर्ज सम्मिलित हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ₹ 916.67 करोड़ के कर्ज प्राप्त किए एवं ₹ 509.53 करोड़ का पुनर्भुगतान (सामान्य बीमा कंपनी ₹ 0.36 करोड़, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ₹ 509.00 करोड़ एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ₹ 0.17 करोड़) किये गए। 31 मार्च 2019 के अंत में इस प्रकार के बकाया कर्जों का शेष ₹ 4,296.34 करोड़ था। विभिन्न स्वायत्त निकायों से प्राप्त कर्जों पर सरकार ने ₹ 176.31 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किया। कर्जों के पूर्ण जानकारी विवरण क्रमांक 17 और इसके अनुलग्नक में दिए गए हैं।

6. उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण—समाप्त

(ii) विवरण 6 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां—समाप्त

6. ऋण सेवाएँ :

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज : बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्वों तथा ब्याज प्रभारों की निवल राशियां जिन्हे 2018–19 के दौरान राजस्व से पूर्ति किए गए हैं, नीचे दर्शाई गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018–19	2017–18	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)
(i) वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	59,086.63	45,105.41	(+)13,981.22
(ख) अन्य दायित्वों	7,662.88	7,801.67	(-)138.79
योग—(i)	66,749.51	52,907.08	(+)13,842.43
(ii) राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण और अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि पर	3,563.27	3,021.56	(+)541.71
(ख) आफ बजट लाईबिलिटीज	23.60	6.00	(+)17.60
(ग) अन्य दायित्वों पर	65.68	70.77	(-)5.09
योग—(ii)	3,652.55	3,098.33	(+)554.22
(iii) घटाये –			
(क) अन्य कर्जों और पेशागियों पर ब्याज	28.32	27.61	(+)0.71
(ख) रोकड़ शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज	144.33	140.19	(+)4.14
योग—(iii)	172.65	167.80	(+)4.85
ब्याज प्रभारों की निवल राशि	3,479.90	2,930.53	(+)549.37
1. सकल ऋण से सकल ब्याज का प्रतिशत	5.47	5.86	(-)0.39
2. कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज का प्रतिशत ⁷	5.61	5.19	(+)0.42
3. कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज का प्रतिशत	5.35	4.91	(+)0.44

इसके अतिरिक्त “विविध” लेखा से (₹ 16.89 करोड़) ब्याज प्राप्त किये गये। यदि इन्हें भी घटाया जाता तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 3,463.01 करोड़ होता, जो कुल राजस्व का 5.32 प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न कम्पनियों/कार्पोरेशन में किये गये निवेश से ₹1.49 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया गया।

7. **ऋण में कमी करने या परिहार के लिए विनियोजन :** वर्ष 2018–19 के दौरान शासन द्वारा ऋण में कमी या परिहार हेतु ₹ 100.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

⁷ वर्ष 2018–19 में कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 65,094.93 करोड़ है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण

भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2018 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	वर्ष के दौरान वापस अदा की गई राशि	ऋणों तथा पेशगियों का अपलेखन किया गया	31 मार्च 2019 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)कमी (-) (6–2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
साविधिक निगम	160.11 ¹	0.00	22.57	0.00	137.54	(–)22.57	0.00
सरकारी कम्पनियाँ	591.24 ²	0.00	0.60	0.00	590.64	(–)0.60	14.47
विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
पंचायती राज संस्थाएं	13.65	0.00	0.28	0.00	13.37	(–)0.28	0.00
नगर पालिकायें / नगर परिषद् / नगर निगम	387.34	44.14	133.09	0.00	298.39	(–)88.95	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	46.80	46.30	0.00	0.00	93.10	(+)46.30	0.00
गृह निर्माण मंडल	49.30 ³	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00
सहकारी संस्थाएं / सहकारी निगम / बैंक	226.96 ⁴	150.00	5.49 ⁵	0.00	371.47	(+)144.51	42.35
अन्य	37.04 ⁶	0.00	0.01	0.00	37.03	(–)0.01	0.03
शासकीय सेवक	6.28	0.00	0.28	0.00	6.00	(–)0.28	0.00
योग—ऋण तथा पेशगियाँ	1,519.63⁷	240.44	162.32	0.00	1,597.75	(+)78.12	56.85

¹ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 0.15 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 40 पर दर्शाया गया है।

² मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 300.37 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 40 पर दर्शाया गया है।

³ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 44.72 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 40 पर दर्शाया गया है।

⁴ ₹ 2.23 करोड़ (निवल) की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 0.11 करोड़ की वृद्धि हुई, मुख्य शीर्ष 4408 से शेषों का अंतरण के कारण ₹ 2.47 करोड़ की वृद्धि हुई एवं मुख्य शीर्ष 4425 से पुनर्भुगतान के अंतरण के कारण ₹ 0.35 करोड़ की कमी हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 40 पर दर्शाया गया है।

⁵ गोदाम निर्माण से संबंधित पुनर्भुगतान ₹ 1.08 करोड़ जो वर्ष 2006–07 से 2009–10 (₹ 0.32 करोड़) एवं 2011–12 (₹ 0.76 करोड़) मुख्यशीर्ष 4425 में जमा किया गया था सम्मिलित है।

⁶ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 40 पर दर्शाया गया है।

⁷ ₹ 347.48 करोड़ (निवल) वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 345.36 करोड़ की वृद्धि हुई एवं मुख्यशीर्ष 4408 से शेषों का अंतरण के कारण ₹ 2.47 करोड़ की वृद्धि हुई एवं मुख्यशीर्ष 4425 से पुनर्भुगतान के अंतरण के कारण (₹ 0.35 करोड़) की कमी हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 40 पर दर्शाया गया है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—जारी
भाग 1 : कर्ज तथा उधार का सारांश ऋणी समूहवार—समाप्त

निम्नानुसार प्रकरणों में “शाश्वतकालीन ऋण” स्वीकृत किये गये हैं :—

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	ऋणी संस्था	अनुज्ञाप्ति का वर्ष	अनुज्ञाप्ति का आदेश क्रमांक	राशि	ब्याज का दर
इस प्रकार का प्रकरण निरंक है।					

भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2018 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2019 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) (6–2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सामान्य सेवायें							
सरकारी कम्पनियाँ	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
योग—सामान्य सेवाएं	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवायें							
विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाएं	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	387.23	44.14	133.09	0.00	298.28	(-)88.95	0.00
शहरी विकास प्राधिकरण	46.80	46.30	0.00	0.00	93.10	(+)46.30	0.00
गृह निर्माण मंडल	49.30 ⁸	0.00	0.00	0.00	49.30	0.00	0.00
सांविधिक निगमों	0.54 ⁹	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00
अन्य	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00
योग—सामाजिक सेवायें	489.94 ¹⁰	90.44	133.09	0.00	447.29	(-)42.65	0.00
आर्थिक सेवायें							
पंचायती राज संस्थाएं	13.65	0.00	0.28	0.00	13.37	(-)0.28	0.00
नगर निगम, नगर पालिकायें / नगर परिषद / नगर पंचायत	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
सांविधिक निगम	159.57	0.00	22.57	0.00	137.00	(-)22.57	0.00

⁸ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 44.72 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 40 पर दर्शाया गया है।

⁹ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 0.15 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 40 पर दर्शाया गया है।

¹⁰ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 44.87 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 40 पर दर्शाया गया है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—जारी

भाग 2 : कर्ज तथा उधार का सारांश : प्रक्षेत्रवार—समाप्त

(₹ करोड़ में)

प्रक्षेत्र	1 अप्रैल 2018 को बकाया शेष	वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान ऋणों तथा पेशगियों को अपलेखित की गई राशि	31 मार्च 2019 को बकाया शेष (2+3)–(4+5)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) (6–2)	बकाया ब्याज भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आर्थिक सेवायें—समाप्त							
सरकारी कम्पनियाँ	416.24 ¹¹	0.00	0.60	0.00	415.64	(–)0.60	14.47
सहकारी समितियाँ / बैंक	226.96 ¹²	150.00	5.49 ¹³	0.00	371.47	(+)144.51	42.35
अन्य	31.88 ¹⁴	0.00	0.01	0.00	31.87	(–)0.01	0.03
योग—आर्थिक सेवायें	848.41¹⁵	150.00	28.95	0.00	969.46	(+)121.05	56.85
शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा पेशगियाँ	6.28	0.00	0.28	0.00	6.00	(–)0.28	0.00
योग—शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा पेशगियाँ	6.28	0.00	0.28	0.00	6.00	(–)0.28	0.00
योग	1,519.63¹⁶	240.44	162.32	0.00	1,597.75	(+)78.12	56.85

¹¹ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 300.37 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 41 पर दर्शाया गया है।

¹² ₹ 2.23 करोड़ (निवल) की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 0.11 करोड़ की वृद्धि हुई है, मुख्य शीर्ष 4408 से शेषों का अंतरण के कारण ₹ 2.47 करोड़ की वृद्धि हुई एवं मुख्य शीर्ष 4425 से पुनर्भुगतान के अंतरण के कारण ₹ 0.35 करोड़ की कमी हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 41 पर दर्शाया गया है।

¹³ गोदाम निर्माण से संबंधित पुनर्भुगतान ₹ 1.08 करोड़ जो वर्ष 2006–07 से 2009–10 (₹ 0.32 करोड़) एवं 2011–12 (₹ 0.76 करोड़) मुख्यशीर्ष 4425 में जमा किया गया था सम्मिलित है।

¹⁴ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 41 पर दर्शाया गया है।

¹⁵ ₹ 302.61 करोड़ (निवल) की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 300.49 करोड़ की वृद्धि हुई है, मुख्य शीर्ष 4408 से शेषों का अंतरण के कारण ₹ 2.47 करोड़ की वृद्धि हुई एवं मुख्य शीर्ष 4425 से पुनर्भुगतान के अंतरण के कारण ₹ 0.35 करोड़ की कमी हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 41 पर दर्शाया गया है।

¹⁶ ₹ 347.48 करोड़ (निवल) की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 345.36 करोड़ की वृद्धि हुई है, मुख्य शीर्ष 4408 से शेषों का अंतरण के कारण ₹ 2.47 करोड़ की वृद्धि हुई एवं मुख्य शीर्ष 4425 से पुनर्भुगतान के अंतरण के कारण ₹ 0.35 करोड़ की कमी हुई है। प्रभाजित राशि का विवरण पृष्ठ क्रमांक 41 पर दर्शाया गया है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—जारी
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह (1)	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2019 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
सरकारी कम्पनियाँ					
छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम मर्यादित (6075)	174.00	..	174.00	2017–18	174.00
छत्तीसगढ़ उद्योग विकास निगम	0.00	5.57	5.57	2005–06	0.00
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित (6801)	50.33	4.70	55.03	2008–09	
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित (6801)	85.63	जा.अ. ¹⁷	85.63	2008–09	380.46 [#]
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित (6801)	15.69	4.20	19.89	2008–09	
सहकारी समितियाँ/बैंक/शक्कर कारखाना					
भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	30.00	4.35	34.35	2017–18	75.00
दन्तेश्वरी मैयूरा सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	46.91	17.52	64.43	2011–12	75.82
महामाया सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	41.39	14.18	55.57	2010–11	95.17
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना (6425)	25.00	3.74	28.74	2017–18	82.00
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ (6408)	13.51	0.53	14.04	2012–13	9.12 [#]
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना—जगदलपुर (6425)	1.27	1.08	2.35	2000–01 के पूर्व	0.32 [#]
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना—जशपुर (6425)	0.50	0.22	0.72	2000–01 के पूर्व	0.44 [#]
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना—रायगढ़ (6425)	0.49	0.21	0.70	2000–01 के पूर्व	1.42 [#]
थोक उपभोक्ता भण्डार जगदलपुर (6425)	0.02	0.01	0.03	2006–07	0.02
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, पेन्ड्रा रोड़ (6408)	0.01	0.00	0.01	2008–09	0.01
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, डौड़ीलोहारा (6408)	0.01	0.01	0.02	2006–07	0.01
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, सारागांव (6408)	0.03	0.02	0.05	2007–08	0.03
प्राथमिक विपणन सहकारी समिति, अकलतरा (6408)	0.14	0.05	0.19	2010–11	0.14
अन्य					
रायपुर दुग्ध संघ (6403)	1.30	जा.अ.	1.30	2000–01 के पूर्व	1.30
छत्तीसगढ़ पर्यटन विकास मंडल (7452)	5.50	जा.अ.	5.50	2009–10	5.50
मेसर्स कंचन स्टोन, बरबसपुर, महासमुन्द (6851)	0.02	0.01	0.03	2016–17	0.02
मेसर्स एम.आई. पालीमर्स, उरला, रायपुर (6851)	0.00	0.02	0.02	2013–14	0.00

शेष पुनर्मिलन के अंतर्गत है

¹⁷ “जा.अ.” जानकारी उपलब्ध नहीं इंगित करता है।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—जारी
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जों का सारांश—जारी

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह (1)	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2019 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध कुल बकाया ऋण (6)
	मूलधन	ब्याज	योग		
अन्य—जारी	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए कर्ज (6202)	0.90 0.01	जा.अ. 0.00	0.90 0.01	2000–01 के पूर्व 2000–01 के पश्चात	0.91
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज (6210)	0.03	जा.अ.	0.03	2000–01 के पूर्व	0.03
जल पूर्ति एवं सफाई के लिए कर्ज (6215)	26.57	जा.अ.	26.57	2000–01 के पूर्व	26.57
आवास के लिए कर्ज (6216)	49.29	जा.अ.	49.29	2000–01 के पूर्व	49.29
शहरी विकास के लिए कर्ज (6217)	18.64 5.86	जा.अ. जा.अ.	18.64 5.86	2000–01 के पूर्व 2000–01 के पश्चात	24.50
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज (6225)	2.71	जा.अ.	2.71	2000–01 के पूर्व	2.71
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज (6235)	1.16 0.07	जा.अ. जा.अ.	1.16 0.07	2000–01 के पूर्व 2000–01 के पश्चात	1.23
प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए कर्ज (6245)	0.83	जा.अ.	0.83	2000–01 के पूर्व	0.83
अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज (6250)	0.91	जा.अ.	0.91	2000–01 के पूर्व	0.91
फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज (6401)	20.92 3.64	जा.अ. जा.अ.	20.92 3.64	2000–01 के पूर्व 2000–01 के पूर्व	24.56
मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज (6402)	8.06	जा.अ.	8.06	2000–01 के पूर्व	8.06
पशु पालन के लिए कर्ज (6403)	0.26	जा.अ.	0.26	2000–01 के पूर्व	0.26
डेयरी विकास के लिए कर्ज (6404)	0.01	जा.अ.	0.01	2000–01 के पूर्व	0.01
वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज (6406)	12.75	जा.अ.	12.75	2000–01 के पूर्व	12.75
खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज (6408)	5.14	जा.अ.	5.14	2000–01 के पूर्व	5.14
सहकारिता के लिए कर्ज (6425)	17.25	0.43	17.68	2000–01 के पूर्व	17.25
अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए कर्ज (6435)	0.03	जा.अ.	0.03	2000–01 के पूर्व	0.03
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कर्ज (6515)	0.58	जा.अ.	0.58	2000–01 के पूर्व	0.58
लघु सिंचाई के लिए कर्ज (6702)	0.12	जा.अ.	0.12	2000–01 के पूर्व	0.12
कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज (6705)	0.05	जा.अ.	0.05	2000–01 के पूर्व	0.05
ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज (6851)	1.81 0.01	जा.अ. जा.अ.	1.81 0.01	2000–01 के पूर्व 2005–06 के पूर्व	1.82
अलौह तथा धातु—कर्म उद्योग के लिए कर्ज (6853)	0.01	जा.अ.	0.01	2000–01 के पूर्व	0.01

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—जारी
भाग 3 : ऋणी संस्थाओं से बकाया कर्जों का सारांश—समाप्त

ऋणी समूह (1)	बकाया ऋण राशि (31 मार्च 2019 की स्थिति में)			निकटतम अवधि जिससे बकाया संबंधित है	दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति में संस्थाओं के विरुद्ध कुल बकाया ऋण (6)
	मूलधन	ब्याज	योग		
अन्य—समाप्त					
उपभोक्ता उद्योग के लिए कर्ज (6860)	1.56	जा.अ.	1.56	2000–01 के पूर्व	1.56
उद्योग तथा खनिज पर अन्य कर्ज (6885)	6.43	जा.अ.	6.43	2000–01 के पूर्व	6.43
सड़क परिवहन के लिए कर्ज (7055)	6.17	जा.अ.	6.17	2000–01 के पूर्व	6.17
पर्यटन के लिये कर्ज (7452)	0.03	जा.अ.	0.03	2000–01 के पूर्व	0.03
सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज (7465)	0.01	जा.अ.	0.01	2000–01 के पूर्व	0.01
योग	683.57	56.85	740.42		1,092.60

नोट : राज्य पुनर्गठन होने के फलस्वरूप वर्ष 2000–01 के पूर्ववर्ती काल के ऋण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभाजित किये गये हैं।

7. सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विवरण—समाप्त
वर्ष 2018–19 में प्रभाजित किये गये ऋण एवं अग्रिम की विस्तृत जानकारी

(₹ करोड़ में)

सामाजिक सेवाएं		
गृह निर्माण मंडल—		
मुख्य शीर्ष	विवरण	राशि
6216	आवास के लिए कर्ज	44.72
सांविधिक निगम—		
6225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज—	
	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को कर्ज	0.15
	योग—सामाजिक सेवाएं	44.87
आर्थिक सेवाएं		
सरकारी कम्पनियाँ		
6401	फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज	
	मध्य प्रदेश बीज एवं फर्म विकास निगम को कर्ज	7.64
6406	वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज	
	मध्य प्रदेश वन विकास निगम को कर्ज	12.75
6408	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज	
	राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को कर्ज	1.06
6801	ऊर्जा परियोजनाओं के लिये कर्ज	
	मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को कर्ज	271.74
6860	उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
	मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम को कर्ज	0.89
	मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम को कर्ज	0.09
	योग—6860	0.98
7055	सड़क परिवहन के लिए कर्ज—	
	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज	6.17
7452	पर्यटन के लिये कर्ज	
	मध्य प्रदेश पर्यटन मण्डल को कर्ज	0.71
	योग—सरकारी कम्पनियाँ	300.37
सहकारी संस्थाएं/बैंक		
6425	सहकारिता के लिए कर्ज	
	मध्य प्रदेश राज्य आदिम सहकारी विकास निगम को कर्ज	0.11
अन्य		
7465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज	0.01
	योग—आर्थिक सेवाएं	300.49
	महायोग	345.36

8. वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूँजी तथा ऋण पत्रों में
सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

प्रतिष्ठान का नाम	2018–19			2017–18		
	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश
सांविधिक निगम	10	86.92 ¹	0.00	2	37.82	0.81
सरकारी कम्पनियाँ	28	6,683.34 ²	0.84	13	6,459.45	3.60
संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ	22	145.21 ³	0.00	5	144.80	0.00
ग्रामीण बैंक	02	25.15	0.00	1	25.15	0.00
सहकारी संस्थाएं तथा स्थानीय निकाय	1523 ⁴	327.42 ^{5,6}	0.65	1523	199.15	0.39
योग	1591	7,268.04^{7,8}	1.49	1544	6,866.37	4.80

¹ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रभाजित सांविधिक निगमों के ₹ 46.55 करोड़ का अंशपूँजी धनवेष्ठन सम्मिलित है। विस्तृत विवरण पृष्ठ क्रमांक 43 पर दर्शायी गई है।

² मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रभाजित सरकारी कंपनियों के ₹ 48.05 करोड़ का अंशपूँजी धनवेष्ठन सम्मिलित है। विस्तृत विवरण पृष्ठ क्रमांक 43 पर दर्शायी गई है। इसके अतिरिक्त इस राशि वर्ष 2018–19 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत हॉलिंग कंपनी द्वारा निर्गत ₹ 175.85 करोड़ का शेयर सर्टिफिकेट राज्य शासन के रूप में समायोजन सम्मिलित है।

³ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रभाजित संयुक्त स्टॉक कंपनियों के ₹ 0.41 करोड़ का अंशपूँजी धनवेष्ठन सम्मिलित है। विस्तृत विवरण पृष्ठ क्रमांक 44 पर दर्शायी गई है।

⁴ 917 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ, 469 आदिम सहकारी सेवा सहकारी समितियाँ, 26 सेवा सहकारी समितियाँ, 13 छत्तीसगढ़ कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 4 शक्कर कारखाना, 7 जिला सहकारी बैंक, 59 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियाँ, 6 बुनकर समितियाँ, 5 मछली पालन सहकारी समितियाँ, 9 कन्युमर्स स्टोर्स, 5 श्रमिक सहकारी, 3 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना सम्मिलित है।

⁵ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रभाजित सहकारी संस्थाओं एवं निकायों के ₹ 128.58 करोड़ का अंशपूँजी धनवेष्ठन सम्मिलित है। विस्तृत विवरण पृष्ठ क्रमांक 44 पर दर्शायी गई है।

⁶ ₹ 2.12 करोड़ (निवल) की कमी हुई। वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को गोदाम निर्माण के लिए दी गई राशि ₹ 7.66 करोड़ (पुनर्नुगतान 10 समान किश्तों में) एवं ₹ 5.54 करोड़ का पुनर्नुगतान ऋण तथा अग्रिम को स्थानांतरित किया गया।

⁷ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रभाजित कुल ₹ 223.59 करोड़ का अंशपूँजी धनवेष्ठन सम्मिलित है। विस्तृत विवरण पृष्ठ क्रमांक 42 एवं 44 पर दर्शायी गई है।

⁸ पूँजीगत व्यय शीर्षों से ₹ 7,125.84 करोड़ का निवेश एवं आरक्षित निधि से ₹ 142.20 करोड़ का निवेश सम्मिलित है।

8. वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार–जारी

वर्ष 2018–19 में प्रभाजित किये गये अंशपूंजी से संबंधित विस्तृत जानकारी

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	सांविधिक निगम/सरकारी कम्पनियॉ/सहकारी संस्थाएं का नाम	वर्ष 2018–19 में प्रभाजित राशि
सांविधिक निगम—		
1	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	37.76
2	मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम, भोपाल	0.36
3	मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल	2.06
4	कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम, मुंबई	0.04
5	मध्य प्रदेश महिला वित्तीय निगम	0.14
6	आदिवासी वित्त एवं विकास निगम	3.44
7	मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम	1.07
8	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल	1.69
योग—सांविधिक निगम		46.55
सरकारी कम्पनियॉ—		
1	मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल	0.52
2	केला तथा फल विकास निगम, चेन्नई	0.01
3	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित, भोपाल	1.08
4	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	21.20
5	मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	0.12
6	मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित	6.47
7	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित	0.71
8	मध्य प्रदेश राज्य टेक्सटाइल निगम, भोपाल	1.86
9	नेशनल न्यूज प्रिंट तथा पेपर मिल्स मर्यादित, नेपानगर	0.45
10	मैग्नीज अयस्क (इंडिया) मर्यादित	0.39
11	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम मर्यादित	0.58
12	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित, नई दिल्ली	0.03
13	धार परिवहन कम्पनी मर्यादित, धार	0.01
14	मध्य प्रदेश उदवहन सिंचाई निगम मर्यादित, भोपाल	1.56
15	मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल	6.22
16	मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित, भोपाल	1.36
17	मध्य प्रदेश पंचायती राज्य वित्त और ग्रामीण विकास निगम, भोपाल	0.07
18	मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम, भोपाल	0.47
19	मध्य प्रदेश चमड़ा विकास निगम भोपाल	0.43
20	मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम, भोपाल	0.28
21	समाचार भारती समाचार एजेन्सी, नई दिल्ली	0.02
22	मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम, भोपाल	0.18
23	मध्य प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम भोपाल	4.03
24	मध्य प्रदेश शहरी विकास वित्त निगम, भोपाल	0.01
योग— सरकारी कम्पनियॉ		48.05

8. वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों के अंशपूंजी तथा ऋण पत्रों में सरकार के निवेशों का तुलनात्मक सार–समाप्त

वर्ष 2018–19 में प्रभाजित किये गये अंशपूंजी से संबंधित विस्तृत जानकारी–समाप्त

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	सांविधिक निगम/सरकारी कम्पनियाँ/सहकारी संस्थाएं का नाम	वर्ष 2018–19 में प्रभाजित राशि
संयुक्त पूंजी कम्पनियाँ—		
1	भारतीय निवेश निगम मर्यादित, मुंबई	0.01
2	मेसर्स शमा इंजन वाल्स मर्यादित, नई दिल्ली	0.01
3	मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग निगम मर्यादित, मुंबई	0.01
4	जिवाजीराव शक्कर कम्पनी मर्यादित दलोदा, जिला मंदसौर	0.02
5	महारानी पार्वतीबाई शक्कर कारखाना मर्यादित, सारंगपुर	0.01
6	विक्रम शक्कर कारखाना मर्यादित, आलोट	0.00 ⁹
7	केसर शक्कर कारखाना मर्यादित मुंबई	0.01
8	ग्वालियर शक्कर कारखाना, डबरा	0.18
9	बंगाल नागपुर सूती कारखाना मर्यादित, राजनांदगांव	0.00 ¹⁰
10	दि कल्याणमल मिल्स मर्यादित, इन्दौर	0.00 ¹¹
11	एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी मर्यादित, मुंबई	0.01
12	हिन्डाल्को मर्यादित, मुंबई (भारतीय राष्ट्रीय अल्युमीनियम कम्पनी मर्यादित का प्रबंध एजन्ट)	0.01
13	टाटा आयरन और स्टील कम्पनी मर्यादित, मुंबई	0.09
14	इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मर्यादित, मुंबई	0.00 ¹²
15	देवास (सीनियर) बिजली आपूर्ति कम्पनी (निजी) मर्यादित, देवास	0.00 ¹³
16	दि टाटा पावर कम्पनी मर्यादित मुंबई	0.03
17	दि सेन्ट्रल प्राविन्सेज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मर्यादित, नागपुर	0.02
	योग—संयुक्त पूंजी कम्पनियाँ	0.41
ग्रामीण बैंक		
1	दि बैंक ऑफ देवास मर्यादित, देवास	0.00 ¹⁴
	सहकारी बैंक एवं समितियाँ	128.58
	महायोग	233.59

⁹ वास्तविक राशि ₹ 27,000.00 है।

¹⁰ वास्तविक राशि ₹ 12,000.00 है।

¹¹ वास्तविक राशि ₹ 6,000.00 है।

¹² वास्तविक राशि ₹ 5,000.00 है।

¹³ वास्तविक राशि ₹ 4,000.00 है।

¹⁴ वास्तविक राशि ₹ 4,000.00 है।

9. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों का विवरण

वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपानियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि को चुकाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों¹ तथा 31 मार्च 2019 को विभिन्न प्रक्षेत्रों में बकाया प्रत्याभूती की राशि निम्नानुसार दर्शाया गया है :—

क्षेत्रवार प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र (प्रत्याभूतियों की संख्या कोष्टक में)	31 मार्च 2019 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	वर्ष 2018–19 के प्रारम्भ में बकाया राशि (01.04. 2018)	वर्ष के दौरान प्रदत्त प्रत्याभूति	निरस्त की गई प्रत्याभूति (प्रत्याभूति के भुगतान की जाने के लावा)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूति के विरुद्ध भुगतान		2019 के अन्त में बकाया राशि (31.03.19)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा फीस	अन्य विवरण	
					उन्मोचित	अनुन्मोचित				
ऊर्जा (6)	2,455.00 ²	2,318.12	0.00	422.50	0.00	0.00	1,895.62	0.00	0.00	..
सहकारिता (15)	7,723.81 ³	1,091.00	6,250.00	20.75	0.00	0.00	7,320.25	36.00	5.00	..
राज्य वित्त निगम (60)	393.40 ⁴	83.37	41.01	23.06	0.00	0.00	101.32	0.00	0.00	..
शहरी विकास तथा आवास (93)	8,137.49 ⁵	219.19	800.42 ⁶	5.34	0.00	0.00	1,014.27	3.49	0.00	..
अन्य (3)	864.09 ⁷	170.24	267.72 ⁸	0.00	0.00	0.00	437.96	1.62	0.00	..
योग	19,573.79⁹	3,881.92	7,359.15	471.65	0.00	0.00	10,769.42	41.11	5.00	..

¹ संस्थावार प्रत्याभूति का वर्णन खण्ड-II के विवरण क्रमांक 20 में दर्शाया गया है।

² वित्तीय संस्थाओं से निरंक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण ₹ 429.30 करोड़ की प्रत्याभूति विलोपित की गई है। इस प्रत्याभूति की राशि में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (सी.एस.पी.डी.सी.एल.) को “कृषक जीवन ज्योति योजना” के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए ₹ 1,955.00 करोड़ का प्रत्याभूति सम्मिलित है। सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा ली गई संपूर्ण ऋण राशि के ब्याज सहित पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य शासन का होगा।

³ ₹ 6,250.00 करोड़ की सात नई प्रत्याभूति सम्मिलित है।

⁴ ₹ 124.61 करोड़ की छ: नई प्रत्याभूति सम्मिलित है।

⁵ ₹ 7,079.28 करोड़ की चार नई प्रत्याभूति सम्मिलित है। वर्ष 2017–18 में छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹ 800.00 करोड़ का केनरा बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु एवं वर्ष 2018–19 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने आवासीय भवनों के क्रय हेतु इलाहाबाद बैंक से ₹ 195.00 करोड़ के ऋण प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को प्रत्याभूति प्रदान की। यह राज्य शासन का ऑफ बजट दायित्व है एवं राज्य शासन ने इस ऋण का ब्याज सहित दिनांक 31.03.2019 तक भुगतान करेगा। ₹ 800.00 करोड़ की प्रत्याभूति के विरुद्ध ₹ 401.64 करोड़ का प्रत्याभूति के विरुद्ध ₹ 195.00 करोड़ का ऋण लिया गया। ₹ 0.69 करोड़ की प्रत्याभूति राशि को वित्तीय संस्थानों से निरंक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण विलोपित किया गया।

⁶ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदाय की गई ₹ 800.00 करोड़ की प्रत्याभूति के विरुद्ध ₹ 401.64 करोड़ की नई ऋण राशि आहरित की गई। यह प्रत्याभूति 31 मार्च 2019 की स्थिति में प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के अंतर्गत सम्मिलित है।

⁷ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने दो वित्तीय संस्थानों इलाहाबाद बैंक से ₹ 400.00 करोड़ तथा केनरा बैंक से ₹ 400.00 करोड़ (कुल ₹ 800.00 करोड़) की ऋण प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को वर्ष 2017–18 में ₹ 800.00 करोड़ की प्रत्याभूति प्रदान की। यह राज्य शासन का ऑफ बजट दायित्व है तथा ऋण तथा ब्याज का पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2018–19 में इस प्रत्याभूति के विरुद्ध ₹ 204.71 करोड़ का ऋण लिया गया।

⁸ दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर को प्रदान की गई ₹ 64.00 करोड़ की पुरानी प्रत्याभूति के विरुद्ध ₹ 63.01 करोड़ की नई ऋण प्राप्त की गई।

⁹ चालू वर्ष में राज्य शासन ने ₹ 13,453.89 करोड़ की नई प्रत्याभूति प्रदान की एवं ₹ 429.99 करोड़ की प्रत्याभूति विलोपित की गई।

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण

(i) नकद भुगतान की गई सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग/नाम		वर्ष 2018–19 में सहायता अनुदान के रूप में कुल विमुक्त राशि		कालम क्रमांक (2) की कुल विमुक्त राशि में से पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त राशि			
(1)		(2)		(3)			
		राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.क्षे.यो. सहित)	योग	राज्य निधि से व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.क्षे.यो. सहित)	
1.	पंचायती राज संस्थायें	3,608.36	3,296.81	6,905.17	443.83	0.00	443.83
	(i) जिला पंचायत	301.94	3,122.68	3,424.61	0.20	0.00	0.20
	(ii) जनपद पंचायत	1,190.59	169.77	1,360.36	0.00	0.00	0.00
	(iii) ग्राम पंचायत	2,115.83	4.36	2,120.20	443.63	0.00	443.63
2.	शहरी स्थानीय निकाय	1,841.74	936.99	2,778.73	262.77	0.00	262.77
	(i) नगर निगम	974.72	807.70	1,782.42	143.66	0.00	143.66
	(ii) नगर पालिकाएं/नगर पालिका परिषद	479.61	85.38	564.99	67.05	0.00	67.05
	(iii) नगर पंचायत	387.41	43.91	431.32	52.06	0.00	52.06
3.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,514.89	1.07	1,515.96	243.42	0.00	243.42
	(i) शासकीय कम्पनियाँ	1,503.19	0.00	1,503.19	241.80	0.00	241.80
	(ii) सांविधिक निगम	11.70	1.07	12.77	1.62	0.00	1.62
4.	स्वशासी निकाय	425.28	132.27	557.55	119.63	132.27	251.90
	(i) विश्वविद्यालय	170.44	0.00	170.44	5.00	0.00	5.00
	(ii) विकास प्राधिकरण	141.14	130.27	271.41	89.63	130.27	219.90
	(iii) सहकारी संस्थाएं	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00
	(iv) अन्य	43.59	2.00	45.59	25.00	2.00	27.00
5.	अशासकीय संगठन	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30
6.	अन्य (सरल क्रमांक 1 से 5 के अतिरिक्त)	9,791.98	3,347.72	13,139.70 ¹	812.96	215.27	1,028.23
	योग	17,182.55	7,714.86	24,897.41 ²	1,882.91	347.54	2,230.45 ³

¹ दिये गये सहायता अनुदान में आयोग (₹ 8.25 करोड़), महाविद्यालय (₹ 71.85 करोड़), मण्डल (₹ 47.72 करोड़), समिति (सहकारी समितियों के अलावा) (₹ 2,870.45 करोड़), एसोसिएशन (₹ 1.64 करोड़), व्यक्तिगत अनुदान (₹ 358.26 करोड़), जल समितियाँ (₹ 4.01 करोड़), अशासकीय संगठन (₹ 12.59 करोड़), अकादमी (₹ 2.20 करोड़), सरकारी संगीत स्कूल (₹ 0.18 करोड़), अभिकरण (₹ 838.17 करोड़), फाऊन्डेशन (₹ 0.03 करोड़), संघ (₹ 14.83 करोड़), वन प्रबंध समितियाँ (₹ 14.92 करोड़), विद्यालय (₹ 133.22 करोड़), परिषद (₹ 65.78 करोड़), संस्थाएं (₹ 7.71 करोड़), केन्द्र (₹ 25.39 करोड़), कमेटी (₹ 0.48 करोड़), पशुपालन अस्पताल एवं औषधालय (₹ 0.83 करोड़), मिशन (₹ 310.70 करोड़), मत्स्य सहकारी समितियाँ (₹ 8.73 करोड़), स्वयं सहायता समूह (₹ 5.96 करोड़), एवं अन्य (₹ 8,335.80 करोड़) सम्मिलित है।

² उद्देश्य शीर्ष 14—सहायता अनुदान (₹ 22,898.67 करोड़) एवं उद्देश्य शीर्ष 45—पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (₹ 1,998.74 करोड़) के अन्तर्गत दर्ज व्यय सम्मिलित किये गये हैं।

³ उद्देश्य शीर्ष 45—पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान (₹ 1,998.74 करोड़), उद्देश्य शीर्ष 14—002 विकास अनुदान (₹ 231.27 करोड़) एवं उद्देश्य शीर्ष 14—004 अधोसंरचना अनुदान (₹ 0.44 करोड़) की दर्ज व्यय राशि सम्मिलित है।

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण—जारी

(ii) वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग/नाम (1)	वर्ष 2018–19 में वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान का कुल मूल्य (2)	पूंजीगत सम्पत्ति की प्रकृति में प्रदत्त सहायता अनुदान का मूल्य (3)
1. पंचायती राज संस्थायें	0.00	0.00
2. शहरी स्थानीय निकाय	0.00	0.00
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.00	0.00
4. स्वशासी निकाय	0.00	0.00
5. अशासकीय संगठन	0.00	0.00
6. अन्य :		
मु.शी. 2202–02–109–5551 हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	22.79	0.00
मु.शी. 2202–01–108–5904 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय	0.49	0.00
मु.शी. 2202–03–103–9805 अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वितरण	0.45	0.00
मु.शी. 2801–80–101–7305 पांच एच.पी. के कृषि पर्म्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	818.23	0.00
मु.शी. 2203–00–001–7745 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय तथा अन्य तकनीकी शिक्षा के अंतिम वर्ष के छात्रों को निःशुल्क लैपटाप तथा वाणिज्य, कला तथा विज्ञान स्नातक/स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष छात्रों को निःशुल्क टैबलेट वितरण	29.14	0.00
मु.शी. 2204–00–104–5223 युवा महोत्सव में भाग लेने वाले युवाओं को ट्रेकसुट का निःशुल्क वितरण	0.79	0.00
मु.शी. 2202–01–109–1394 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदाय	9.89	0.00
मु.शी. 2403–00–101–8898 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों निःशुल्क पशु वितरण	14.45	0.00
मु.शी. 2403–00–106–5260 उन्नत प्रजनन की सुविधा के विस्तार हेतु कृत्रिम गर्भाधान सुविधा विहीन ग्रामों में उन्नत नस्ल के सांड हितग्राहियों को वितरण	0.73	0.00
मु.शी. 2403–00–106–7734 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों बकरी का निःशुल्क वितरण	0.02	0.00

10. सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण—समाप्त

(ii) वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान—समाप्त

(₹ करोड़ में)

ग्रांटी का वर्ग/नाम	वर्ष 2018–19 में वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूरीगत सम्पत्ति की प्रकृति में प्रदत्त सहायता अनुदान का मूल्य
(1)	(2)	(3)
6. अन्य :		
मु.शी. 2403–00–103–846 अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क वितरण	2.38	0.00
मु.शी. 2403–00–105–9332 विनियम के आधार पर उन्नत नस्ल के सूकरों का निःशुल्क वितरण	0.94	0.00
मु.शी. 2403–00–106–9333 उन्नत नस्ल के ग्रेडेड जमुनापाली बकरों का निःशुल्क वितरण।	0.41	0.00
योग	900.71	0.00

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	वास्तविक					
	2018–19			2017–18		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	4,102.98	60,308.19	64,411.17	3,720.18	52,509.57	56,229.75
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	28.07	8,875.38	8,903.45	24.17	9,976.79	10,000.96
लोक ऋण, कर्ज तथा पेशगियां, अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अन्तर्गत भुगतान तथा आकस्मिकता निधि को अन्तरण (क)	1,145.89	240.69	1,386.58	999.88	369.83	1,369.71
योग	5,276.94	69,424.26	74,701.20	4,744.23	62,856.19	67,600.42
(क) ये आंकड़े निम्नवत निकाले गए हैं :						
लोक ऋण –						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	953.27	..	953.27	827.74	0.00	827.74
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा पेशगियां	192.62	..	192.62	172.14	0.00	172.14
कर्ज तथा उधार *						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	200.00	200.00
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	..	90.44	90.44	0.00	93.20	93.20
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	..	150.00	150.00	0.00	75.56	75.56
सरकारी कर्मचारियों को कजे, आदि	0.00	0.00	0.00
अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.25	0.25	0.00	1.07	1.07
आकस्मिकता निधि को अन्तरण						
आकस्मिकता निधि को अन्तरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	1,145.89	240.69	1,386.58	999.88	369.83	1,369.71

* विस्तृत लेखा विवरण क्रमांक 18—“सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम का विस्तृत विवरण” पृष्ठ क्रमांक 391 से 435 में दिया गया है। वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के कुल व्यय का प्रतिशत निम्नानुसार था :

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित	दत्तमत
2017–18	7.02	92.98
2018–19	7.06	92.94

12. वर्ष 2018–19 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग (राजस्व खाते से भिन्न)
का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018–19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
पूंजीगत और अन्य व्यय			
पूंजीगत व्यय (उप-क्षेत्रवार)			
अन्य सामान्य सेवाएं	262.14*	21.81	283.95 ^५
लोक निर्माण	1,975.76*	238.70 ^१	2,214.46
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3,939.07 ^२	490.37	4,429.44
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2,382.88*	214.49	2,597.37
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	6,346.90 ^३	690.68	7,037.58
सूचना तथा प्रसारण	1.63*	0.00	1.63
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,977.75*	339.50	3,317.25
समाज कल्याण तथा पोषण	722.64*	9.92	732.56
अन्य समाज सेवाएं	359.30*	28.83	388.13
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	1,204.20 ^४	86.90	1,285.84 ^५
ग्राम विकास	3,743.60*	588.68	4,332.28
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	20,164.99 ^६	1,588.45	21,753.44
ऊर्जा	8,864.60 ^७	790.26 ^८	9,654.86
उद्योग तथा खनिज	2,032.50*	23.85 ^९	2,056.35
परिवहन	22,982.00*	4,104.05 ^{१०}	27,086.05
अन्य संचार सेवाएं	8.96	208.00	216.96
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	8.91	2.13	11.04

* मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रभाजित राशि सम्मिलित की गई।

^१ पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 233.99 करोड़), लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 4.74 करोड़) एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 45.22 करोड़) सम्मिलित हैं।

¹ यह सकल आंकड़े हैं। मुख्यशीर्ष 4059 के अन्तर्गत दर्ज व्यय ₹ 4.99 करोड़ को “अधोसंरचना उपकर विकास निधि” (8229–200) को अंतरित किया गया है।

² पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।

³ पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।

⁴ छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के व्यय एवं पुनर्भुगतान को मुख्यशीर्ष 4408 (₹ 2.47 करोड़) एवं मुख्यशीर्ष 4425 (₹ 0.35 करोड़ का पुनर्भुगतान) से मुख्यशीर्ष 6408 में अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 2.12 करोड़ कमी हुई है।

⁵ सहकारी समितियों एवं बैंकों की पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 5.26 करोड़ कमी की गई।

⁶ पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की वृद्धि की गई।

⁷ ₹ 771.30 करोड़ की वृद्धि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य पावर होलिंग कंपनी द्वारा निर्गत ₹ 175.85 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट को राज्य शासन के लेखे में अंशपूंजी धनवेष्ठन के रूप में सामायोजित किये जाने के कारण ₹ 175.85 करोड़ की वृद्धि हुई एवं ‘विद्युत विकास निधि’ से संबंधित वर्ष 2014–15 (₹ 158.31 करोड़), वर्ष 2015–16 (₹ 209.35 करोड़) तथा वर्ष 2016–17 (₹ 227.79 करोड़) कुल ₹ 595.45 करोड़ व्यय को मद “धाटां–विद्युत विकास निधि से अंशदान” के विरुद्ध दर्शाए जाने के कारण वृद्धि हुई है।

⁸ यह सकल आंकड़े हैं। मुख्यशीर्ष 4801 में दर्ज ₹ 100.00 करोड़ एवं 4810 में दर्ज ₹ 95.27 करोड़ कुल ₹ 195.27 करोड़ विद्युत विकास निधि (8229–110) को अंतरित किया गया है।

⁹ यह सकल आंकड़े हैं। मुख्यशीर्ष 4853 के अन्तर्गत दर्ज व्यय ₹ 3.40 करोड़ को खनिज विकास निधि (8229–200) को अंतरित किया गया है।

¹⁰ यह सकल आंकड़े हैं। मुख्यशीर्ष 5054 के अन्तर्गत दर्ज व्यय ₹ 81.66 करोड़ को अधोसंरचना विकास उपकर निधि (8229–200) को अंतरित किया गया एवं मुख्यशीर्ष 5054 में दर्ज राशि ₹ 251.62 करोड़ को केन्द्रीय सड़क निधि (8449–103) को अंतरित किया गया है।

**12. वर्ष 2018–19 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण—जारी**

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018–19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
पूंजीगत और अन्य व्यय—जारी			
पूंजीगत व्यय (उप-क्षेत्रवार)—समाप्त			
सामान्य आर्थिक सेवाएं	149.70* ¹¹	13.77	163.47
योग—पूंजीगत व्यय	78,127.53 ¹²	9,440.39	87,562.66 ¹³
ऋण एवं अग्रिम			
सामान्य सेवाएं			
विविध सामान्य सेवाएं	175.00	0.00	175.00
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	0.90	0.00	0.90
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	0.03	0.00	0.03
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	483.33*	(-)42.65 ¹⁴	440.68
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.71*	0.00	2.71
समाज कल्याण तथा पोषण	2.06	0.00	2.06
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.91	0.00	0.91
आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	444.76* ¹⁵	121.69	566.45
ग्राम विकास	0.58	0.00	0.58
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	0.17	0.00	0.17
ऊर्जा	380.46*	0.00	380.46
उद्योग तथा खनिज	10.74*	(-)0.64 ¹⁴	10.10
परिवहन	6.17*	0.00	6.17
सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.53*	0.00	5.53
शासकीय कर्मचारियों को ऋण	6.28	(-)0.28 ¹⁴	6.00
योग—ऋण एवं अग्रिम	1,519.63 ¹⁶	78.12	1,597.75

11 पूर्णांक में सुधार के कारण ₹ 0.01 करोड़ की कमी की गई।

12 ₹ 2,299.93 करोड़ (निवल) वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), मध्य प्रदेश द्वारा ऋण शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 1,530.75 करोड़ की वृद्धि हुई, “विद्युत विकास निधि” से संबंधित वर्ष 2014–15 (₹ 158.31 करोड़), वर्ष 2015–16 (₹ 209.35 करोड़) तथा वर्ष 2016–17 (₹ 227.79 करोड़) के व्यय को मद—“घटाएं—विद्युत विकास निधि” से अंशदान के रूप में दर्शाएं जाने के कारण कुल ₹ 595.45 करोड़ वृद्धि हुई है, छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा निर्गत ₹ 175.85 करोड़ के शेयर सर्टिफिकेट को राज्य शासन के लेखे में अंशपूंजी धनवेष्ठन के रूप में सामायोजित किये जाने के कारण ₹ 175.85 करोड़ की वृद्धि हुई तथा छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के व्यय एवं पुनर्भुगतान को मुख्यशीर्ष 4408 (₹ 2.47 करोड़ का व्यय) एवं मुख्यशीर्ष 4425 (₹ 0.35 करोड़ का वसूली) से मुख्यशीर्ष 6408 में अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 2.12 करोड़ कमी हुई है। ₹ 1,530.75 करोड़ के ऋण शेषों के प्रभाजन का विवरण पृष्ठ क्रमांक 56 से 57 तक पर दर्शाया गया है।

13 सहकारी समितियों एवं बैंकों की पूंजी निवृत्ति के कारण अंतशेष में ₹ 5.26 करोड़ कमी की गई।

14 संवितरण से अधिक वसूली के कारण ऋणात्मक आंकड़े हैं।

15 छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के व्यय एवं पुनर्भुगतान को मुख्यशीर्ष 4408 (₹ 2.47 करोड़ का व्यय) एवं मुख्यशीर्ष 4425 (₹ 0.35 करोड़ का वसूली) से मुख्यशीर्ष 6408 में अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 2.12 करोड़ वृद्धि हुई है।

16 मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), मध्य प्रदेश द्वारा ऋण शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 345.36 करोड़ की वृद्धि हुई है तथा छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के व्यय एवं पुनर्भुगतान को मुख्यशीर्ष 4408 (₹ 2.47 करोड़ का व्यय) एवं मुख्यशीर्ष 4425 (₹ 0.35 करोड़ का वसूली) से मुख्यशीर्ष 6408 में अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 2.12 करोड़ वृद्धि होने के कारण कुल ₹ 347.48 करोड़ की वृद्धि हुई है। ऋण राशि ₹ 345.36 करोड़ के प्रभाजन का विवरण पृष्ठ क्रमांक 56 से 57 तक दर्शाया गया है।

**12. वर्ष 2018–19 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण—जारी**

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018–19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
पूंजीगत और अन्य व्यय—समाप्त			
अन्तर्राजीय परिशोधन	0.00	(–) 0.32 ¹⁷	0.00
आकस्मिकता निधि को विनियोजन	0.00	0.00	0.00
योग—पूंजीगत और अन्य व्यय	79,647.16	9,518.19	89,160.41 ¹⁸
घटांए—आकस्मिकता निधि से अंशदान	0.00	0.00	0.00
घटांए—विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान	59.15	5.26	64.41
घटांए—अधोसंरचना विकास उपकर निधि से अंशदान			
मुख्यशीर्ष 4059	156.11	4.99	161.10
मुख्यशीर्ष 5054	80.98	81.66	162.64
घटांए—विद्युत विकास निधि से अंशदान	821.20 ¹⁹	195.27 ²⁰	1,016.47
घटांए—छतीसगढ़ खनिज विकास निगम से अंशदान	1,293.46	3.40	1,296.86
घटांए—केन्द्रीय सड़क निधि से अंशदान	341.82	251.62	593.44
निवल पूंजीगत और अन्य व्यय	76,894.44	8,975.99	85,865.49²¹

¹⁷ यह निवल आंकड़े हैं। इस शीर्ष में ₹ 0.25 करोड़ (नाम) तथा ₹ 0.57 करोड़ (जमा) किया गया। इस शीर्ष के अन्तर्गत विभाजन अवधि के पश्चात के सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं के शेषों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से स्थानांतरित होने से संबंधित संव्यवहारों को प्रदर्शित करता है।

¹⁸ अंतशेष में ₹ 4.94 करोड़ (निवल) की कमी की गई। सहकारी समितियों एवं बैंकों के पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 5.26 करोड़ की कमी तथा शासकीय लेखे में बंद अन्तर्राजीय परिशोधन शीर्ष में ₹ 0.32 करोड़ की वृद्धि की गई।

¹⁹ “विद्युत विकास निधि” से संबंधित वर्ष 2014–15 (₹ 158.31 करोड़), वर्ष 2015–16 (₹ 209.35 करोड़) एवं वर्ष 2016–17 में (₹ 227.79 करोड़) व्यय को इस मद के विरुद्ध दर्शाये जाने के कारण कुल ₹ 595.45 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह राशि इन वर्षों में “पूंजीगत एवं अन्य व्यय” के अन्तर्गत “ऊर्जा” मद के विरुद्ध त्रुटिवश दर्शाया गया था।

²⁰ मुख्यशीर्ष 4801 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 100.00 करोड़ तथा मुख्यशीर्ष 4810 के अन्तर्गत दर्ज ₹ 95.27 करोड़ का व्यय इस निधि से किया गया है।

²¹ अंतशेष में ₹ 4.94 करोड़ (निवल) की कमी की गई। सहकारी समितियों एवं बैंकों की पूंजी निवृत्ति के कारण ₹ 5.26 करोड़ की कमी तथा शासकीय लेखे में बंद अन्तर्राजीय परिशोधन शीर्ष में ₹ 0.32 करोड़ की वृद्धि की गई।

**12. वर्ष 2018–19 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण—जारी**

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018–19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
निधियों का मुख्य स्रोत			
वर्ष 2018–19 के लिए राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	..	(+)683.76	..
(i) जोड़े—पूंजी निवृत्ति/विनिवेश का समायोजन	(-)59.15	0.00	(-)64.41²²
(ii) ऋण—			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	36,690.44	12,863.39	49,553.83
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा पेशागियाँ	2,339.57	360.82	2,700.39
अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि,	6,077.90 ²³	754.51	6,832.41
योग (ii)—ऋण	45,107.91	13,978.72	59,086.63
(iii) अन्य दायित्व			
आकस्मिकता निधि	100.00	(-)4.92	95.08
जमा एवं अग्रिम	6,236.99	(-)231.39	6,005.60
उचंत एवं विविध (शासकीय लेखे तथा रोकड़ शेष निवेश लेखे को बन्द अतिरिक्त राशि)	105.74 ²⁴	(-)21.79	83.95
आरक्षित निधियाँ	3,676.05 ²⁵	164.80	3,840.85
प्रेषण	(-)236.66	(-)122.43	(-)359.09
योग—(iii)—अन्य दायित्व	9,882.12²⁶	(-)215.73	9,666.39
योग—(ii)+(iii) ऋण एवं अन्य दायित्व	54,990.03	13,762.99	68,753.02
(iv) घटाएं—रोकड़ शेष	637.60	(-)316.88	320.72
(v) घटाएं—निवेश	6,156.69	5,787.64	11,944.33²⁷
(vi) घटाएं— आकस्मिकता निधि को विनियोजन
योग—(i)+(ii)+(iii)—(iv)—(v)—(vi)+(vii) निधियों का निवल प्रावधान	48,136.59²⁸	8,292.23	56,423.56^(क)

²² सहकारी समितियों एवं बैंकों के ₹ 5.26 करोड़ के पूंजी निवृत्ति को विवरण को संतुलित करने हेतु समिलित किया गया है।

²³ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से शेषों के प्रभाजन के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 2.50 करोड़ की वृद्धि की गई है।

²⁴ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 2.28 करोड़ की वृद्धि की गई है।

²⁵ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से शेषों के प्रभाजन के कारण ₹ 27.27 करोड़ की वृद्धि की गई है।

²⁶ प्रारंभिक शेष में ₹ 29.55 करोड़ की वृद्धि की गई। कृपया पादटीप संख्या 24 एवं 25 देखें।

²⁷ रोकड़ शेष निवेश ₹ 9,759.02 करोड़ एवं उदिष्ट निधियों से निवेश ₹ 2,185.31 करोड़ समिलित है।

²⁸ ₹ 32.05 करोड़ की वृद्धि की गई। कृपया अधिक जानकारी के लिए पादटीप संख्या 23, 24 एवं 25 देखें।

**12. वर्ष 2018–19 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण—जारी**

(क) ₹ 5.26 करोड़ की पूँजी निवृत्ति के समायोजन के कारण ₹ 56,428.82 करोड़ (₹ 48,136.59 करोड़ (+) ₹ 8,292.23 करोड़) से ₹ 5.26 करोड़ का अंतर है। 31 मार्च 2019 तक निवल पूँजीगत और अन्य व्यय (₹ 85,865.49 करोड़) तथा निधियों का निवल प्रावधान (₹ 56,423.56 करोड़) के मध्य ₹ 29,441.93 करोड़ का अन्तर है, जिसे निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :—

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
1.	वर्ष 2000–01 से 2018–19 तक संचयी राजस्व आधिक्य	27,739.81
2.	सामान्य भविष्य निधि शेष इत्यादि से संबंधित वर्ष 2000–01 से 2018–19 तक मध्य प्रदेश से प्रोफार्मा स्थानान्तरण का निवल प्रभाव	(-)2,910.34
3.	जोड़े—वर्ष 2011–12 के दौरान शीर्ष 8229–200 में पंचायत एवं भू राजस्व अधिभार तथा स्टाम्प डियूटी निधि में वर्ष 2006–07 से 2010–11 के मध्य किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण प्रोफार्मा कमी	118.00
4.	जोड़े—प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से अंशपूँजी के प्रोफार्मा स्थानान्तरण के कारण पूँजीगत व्यय के “कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप” उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि छत्तीसगढ़ वन विकास निगम (2012–13) छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागार निगम (2017–18)	6.55 1.52
5.	जोड़े—वर्ष 2013–14 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य वन उत्पाद संघ के ऋणों के प्रोफार्मा स्थानान्तरण के कारण ऋण के “कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप” उप क्षेत्र में प्रोफार्मा वृद्धि	0.06
6.	घटाएं—वर्ष 2012–13 के दौरान पूँजीगत व्यय के उप क्षेत्र “ऊर्जा” में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.03
7.	जोड़े—वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के पूँजीगत व्यय में प्रोफार्मा वृद्धि मुख्य शीर्ष 4055—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के ऋणों को पूँजीगत व्यय में समायोजन वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष 4055—छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान को अंशपूँजी निवेश में समायोजन वर्ष 2015–16 एवं 2018–19 में मुख्य शीर्ष 4801—छत्तीसगढ़ राज्य पावर होलिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट्स को राज्य शासन के अंशपूँजी में समायोजन	10.57 2.00 4,475.90
8.	मुख्य शीर्ष 5054—प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा अवधि से संबंधित व्यय के स्थानान्तरण के कारण	12.83
9.	मुख्य शीर्ष 4225—वर्ष 2017–18 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अत्यांवसायी वित्त एवं विकास निगम के ऋण को अंशपूँजी में समायोजन	0.50
10.	मुख्य शीर्ष 4217—वर्ष 2017–18 के दौरान नया रायपुर विकास प्राधिकरण के ऋण को पूँजीगत व्यय में समायोजन	438.00
11.	वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित व्यय का प्रोफार्मा अंतरण	(-)2.47

**12. वर्ष 2018–19 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण—जारी**

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
12.	वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित पुनर्भुगतान का प्रोफार्मा अंतरण	0.35
13.	घटाएं—वर्ष 2015–16 एवं 2017–18 के दौरान “ऋण एवं अग्रिम” उप क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी मुख्य शीर्ष 6216—ऋणों को पूंजीगत व्यय में रूपान्तरण (2015–16) मुख्य शीर्ष 6425—ऋणों को अनुदानों में रूपान्तरण (2015–16) मुख्य शीर्ष 6852—ऋणों को अनुदानों में रूपान्तरण (2015–16) मुख्य शीर्ष 6217—ऋणों को पूंजीगत व्यय में रूपान्तरण (2017–18) मुख्य शीर्ष 6225—ऋणों को अंशपूंजी में रूपान्तरण (2017–18)	10.57 10.51 22.96 438.00 0.50
14.	जोड़े—वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्यशीर्ष 4408 से 6408 में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के संबंधित व्यय एवं पुनर्भुगतान का प्रोफार्मा अंतरण	2.12
15.	जोड़े—वर्ष 2012–13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र “ऊर्जा” में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा वृद्धि	0.03
16.	जोड़े—वर्ष 2017–18 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के उप क्षेत्र “कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप” में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा वृद्धि	0.06
17.	घटाएं—वर्ष 2012–13 के दौरान ऋण एवं अग्रिम के “शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति” उप क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	4.00
18.	जोड़े—प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से ऋण राशि प्राप्त होने के कारण मुख्य शीर्ष 7610 के अन्तर्गत में प्रोफार्मा वृद्धि 2009–10 2011–12 2016–17 2017–18	0.82 0.36 10.21 6.74
19.	घटाएं—वर्ष 2008–09 तक आकस्मिकता निधि का मुख्य निधियों के अनुप्रयोग के अन्तर्गत त्रुटीपूर्ण दर्शाया जाना	40.00
20.	घटायें—वर्ष 2018–19 तक शासकीय लेखे को बंद राशि	152.56
21.	घटायें—वर्ष 2000–01 से 2018–19 तक प्रगामी अन्तर्राज्यीय समाशोधन	26.10
22.	घटायें—त्र—वर्ष 2016–17 के दौरान आरक्षित निधि के अन्तर्गत राज्य आपदा उन्मोचन निधि से संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति के कारण प्रोफार्मा कमी	(-)278.65
23.	घटायें—त्र—वर्ष 2017–18 के दौरान आरक्षित निधि के अन्तर्गत अधोसंरचना विकास उपकर निधि से संबंधित व्यय के प्रतिपूर्ति प्रोफार्मा कमी के कारण	(-)14.90
24.	घटायें—ट—जमा तथा अग्रिम अन्तर्गत पूर्णाक में सुधार के कारण प्रोफार्मा कमी	0.01
25.	घटायें—वर्ष 2016–17 आकस्मिकता निधि को विनियोजन	60.00
	योग	29,441.93

**12. वर्ष 2018–19 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण—जारी**

वर्ष 2018–19 में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा ₹ 1,876.11 करोड़ का पूंजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम शेषों के प्रभाजित किया गया। प्रभाजित राशि का मुख्यशीर्षवार विवरण निम्नलिखित है :

पूंजीगत व्यय का प्रभाजन का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2018–19 में छत्तीसगढ़ को प्रभाजित राशि
क—सामान्य सेवायें	
अन्य सामान्य सेवायें	2.74
लोक निर्माण कार्य	4.72
योग—क—सामान्य सेवायें	7.46
ख—सामाजिक सेवाएं	
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	95.63
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	23.73
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	46.20
सूचना तथा प्रसारण	0.84
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	141.62
समाज कल्याण तथा पोषण	61.26
अन्य सामाजिक सेवाएं	3.73
योग—ख—सामाजिक सेवाएं	373.01
ग—आर्थिक सेवाएं	
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	179.53
ग्राम विकास	189.99
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	603.90
ऊर्जा	21.73
उद्योग एवं खनिज	74.29
परिवहन	69.72
संचार	0.00
विज्ञान प्रोग्रामिकी तथा पर्यावरण	0.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	11.12
योग—ग—आर्थिक सेवाएं	1,150.28
महायोग	1,530.75
ऋण एवं अग्रिम का प्रभाजन का विवरण	
क—सामान्य सेवायें	
विविध सामान्य सेवायें	0.00
योग—क—सामान्य सेवायें	0.00
ख—सामाजिक सेवाएं	
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण	0.00
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए ऋण	0.00
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	44.72
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.15
समाज कल्याण तथा पोषण	0.00
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00
योग—ख—सामाजिक सेवाएं	44.87

12. वर्ष 2018–19 के अन्त तक निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग
(राजस्व खाते से भिन्न) का विवरण—समाप्त

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष 2018–19 में छत्तीसगढ़ को प्रभाजित राशि
ग—आर्थिक सेवाएं	
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	21.56
ग्राम विकास	0.00
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00
ऊर्जा	271.75
उद्योग एवं खनिज	0.98
परिवहन	6.17
सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.03
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	0.00
योग—ग—आर्थिक सेवाएं	300.49
योग—ऋण एवं अग्रिम	345.36
महायोग	1,876.11

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत
शेषों का सारांश

क – 31 मार्च 2019 को शेष का सारांश निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

नामे शेष	सामान्य लेखे का क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष
	समेकित निधि		
54,890.22	क से घ, छ, ज और ठ का भाग (मु.शीर्ष 8680 केवल)	सरकारी लेखे	..
..	ड.	लोक ऋण	52,254.22
1,597.75	च	कर्ज और पेशगियां	..
	आकस्मिकता निधि		
..	आकस्मिकता निधि		95.08
	लोक लेखा		
..	झ	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	6,832.41
	ज	आरक्षित निधियाँ	
..	(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ		
..	(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधिया		3,440.15
	सकल शेष		3,840.85
2,185.31		निवेश	..
	ट	जमा और पेशगियाँ	
..	ब्याज वाली जमा		
..	बिना ब्याज वाली जमा		5,964.44
1.74		पेशगियां	..
	ठ	उचन्त और विविध	
9,759.02		निवेश	..
..	अन्य मदे		
359.09	ड	प्रेषण	..
320.72	ढ	रोकड़ शेष	..
69,113.85	योग		
	69,113.85		

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश-जारी

मार्च 2019 के लेखा समाप्ति के उपरांत लेखे में दर्शाए गए ₹ 320.72 करोड़ (नामे) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित किये गए 'रिजर्व बैंक के पास जमा' का रोकड़ शेष ₹ 81.15 करोड़ (नामे) के मध्य निवल ₹ 401.87 करोड़ (नामे) का अंतर है, जिसे रोकड़ शेष में सम्मिलित किया गया है। अन्तर समाधानाधीन है।

ख

सरकारी लेखा – सरकारी लेखाओं में बही खाता रखने के सिद्धान्त के अनुपालन में राजस्व, पूंजीगत शीर्षों और सरकार के अन्य लेन-देनों के अन्तर्गत अंकित की गई राशियां जिनके शेष वर्षानुवर्ष लेखाओं में आगे नहीं ले जाए जाते, उन्हे एक शीर्ष में बंद किए जाते हैं जिसे "सरकारी लेखा" कहा जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत जो शेष होता है वह सभी लेन-देनों का संचयी परिणाम को प्रदर्शित करता है।

इस शेष में लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम, अल्प बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिकता निधि इत्यादि के शेषों को जोड़ा जाता है तथा वर्ष के अन्त में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और सिद्ध किया गया है।

इस सारांश के अन्य शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत आनेवाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है जिनके सम्बन्ध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण लेन देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले गए लेखा शीर्ष भी सम्मिलित हैं।

यह समझ लेना चाहिये कि इन शेष राशियों को सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा जोखा नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके हिसाब से न तो राज्य की समस्त भौतिक परिसंपत्तिया जैसे भूमि, भवन, संचार के साधन आदि सम्मिलित होते हैं और न ही उपर्जित देय राशियां या बकाया देयताये जिन्हे सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नगद आधार की लेखाविधि के कारण हिसाब में सम्मिलित नहीं किया जाता।

वर्ष के अंत में शासकीय लेखे के नामे में निवल राशि निम्नानुसार संगणित की गई है :

(₹ करोड़ में)

नामे	विवरण		जमा
46,676.11	क	1 अप्रैल 2018 को सरकारी लेखे का नामे शेष	..
..	ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	65,094.93
..	ग	प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	5.26
64,411.17	घ	व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	..
8,903.45	ड.	व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	..
	च	उचंत तथा विविध (विविध शासकीय लेखा)	..
0.25	छ	अन्तराज्यीय परिशोधन	0.57
..	ज	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	..
..	झ	31 मार्च 2019 को शासकीय लेखे में नामे राशि	54,890.22
1,19,990.98	योग		1,19,990.98

**13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत
शेषों का सारांश—जारी**

1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष ₹ 46,676.11 करोड़ (नामे) को पूर्व वर्ष के अंत शेष ₹ 46,991.54 करोड़ (जमा) से ₹ 315.43 करोड़ (जमा) के प्रोफार्मा समायोजन/सुधार के फलस्वरूप कमी की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

शीर्ष जिसके 1 अप्रैल 2018 के प्रारंभिक शेष में परिवर्तन किया गया		जमा शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	नामे शेष वृद्धि (+)/कमी (-)
च—कर्ज तथा अग्रिम			
6216	आवास के लिए कर्ज—		
02	शहरी आवास		
201	आवास बोर्ड के लिए कर्ज—	..	(+)17.28
03	ग्रामीण आवास		
201	आवास बोर्ड को कर्ज—	..	(+)0.31
80	सामान्य		
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	..	(+)1.40
201	आवास बोर्ड को कर्ज—	..	(+)25.73
	योग—6216	..	(+)44.72
6225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज—		
03	पिछड़े वर्गों का कल्याण—		
800	अन्य कर्ज	..	(+)0.15
	योग—6225	..	(+)0.15
6401	फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज—		
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	..	(+)0.71
800	अन्य कर्ज	..	(+)6.93
	योग—6401	..	(+)7.64
6406	वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज		
104	वानिकी	..	(+)12.75
	योग—6406	..	(+)12.75
6408	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज—		
195	सहकारिता के लिये कर्ज—	प्रभाजित राशि	..
		मुश्ति.4408 एवं 4425 से प्रोफार्मा अंतरण	..
794	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	..	(+)0.06
	योग—6408	..	(+)3.18
6425	सहकारिता के लिए कर्ज		
800	अन्य कर्ज	..	(+)0.11
	योग—6425	..	(+)0.11
6801	बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज—		
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	..	(+)21.38
205	संचरण तथा वितरण	..	(+)19.92
796	जनजाति क्षेत्र उप—योजना—	..	(+)106.87

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत
शेषों का सारांश—समाप्त

शीर्ष जिसके 1 अप्रैल 2018 के प्रारम्भिक शेष में परिवर्तन किया गया		जमा शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	नामे शेष वृद्धि (+)/कमी (-)
च—कर्ज तथा अग्रिम—समाप्त			
6801	बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज—समाप्त	..	(+)123.58
800	विद्युत मण्डल के लिए अन्य कर्ज— योग—6801	..	(+)271.75
6860 उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज—			
01	वस्त्र उद्योग—	..	
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज योग—6860	..	(+)0.98 (+)0.98
7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज—			
101	सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण योग—7055	..	(+)6.17 (+)6.17
7452 पर्यटन के लिये कर्ज—			
01	पर्यटन अधोसंरचना—	..	
101	पर्यटक केन्द्र	..	(+)0.00
796	जनजाति क्षेत्र उप योजना— योग—7452	..	(+)0.02 (+)0.02
7465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज			
101	सामान्य वित्तीय संस्थाएं योग—7465	..	(+)0.01 (+)0.01
	योग—च	..	(+)347.48
झ—लघु बचत, भविष्य निधि आदि			
8011	बीमा तथा पेंशन निधि—	..	
107	राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना योग—8011— बीमा तथा पेंशन निधि	(+)2.50 (+)2.50
	झ—लघु बचत, भविष्य निधि आदि	(+)2.50	..
अ आरक्षित निधि			
8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	..	
122	राज्य आपदा उन्मोचन निधि	(+)27.27	..
	योग—8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	(+)27.27	..
	योग—अ	(+)27.27	..
ठ	उचंत तथा विविध—	..	
8658	उचंत लेखा—	..	
112	स्त्रोत पर कर कटौती उचंत	(+)3.82	..
113	भविष्य निधि उचंत	..	(+)1.54
	योग—8658	(+)3.82	(+)1.54
	योग—ठ	(+)3.82	(+)1.54
	योग	(+)33.59	(+)349.02
	निवल	(-)315.43	

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ

1. विशिष्ट लेखाकरण पद्धति का सारांश –

- (i) **विद्यमानता एवं लेखाकरण अवधि :** यह लेखे छत्तीसगढ़ शासन के 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के संव्यवहारों को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ शासन के प्राप्ति एवं व्यय के लेखों को राज्य के 28 कोषालयों, 53 लोक निर्माण संभागों, 62 सिंचाई संभागों, 36 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभागों, 53 वन संभागों, 29 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों, 33 ग्रामीण विकास संभागों, चार सड़क विकास संभागों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक लेखे तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समायोजन सूचनाओं से संकलित किया गया है। कोषालयों एवं संभागों से लेखाओं का प्रेषण संतोषप्रद था एवं वर्षान्त तक सभी लेखे सम्मिलित किए गए हैं।
- (ii) **लेखाकरण का आधार :** यह लेखे कठिपय पुस्तकीय समायोजनों (**अनुलग्नक-क**), “निरंक भुगतान” प्रमाणकों, एवं “स्रोत पर” कटौत्रे जैसे सामान्य भविष्य निधि, गृह निर्माण अग्रिम आदि को छोड़कर, लेखा अवधि में वास्तविक रोकड़ प्राप्ति एवं संवितरण को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक तथा वित्तीय संपत्तियां जैसे शासकीय निवेश का मूल्य ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है अर्थात् अधिग्रहण / क्रय वर्ष के मूल्य पर। भौतिक सम्पत्ति का मूल्यहास या परिशोधन नहीं होता है। भौतिक सम्पत्तियों के जीवनकाल में हुई क्षतियों को समाप्त या मान्य नहीं किया जाता है। लेखाकरण अवधि में भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति लाभों को लेखाओं में दर्शाया जाता है, किन्तु सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्वों जैसे कि अपने कर्मचारियों के वर्तमान तथा पूर्व सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं :** छत्तीसगढ़ शासन के लेखे भारतीय रूपए में संधारित किए जाते हैं।
- (iv) **लेखाओं का प्रारूप :** संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को ऐसे प्रारूप में रखा जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द “प्रारूप” का व्यापक अर्थ है, जो लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही नहीं बल्कि लेन देनों के वर्गीकरण हेतु उचित शीर्षों के चयन के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है।
- (v) **राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के मध्य वर्गीकरण :** राजस्व व्यय एक आवर्ती स्वरूप का व्यय है जिसे राजस्व प्राप्तियों से ही पूर्ति किया जाना है। पूंजीगत व्यय को स्थायी प्रकार की सम्पत्तियों की बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत शासन लेखांकन मानक-2 के अनुसार, पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान के व्यय को, बिना महालेखाकार की सलाह पर राज्यपाल द्वारा विशेषतः अधिकृत किये बिना, पूंजीगत व्यय को नामे नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य शासन ने बजट प्रावधान कर ₹ 1,998.74 करोड़ के व्यय को महालेखाकार की सहमति प्राप्त किये बिना पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण पर सहायता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय व्यय (₹ 0.85 करोड़), व्यवसायिक सेवाएं (₹ 3.95 करोड़) एवं अनुरक्षण व्यय (₹ 0.21 करोड़) कुल ₹ 5.01 करोड़ राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दर्ज किये गये हैं। (**अनुलग्नक-ख (i) से ख (iv)**)

2. लेखाओं की गुणवत्ता :

(i) वस्तु एवं सेवा कर-

- (क) **अन्य लघु शीर्षों को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियां :** वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। रायपुर सिटी कोषालय को वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में चालान आइडेन्टीफिकेशन नंबर डेटा (सी.आई.एन.) (पेड चालान विवरण) दो स्त्रोत से प्राप्त होता है, गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (आर.बी.आई.)। जी.एस.टी.एन. से प्राप्त चालानों के विवरण में लघुशीर्ष वार विवरण शामिल होते हैं, जबकि आर.बी.आई. से केवल मुख्यशीर्ष वार आंकड़े प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान, जी.एस.टी.एन. के द्वारा वर्ष 2018–19 की लेखाबंदी तक ₹ 4.44 करोड़ का सी.आई.एन. विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

परिणामस्वरूप यह राशि मुख्यशीर्ष 0006—राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत लघुशीर्ष 500—“अन्य लघु शीर्षों को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियाँ” में दर्ज रही। कुछ प्रकरणों में सी.आई.एन. डेटा जी.एस.टी.एन. से प्राप्त हुआ है किन्तु आर.बी.आई. से नहीं। चूंकि शासकीय लेखे नकद आधार पर रखे जाते हैं, अतः ₹ 0.02 करोड़ की प्राप्तियाँ छत्तीसगढ़ शासन के लेखों में जमा नहीं हुई हैं।

- (ख) अग्रिम विभाजन एवं अविभाजित एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) का अंतरण : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश के अनुसार वर्ष 2017–18 में प्राप्त आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन के ₹ 322.00 करोड़ के विरुद्ध ₹ 64.40 करोड़ समायोजित¹ की गई तथा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ₹ 462.00 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ शासन को समनुदेशित किया जाना बताया गया।
- (ii) **लघुशीर्ष 800—‘अन्य व्यय’ एवं ‘अन्य प्राप्तियाँ’ के अन्तर्गत दर्ज राशि :** लघुशीर्ष 800—अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियाँ में राशियाँ केवल तभी दर्ज की जानी चाहिए जब लेखाओं में समुचित लघुशीर्ष उपलब्ध नहीं होते। सामान्यतः लघुशीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि, इससे लेखाओं में पारदर्शिता नहीं होती है। वर्ष के दौरान 44 राजस्व प्राप्ति शीर्षों में ₹ 2,749.90 करोड़ तथा 47 व्यय शीर्षों में ₹ 1,033.96 करोड़ लघुशीर्ष 800 अन्य प्राप्ति/व्यय में वर्गीकृत किये गये जो राज्य शासन की कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 65,094.93 करोड़) का 4.22 प्रतिशत तथा कुल व्यय ₹ 73,314.62 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत) का 1.41 प्रतिशत था। ऐसे प्रकरण जहाँ व्यय एवं प्राप्तियों का अधिकांश भाग (10 प्रतिशत या अधिक) लघुशीर्ष 800—अन्य व्यय/प्राप्ति में वर्गीकृत किया गया है, क्रमशः अनुलग्नक—(ग) एवं (घ) में सूचीबद्ध है।
- (iii) **बजट नियंत्रण अधिकारियों (बी.सी.ओ.) एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य प्राप्तियों एवं व्यय का पुनर्मिलान :** व्यय पर प्रभावी नियंत्रण, बजट की परिसीमा में रखने एवं लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए आवश्यक है कि उनके पुस्तकों में दर्ज सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों से पुनर्मिलान करें। वर्ष में, 94 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 44 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने पूर्ण रूप से एवं 20 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने आंशिक रूप से ₹ 42,232.60 करोड़ (कुल समेकित निधि के व्यय ₹ 74,701.20 करोड़ का 56.54 प्रतिशत) का व्यय का पुनर्मिलान किया। इसी प्रकार प्राप्ति पक्ष में, 40 बजट नियंत्रण अधिकारियों में से 13 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने पूर्ण रूप से एवं इतने ही बजट नियंत्रण अधिकारियों ने आंशिक रूप से कुल ₹ 26,157.33 करोड़ (कुल समेकित निधि के प्राप्तियों ₹ 79,633.18 करोड़ का 32.85 प्रतिशत) के प्राप्तियों का पुनर्मिलान किया। प्राप्तियों एवं व्यय का पुनर्मिलान नहीं किये जाने के कारण लेखों की परिशुद्धता एवं परिपूर्णता प्रभावित होती है।
- (iv) **रोकड़ शेष का पुनर्मिलान :** दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ के अभिलेखानुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष के मध्य ₹ 401.87 करोड़ (नामे)² का निवल अंतर है। यह अंतर मुख्यतः नौ बैंकों³ द्वारा पेंशन राशि ₹ 399.82 करोड़ के भुगतान के कारण है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित शेष में शामिल किया गया किन्तु ट्रेजरी के लेखों में शामिल नहीं किया गया।

¹ वित्त विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 25 फरवरी 2018 के अनुसार, ₹ 322.00 करोड़ की राशि आई.जी.एस.टी. के अनअंतिम/अग्रिम विभाजन के रूप में निर्धारित की गई तथा यह उल्लेख किया गया था कि यह राशि माह अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के मध्य 10 समान मासिक किरतों में समायोजित किया जायेगा। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल ₹ 64.40 करोड़ (अप्रैल 2018–₹ 32.20 करोड़ एवं मई 2018–₹ 32.20 करोड़) की वसूली की गई।

² जुलाई 2019 के अंत तक ₹ 401.16 करोड़ (नामे) का अंतर था।

³ बैंक ऑफ इण्डिया (₹ 83.76 करोड़), सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (₹ 104.64 करोड़), यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (₹ 15.67 करोड़), पंजाब नैशनल बैंक (₹ 39.17 करोड़), देना बैंक (₹ 85.51 करोड़), ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स (₹ 3.99 करोड़), यूको बैंक (₹ 18.10 करोड़), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (₹ 7.08 करोड़) तथा इलाहाबाद बैंक (₹ 37.90 करोड़)।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

- (v) **असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक :** तत्काल किये जाने वाले व्यय, जिसका विवरण तत्समय उपलब्ध नहीं है, ऐसे व्यय हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी संक्षिप्त आकस्मिक देयक के माध्यम से सेवाशीर्ष में नामे कर धनराशि आहरित करने हेतु प्राधिकृत है एवं उनके द्वारा ऐसे समस्त प्रकरणों के विस्तृत देयक (व्यय के समस्त प्रमाणकों सहित) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोषालय संहिता के सहायक नियम 327 के प्रावधानानुसार ऐसे समस्त मामले में विस्तृत आकस्मिक देयक (डी.सी. बिल) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इस तरह प्रेषित किया जाना चाहिए कि जिस माह से आकस्मिक देयक का आहरण संबंधित है, उसके अगले माह की 25 तारीख तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय पहुँच जावें। संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से संबंधित विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुत नहीं किया जाने से व्यय में पारदर्शिता नहीं होती है। दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति में लंबित डी.सी. देयकों का विवरण निम्नानुसार है :

असमायोजित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) देयक का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया डी.सी. देयकों की संख्या	राशि
2017–18	40	115.08
2018–19	248	69.57
योग	288	184.65

मुख्य विभाग जिन्होंने डी.सी. देयक जमा नहीं किये हैं : सहकारिता : ₹ 170.36 करोड़ (92.27 प्रतिशत), उद्योग : ₹ 4.89 करोड़ (2.65 प्रतिशत), ग्रामोद्योग ₹ 5.95 करोड़ (3.22 प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण : ₹ 1.32 करोड़ (0.71 प्रतिशत)।

- (vi) **राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के विरुद्ध लम्बित उपयोगिता प्रमाण—पत्र :** छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय संहिता भाग—1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक एवं अनावर्ती सशर्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण—पत्र विभागीय अधिकारियों जिनके हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर से अनुदान देयक आहरित हुआ है द्वारा जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके पश्यवर्ती वर्ष में 30 सितम्बर अथवा पहले महालेखाकार को प्रेषित किया जाना चाहिए। दिनांक 31 मार्च 2019 को ₹ 7,019.33 करोड़ से संबंधित 534 उपयोगिता प्रमाण—पत्र लम्बित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण—पत्र की संख्या	राशि
2016–17 तक	46	68.70
2017–18	231	2,299.44
2018–19*	257	4,651.19
योग	534	7,019.33

* सिवाय इसके जहाँ स्वीकृति आदेश में अन्यथा न दिया गया हो, वर्ष 2018–19 में आहरित अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2019–20 में देय होगे।

विभाग जिन्होंने वर्ष 2017–18 तक से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए हैं : नगरीय प्रशासन : ₹ 1,199.43 करोड़ (50.65 प्रतिशत), पंचायत एवं ग्रामीण विकास : ₹ 909.09 करोड़ (38.39 प्रतिशत), आवास एवं पर्यावरण ₹ 119.58 करोड़ (5.05 प्रतिशत), कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार : ₹ 54.06 करोड़ (2.28 प्रतिशत), कृषि विभाग : ₹ 35.57 करोड़ (1.50 प्रतिशत) तथा इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी : ₹ 25.82 करोड़ (1.09 प्रतिशत)।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

- (vii) बिना सलाह के नवीन उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का आरंभ किया जाना : वर्ष 2018–19 की अवधि में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से सलाह लिये बिना जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 एवं छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता—भाग—1 के अनुच्छेद 303 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है, बजट में 41 नवीन उपशीर्ष (34 राजस्व अनुभाग, 05 पूंजीगत अनुभाग एवं 01 दोनों राजस्व एवं पूंजीगत के अन्तर्गत) आरंभ किए गए। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2018–19 में इन शीर्षों में बजट प्रदान किया गया तथा राजस्व अनुभाग में ₹ 4,112.71 करोड़ एवं पूंजीगत अनुभाग में ₹ 4.99 करोड़ का व्यय किया गया।
- (viii) व्यक्तिगत निक्षेप खाते (पी.डी. खाता) में राशि का स्थानांतरण : राज्य कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अनुसार राज्य शासन व्यक्तिगत जमा लेखे (जो कि लोक लेखे के भाग हैं) आरंभ करने के लिए अधिकृत है, जिनमें समेकित निधि से राशि आहरित कर (व्यय शीर्ष को नामे कर) विशिष्ट उद्देश्य के उपयोग में की जाती है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व व्यक्तिगत जमा लेखे की अप्रयुक्त राशि को समेकित निधि में वापस स्थानांतरित की जानी चाहिए। राज्य शासन द्वारा मार्च 2019 की अवधि में ₹ 0.50 करोड़ विभिन्न मुख्य शीर्षों से आहरित किये गये एवं व्यक्तिगत निक्षेप खातों में जमा किये गये, जिनका विवरण अनुलग्नक—(ड) में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में इस प्रकार का स्थानांतरण बजट प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाव की ओर इंगित करता है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में व्यक्तिगत जमा लेखे का विवरण निम्नानुसार है :

व्यक्तिगत निक्षेप खातों की जानकारी

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष में वृद्धि/प्राप्तियाँ		वर्ष के दौरान बंद किये गये/वितरण		अंतशेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
263	1,757.00	02	508.61*	34	374.51*	231**	1,891.10

* वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ तथा संवितरण सम्मिलित हैं।

** व्यक्तिगत निक्षेप खाते की कुल संख्या 231 में से 20 खाते में कुल शेष ₹ 3.47 करोड़ दिनांक 31.03.2019 तक निष्क्रिय रहा।

- (i) वर्ष 2018–19 के दौरान कुल ₹ 508.61 करोड़ की राशि प्राप्त हुई तथा ₹ 374.51 करोड़ कुल 113 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में संवितरित किये गये। कुल निवल जमा ₹ 134.10 करोड़ था।
- (ii) 1 से 3 वर्षों के मध्य व्यय नहीं की गई राशि : ₹ 126.18 करोड़।
- (iii) 3 वर्षों से अधिक समय तक व्यय न की गई राशि : ₹ 1,630.82 करोड़।

3. अन्य मद्दें :

- (i) राज्य शासन के ऑफ बजट दायित्व : ₹ 66,749.51 करोड़ के बजट के दायित्व के अतिरिक्त राज्य शासन का विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रति ऑफ बजट दायित्व है, जिसका विवरण निम्नांकित है :
- (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (सी.एस.पी.डी.सी.एल.) : “कृषक जीवन ज्योति योजना” के दो उप योजनाओं ‘एकल बत्ती कनेक्शन हेतु अनुदान’ तथा “5 अश्वशक्ति के कृषक पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने हेतु अनुदान” के अन्तर्गत बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ शासन का सी.एस.पी.डी.सी.एल. के प्रति ₹ 1,955.00 करोड़ का दायित्व था। इस दायित्व को मुक्त करने के क्रम में, छत्तीसगढ़ शासन ने सी.एस.पी.डी.सी.एल. को वर्ष 2016–17 (5 वर्ष के लिए वैध) में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ₹ 1,955.00 करोड़ का ऋण प्राप्त करने हेतु प्रत्याभूति इस शर्त पर प्रदान की, कि इस ऋण के मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य शासन का होगा। प्रथमतः ऋण के देय मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान सी.एस.पी.डी.सी.एल. को करेगा। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के प्रावधान के साथ ₹ 1,955.00 करोड़ के गारंटी के विरुद्ध देय मूलधन एवं ब्याज का प्रावधान किया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान उपरोक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत राज्य शासन ने क्रमशः ₹ 363.14 एवं ₹ 2,975.68 करोड़ का प्रावधान किया तथा सी.एस.पी.डी.सी.

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

एल. को क्रमशः ₹ 363.14 करोड़ एवं ₹ 1,645.31 करोड़ विमुक्त किया। इन योजनाओं से संबंधित संस्थीकृति आदेशों में आर्थिक सहायता हेतु विमुक्त राशि एवं ₹ 1,955.00 करोड़ का ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान एवं ब्याज हेतु विमुक्त राशि पृथक रूप से दर्शाई नहीं जाती है। परिणामस्वरूप वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य शासन द्वारा सी.एस.पी.डी.सी.एल. को भुगतान किये गये मूलधन/ब्याज राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2019 तक सी.एस.पी.डी.सी.एल. ने वित्तीय संस्थानों को ₹ 559.38 करोड़ के मूलधन एवं ₹ 404.10 करोड़ के ब्याज का पुनर्भुगतान किया।

(ख) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (सी.एच.बी.) : शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु 6,424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने सी.एच.बी. को कैनरा बैंक से ₹ 800.00 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए प्रत्याभूति (वर्ष 2031 तक वैध) प्रदान किया। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के मध्य दिनांक 14 जुलाई 2017 को समझौता हुआ। समझौते के अनुसार, उक्त कार्य हेतु प्राप्त किये गये ऋण के ब्याज एवं किश्त का भुगतान आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा सी.एच.बी. को वास्तविक आधार पर करेगा। वर्ष 2018–19 के दौरान, सी.एच.बी. ने ₹ 401.64 करोड़ का ऋण प्राप्त किया तथा ₹ 33.61 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया जिसके विरुद्ध सी.एच.बी. को कोई भी राशि राज्य शासन द्वारा भुगतान नहीं किया गया। सी.एच.बी. ने 31 मार्च 2019 तक कुल ऋण राशि ₹ 562.66 करोड़ प्राप्त किया (31 मार्च 2018 तक का ₹ 161.02 करोड़ सम्मिलित) एवं कुल ₹ 36.20 करोड़ (31 मार्च 2018 तक का ₹ 2.59 करोड़ सम्मिलित) का ब्याज का भुगतान किया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 के दौरान, राज्य शासन ने सी.एच.बी. से ₹ 216.64 करोड़ की लागत पर 728 फ्लैट इस शर्त क्रय किया कि सी.एच.बी. उक्त राशि के ऋण प्राप्त करेगा एवं राज्य शासन सी.एच.बी. को 15 वर्ष में ऋण का पुनर्भुगतान करेगा। सितम्बर 2018 में राज्य शासन ने सी.एच.बी. को इलाहाबाद बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु ₹ 195.00 करोड़ की प्रतिभूति जारी की। सी.एच.बी. ने वर्ष 2018–19 के दौरान संपूर्ण ऋण प्राप्त की तथा ₹ 6.29 करोड़ का ब्याज भुगतान किया जिसके विरुद्ध राज्य शासन ने सी.एच.बी. को कोई राशि प्रदान नहीं की।

उक्त दोनों प्रकरणों में 31 मार्च 2019 की स्थिति में राज्य शासन का कुल दायित्व मूलधन के लिए ₹ 757.66 करोड़ (31 मार्च 2018 तक का ₹ 161.02 करोड़ सम्मिलित) एवं ब्याज हेतु ₹ 42.49 करोड़ (31 मार्च 2018 तक का ₹ 2.59 करोड़ सम्मिलित) है।

(ग) छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन मर्यादित (सी.पी.एच.सी.एल.) : पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने सी.पी.एच.सी.एल. को दो वित्तीय संस्थानों यथा, इलाहाबाद बैंक (₹ 400.00 करोड़) तथा कैनरा बैंक (₹ 400.00 करोड़) से कुल ₹ 800.00 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए जून/जुलाई 2017 में प्रत्याभूति (वर्ष 2027 तक वैध) प्रदान की। वर्ष 2018–19 के दौरान, सी.पी.एच.सी.एल. ने ₹ 204.71 करोड़ का ऋण प्राप्त किया एवं ₹ 22.53 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया जिसके विरुद्ध राज्य शासन द्वारा सी.पी.एच.सी.एल. को ₹ 23.60 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किया गया।

31 मार्च 2019 की स्थिति में राज्य शासन का मूलधन हेतु कुल दायित्व ₹ 374.86 करोड़ (31 मार्च 2018 तक का ₹ 170.15 करोड़ सम्मिलित) है।

(ii) सेवानिवृत्ति हितलाभों का दायित्व :

1 नवम्बर 2004 को या पश्चात नियुक्त कर्मचारी : 1 नवम्बर 2004 को या पश्चात नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारी नवीन “परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना” के पात्र हैं। योजना के दिशानिर्देशानुसार, कर्मचारी मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है। कर्मचारी अंशदान लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 8342–117 में जमा किया जाता है एवं तदोपरान्त नेशनल

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

सिक्युरिटीज् डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से मनोनीत निधि प्रबन्धक को स्थानांतरित किया जाता है। नियोक्ता अंशदान सीधे मुख्यशीर्ष 2071 को नामे कर एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है। वर्ष 2018–19 में कुल ₹ 760.25⁴ करोड़ निधि में जमा हुए, जिसमें ₹ 757.01 करोड़ कर्मचारियों का अंशदान एवं ₹ 3.24 करोड़ जिला पंचायत, इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी तथा नियोक्ता अंशदान सम्मिलित है। वर्ष के दौरान निधि में जमा कुल राशि ₹ 760.25⁵ करोड़ के विरुद्ध ₹ 757.09 करोड़ कर्मचारी अंशदान तथा ₹ 2.98 करोड़ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी तथा नियोक्ता का अंशदान, कुल ₹ 760.07 करोड़ ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किये गये है, परिणामस्वरूप ₹ 0.18 करोड़ कम स्थानांतरित हुए। इसके अतिरिक्त, ₹ 757.01 करोड़ के नियोक्ता अंशदान के विरुद्ध, राज्य शासन द्वारा ₹ 757.00 करोड़ का अंशदान किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 0.01 करोड़ कम अंशदान हुआ। 31 मार्च 2019 को लेखाशीर्ष 8342–117 के अन्तर्गत ₹ 22.41 करोड़ शेष रहा। वित्त लेखे में दर्शाये गये इस शीर्ष के अंतर्शेष ₹ 22.41 करोड़ तथा राज्य शासन के द्वारा सूचित अवशेष ₹ 17.14 करोड़ के मध्य का अंतर पुनर्मिलान के अधीन है। असंग्रहित, असंगत एवं अस्थानांतरित राशियों मय अर्जित ब्याज इस योजना में बकाया दायित्व दर्शाती है।

- (iii) कर्ज एवं अग्रिम :** राज्य शासन, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों इत्यादि तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत करती है। 31 मार्च 2019 को, राज्य शासन के द्वारा प्रदत्त ₹ 1,597.75⁶ करोड़ के ऋण अवशेष है जिसमें से ₹ 683.57 करोड़ (42.78 प्रतिशत) संचित ब्याज ₹ 56.85 करोड़ सहित बकाया है। कुल बकाया ऋण राशि में दिनांक 31.10.2000 से पूर्व समय में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया ₹ 40.52 करोड़ के ऋण सम्मिलित है जिसे छत्तीसगढ़ शासन को 1 नवम्बर 2000 को प्रभाजित किये गये थे तथा दिनांक 31.03.2019 तक कोई भी पुनर्भुगतान नहीं हुआ है। इन ऋणों के अपलेखन के संबंध में राज्य शासन का निर्णय (सितम्बर 2019 तक) अपेक्षित है। इन ऋण का विस्तृत विवरण अनुलग्नक—(च) में दर्शाया गया है। ऋण एवं अग्रिम जिनका लेखा राज्य शासन के विभागों द्वारा रखा जाता है, के दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति में अतिदेय मूलधन एवं ब्याज का विस्तृत जानकारी अपेक्षित है। परिणामतः छत्तीसगढ़ शासन के ऋण एवं अग्रिम दर्शने वाले आस्तियों की स्थिति की पुष्टि नहीं की जा सकती है। वित्त लेखे में दर्शाये गये ऋण एवं अग्रिम के आंकड़े ₹ 380.46 करोड़ तथा राज्य शासन के संस्थाओं द्वारा सूचित ₹ 151.65 करोड़ के मध्य अंतर पुनर्मिलान के अधीन है। विवरण निम्नानुसार है :

ऋण के अंतर का विवरण

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	कंपनी का नाम	वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े	कंपनी के लेखे के अनुसार आंकड़े
1	छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कम्पनी मर्यादित		85.63
2	छत्तीसगढ़ राज्य पावर उत्पादन कम्पनी मर्यादित	380.46	50.33
3	छत्तीसगढ़ राज्य पावर पारेषण कम्पनी मर्यादित		15.69
योग		380.46⁷	151.65

- (iv) राज्य शासन के निवेश :** विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में किये गये शासकीय निवेशों की जानकारी

⁴ कुल जमा राशि ₹ 765.82 करोड़ है जिसमें वर्ष 2018–19 के ₹ 760.25 करोड़ का कर्मचारी अंशदान एवं वर्ष 2006–07 से 2017–18 के दौरान मुख्यशीर्ष 8342–120 में त्रुटिपूर्ण रूप से जमा कर्मचारी अंशदान राशि ₹ 5.57 करोड़ सम्मिलित है।

⁵ इस निधि में कुल डेबिट (नामे) राशि ₹ 785.94 करोड़ है जिसमें वर्ष 2018–19 के ₹ 760.07 करोड़ का कर्मचारी अंशदान, वर्ष 2017–18 में मुख्यशीर्ष 8342–120 में त्रुटिपूर्ण रूप से नामे ₹ 25.52 करोड़ की कर्मचारी अंशदान एवं न्यायिक अधिकारियों के छठवे वेतन आयोग के एरियर की वापरी राशि ₹ 0.35 करोड़ सम्मिलित है।

⁶ वर्ष 2018–19 में छत्तीसगढ़ को प्रभाजित ₹ 345.36 करोड़ सम्मिलित है।

⁷ वर्ष 2018–19 में छत्तीसगढ़ को प्रभाजित ₹ 271.74 करोड़ सम्मिलित है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 8 एवं 19 में दर्शायी गयी है। वर्ष के अंत तक शासन द्वारा 1,591 संस्थाओं में ₹ 7,268.04⁸ करोड़ निवेश किया गया। वित्त लेखे में दशाये गये निवेश के आंकड़े (₹ 52.99 करोड़) तथा राज्य शासन के संस्थाओं द्वारा सूचित आंकड़े (₹ 28.25 करोड़) के मध्य विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है। विवरण निम्नानुसार है :-

निवेश के अंतर का विवरण

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	कंपनी का नाम	वित्त लेखे के अनुसार आंकड़े	कंपनी के लेखे के अनुसार आंकड़े
1	छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम	45.37 ⁹	1.60
2	छत्तीसगढ़ वन विकास निगम	7.62 ¹⁰	26.65
	योग	52.99	28.25

- (v) **उचंत एवं प्रेषण शेष :** वित्त लेखे में उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं जिसकी जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 (खण्ड-II) में दर्शाया गया है। इन शीर्षों के बकाया शेषों की गणना विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से नामें एवं जमा शेषों को जोड़कर की जाती है। मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के विगत तीन वर्षों से संबंधित सकल एवं निवल आंकड़ों की जानकारी अनुलग्नक (छ) में दर्शायी गई है।
- (vi) **प्रत्याभूतियाँ :** राज्य शासन द्वारा, सरकारी कम्पनियों, संविधिक निगमों, स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्जों हेतु प्रत्याभूती दी जाती है। ये प्रत्याभूतियाँ, शासन के समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व है। वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 9 एवं 20 में दर्शाये गये प्रत्याभूतियाँ राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन विधायिका द्वारा बनाया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार प्रत्याभूति नियम, 2003 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति की सीमा किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए गत वित्तीय वर्ष के महालेखाकार के पुस्तकों में दर्शाये गये राज्य के राजस्व आय का 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। मार्च 2019 के अंत में कुल लंबित प्रत्याभूति ₹ 10,769.42 करोड़ थी जो कि राज्य के राजस्व आय यथा ₹ 26,235.10 करोड़¹¹ का 41.05 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान किसी भी प्रत्याभूति को उन्मुक्त नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 28 / 2002 दिनांक 22 मई 2002 के अनुसार दी गई प्रत्याभूतियों पर 0.5 प्रतिशत की दर से प्रत्याभूति शुल्क लिया जाना चाहिए जब तक विशिष्ट रूप से छूट प्रदान नहीं की गई हो। वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त होने वाले ₹ 41.11 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क के विरुद्ध ₹ 5.00 करोड़ प्राप्त कर राज्य शासन के लेखे में जमा किया गया। वित्त लेखे में दर्शाये गये छत्तीसगढ़ राज्य निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को प्रदत्त प्रत्याभूति के आंकड़े ₹ 71.31 करोड़ तथा निगम द्वारा सूचित आंकड़े ₹ 36.00 करोड़ के मध्य विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।
- (vii) **विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को निधि का स्थानांतरण :** राज्य शासन द्वारा राज्य/जिला स्तरीय स्वायत निकायों एवं प्राधिकरणों, समितियों, अशासकीय संगठनों इत्यादि को केन्द्र योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान के रूप में निधि उपलब्ध कराई जाती है। क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष में निधि का पूर्णरूप से उपयोग नहीं की जाती है, इन क्रियान्वयन अभिकरणों के बैंक खाते में पर्याप्त अव्ययित शेष रह जाते हैं। क्रियान्वयन अभिकरणों के खातों में अव्ययित शेष राशि जो की शासकीय लेखों के बाहर (बैंक खातों में) रखी जाती है सहज अभिनिश्चित नहीं होती है। अतः लेखों में दर्शाए गए सरकारी व्यय उस सीमा तक अंतिम नहीं होता है।

⁸ वर्ष 2018–19 के दौरान छत्तीसगढ़ को प्रभाजित ₹ 223.59 करोड़ सम्मिलित है।

⁹ वर्ष 2018–19 के दौरान छत्तीसगढ़ को प्रभाजित ₹ 34.27 करोड़ सम्मिलित है।

¹⁰ वर्ष 2018–19 के दौरान छत्तीसगढ़ को प्रभाजित ₹ 1.08 करोड़ सम्मिलित है।

¹¹ राज्य के राजस्व प्राप्ति में राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व सम्मिलित है। वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 19,894.68 करोड़ एवं करेतर राजस्व ₹ 6,340.42 करोड़ था।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

(viii) आरक्षित निधियाँ :

आरक्षित निधियों की जानकारी वित्त लेखे के विवरण क्रमांक 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट उद्देश्यों हेतु 16 आरक्षित निधियाँ हैं जिसमें से 12 निधियाँ क्रियाशील हैं एवं चार निधियाँ 2000–2001 से 2018–19 की अवधि में अक्रियाशील रहीं। 31 मार्च 2019 के अंत तक इन निधियों में कुल ₹ 3,840.85 करोड़ (₹ 3,821.86 करोड़ क्रियाशील निधियों में एवं ₹ 18.99 करोड़ अक्रियाशील निधियों में) शेष रहा, जिसमें से ₹ 2,185.31 करोड़ (56.90 प्रतिशत) निवेश किया गया।

1. क्रियाशील आरक्षित निधियाँ :—

(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ :

- (i) **राज्य आपदा उन्मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) :** चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 जुलाई 2015 के द्वारा राज्य आपदा उन्मोचन निधि की गठन एवं प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया। इस निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य शासन को 75:25 के अनुपातानुसार निधि में अंशदान करना आवश्यक है। सितम्बर 2018 में भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा 01 अप्रैल 2018 से इस निधि में केन्द्र शासन का अंशदान को 75 प्रतिशत से वृद्धि कर 90 प्रतिशत किये जाने का निर्णय किया।

वर्ष 2018–19 में राज्य शासन द्वारा ₹ 320.81 करोड़ (₹ 224.47 करोड़ के केन्द्रांश, ₹ 47.03 करोड़ राज्यांश एवं राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि से वर्ष 2017–18 में प्राप्त ₹ 49.31 करोड़) निधि को स्थानांतरित किया गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार से दिसम्बर 2018 में प्राप्त किये गये राज्य आपदा उन्मोचन निधि के सहायता अनुदान की कुल राशि ₹ 125.10 करोड़ तथा संबंधित राज्यांश ₹ 13.90 करोड़ को इस निधि को स्थानांतरित नहीं किया गया। इस निधि के शेष में से मुख्यशीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अन्तर्गत प्रथमतः किये गये ₹ 133.53 करोड़ के व्यय को प्रतिपूरित किया गया एवं दिनांक 31 मार्च 2019 को निधि में ₹ 400.70 करोड़ का शेष रखा गया।

राज्य आपदा उन्मोचन निधि की अधिसूचना अनुसार, इस निधि का शेष भारत शासन की प्रतिभूतियों, आक्षणड ट्रेजरी बिल्स, ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यक बैंकों के जमा प्रमाण पत्रों में निवेश किया जाना है। वर्ष 2018–19 में, ₹ 209.28 करोड़ की राशि 182 दिवसीय ट्रेजरी बिलों में निवेश की गई तथा ₹ 7.25 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ जिसे निधि में जमा किया गया है।

(ख) बिना ब्याजवाली आरक्षित निधियाँ :

- (i) **समेकित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ) :** बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर बकाया दायित्वों के उन्मोचन हेतु राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006–2007 में समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार निधि में गत वर्ष के अंत तक बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋणों (+) लोक लेखा दायित्वों) का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत वार्षिक अंशदान किया जाना है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2018–19 में न्यूनतम अंशदान ₹ 264.54 करोड़ (31 मार्च 2018 को बकाया दायित्वों ₹ 52,907.08 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) के विरुद्ध ₹ 100.00 करोड़ अंशदान किया गया। परिणामतः ₹ 164.54 करोड़ का कम अंशदान हुआ। इस निधि में 31 मार्च 2019 को ₹ 2,046.94 करोड़ थे तथा संपूर्ण राशि को भारत शासन की प्रतिभूति में निवेश किया गया है।
- (ii) **गारंटी उन्मोचन निधि (जी.आर.एफ) :** बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य के प्रत्याभूति दायित्व की उन्नुक्ति हेतु गारंटी उन्मोचन निधि का गठन करें। यद्यपि, छत्तीसगढ़ शासन ने उनके पत्र दिनांक 20 मई 2019 के द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश गारंटी मध्यम एवं निम्न जोखिम प्रकृति के होने के कारण गारंटी उन्मोचन निधि का गठन नहीं किया गया है तथा संस्थानों द्वारा राज्य के गठन से ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की गई है एवं संस्थाओं से प्राप्त गारंटी प्रस्तावों के पूर्ण परीक्षण एवं वित्तीय स्थिति के आंकलन के पश्चात ही गारंटी प्रदाय किया जाता है। 31 मार्च 2019 को बकाया गारंटी राशि ₹ 10,769.42 करोड़ थी।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

- (iii) **ग्रामीण विकास निधि :** राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001–02 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण विकास निधि का गठन किया गया है। वर्ष 2018–19 में इस निधि को कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई है तथा 31 मार्च 2019 को ₹ 214.76 करोड़ निधि का शेष था। निधि के गठन करने के आरंभ से कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।
- (iv) **अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण विकास उपकर का गैर स्थानांतरण :** राज्य शासन ने वर्ष 2005 में अधोसंरचना विकास परियोजनाओं एवं पर्यावरण सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक अधिनियम बनाया। यह अधिनियम “छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005” के नाम से जाना जाता है। अधिनियम के अनुसार अधोसंरचना विकास उपकर एवं पर्यावरण विकास उपकर उन सभी भूमि पर लगया जाता है जिनपर भू-राजस्व या किराया लगया जाता है। उपकर की दर भूमि¹² के वर्गीकरण पर निर्भर करता है।
- (क) **अधोसंरचना विकास निधि :** राज्य शासन इस निधि को लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8229–200 ‘अन्य विकास निधियाँ’–0026–‘अधोसंरचना विकास उपकर निधि’ से संचालन करता है। अधोसंरचना विकास उपकर मुख्यशीर्ष 0029–103–0063 के अंतर्गत संग्रह किया जाता है। उपकर का अंतरण मुख्यशीर्ष 2029–797–6754 “अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण” से मुख्यशीर्ष 8229–200–0026 में किया जाता है। व्यय को दर्ज करने का प्रावधान विभिन्न मुख्यशीर्षों के अंतर्गत योजना शीर्ष स्तर पर किया जाता है तथा वर्षांत में इन शीर्षों में यदि व्यय किया गया हो तो, इसे लोक लेखा मुख्यशीर्ष 8229–200–0026 के अंतर्गत नामे किया जाता है।

वर्ष 2016–17 से 2017–18 की अवधि में प्राप्तियों एवं व्यय की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016–17 में राज्य शासन ने ₹ 225.17 करोड़ के उपकर का संग्रह किया एवं ₹ 151.78 करोड़ की राशि 2017–18 में इस निधि में स्थानांतरित किया। वर्ष 2017–18 में ₹ 165.87 करोड़ के उपकर संग्रहित किया गया किन्तु वर्ष 2018–19 में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की गई जिसके कारण राजस्व आधिक्य ₹ 165.87 करोड़ अधिक दर्शाया गया। वर्ष 2016–17 से 2017–18 में ₹ 340.09¹³ करोड़ का व्यय इस निधि में दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 में ₹ 186.65 करोड़ का व्यय इस निधि में दर्ज किया गया। 31 मार्च 2019 तक निधि का शेष ₹ 48.44 करोड़ है।

(ख) **पर्यावरण निधि :** राज्य शासन इस निधि को लोक लेखा से मुख्यशीर्ष 8229–200–‘अन्य विकास निधियाँ’–0021–‘पर्यावरण उपकर निधि’ से संचालित करता है। पर्यावरण उपकर मुख्यशीर्ष 0029–103–0062 के अन्तर्गत संग्रह किया जाता है। उपकर का अंतरण मुख्यशीर्ष 2029–797–6753–‘पर्यावरण निधि को अन्तरण’ से मुख्यशीर्ष 8229–200–0021 को किया जाता है। वर्ष 2017–18 तक इस निधि से संबंधित व्यय को दर्ज करने हेतु प्रावधान योजना शीर्ष स्तर पर विभिन्न मुख्यशीर्ष के अंतर्गत किया जाता था तथा वर्षांत में इन शीर्षों में यदि व्यय किया गया हो तो, इसे लोक लेखा मुख्यशीर्ष 8229–200–0021 के अंतर्गत नामे किया जाता है। वर्ष 2018–19 के बजट में पर्यावरण निधि से संबंधित व्यय दर्ज करने हेतु पृथक प्रावधान नहीं किया गया है।

वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक की अवधि की प्राप्तियों एवं व्यय की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष 2016–17 में राज्य शासन ने ₹ 61.44 करोड़ का उपकर संग्रहित किया तथा संपूर्ण राशि को वर्ष 2017–18 में अंतरित किया। इसी प्रकार वर्ष 2017–18 में ₹ 165.87 करोड़ के उपकर संग्रहित किया गया किन्तु वर्ष 2018–19 में कोई राशि इस निधि में अंतरित नहीं की गई जिसके कारण राजस्व आधिक्य ₹ 165.87 करोड़ अधिक दर्शाया गया। वर्ष 2016–17 से 2017–18 की अवधि में ₹ 12.90¹⁴ करोड़ का व्यय इस निधि में दर्ज किया गया तथा वर्ष 2018–19 में इस निधि में कोई व्यय दर्ज नहीं हुआ। 31 मार्च 2019 तक इस निधि का शेष ₹ 223.73 करोड़ है।

¹² कोयला और लौह अयस्क खनन पट्टे के तहत कवर भूमि पर, खनिज के वार्षिक प्रेषण का प्रत्यक्त टन पर ₹ 7.50, कोयले और लौह अयस्क के अलावा खनन पट्टे के तहत कवर की गई भूमि पर प्रतिवर्ष रायल्टी देय राशि का 7.50 प्रतिशत, उपर्युक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर भूमि राजस्व या किराए की राशि का 7.50 प्रतिशत, जैसा कि मामला हो सकता है, वार्षिक देय होगा।

¹³ वर्ष 2016–17 के ₹ 2.00 करोड़ के व्यय को वर्ष 2017–18 के लेखे में प्रोफार्मा आधार पर समायोजित किया गया है।

¹⁴ वर्ष 2014–15 के ₹ 12.90 करोड़ के व्यय को वर्ष 2017–18 के लेखे में प्रोफार्मा आधार पर समायोजित किया गया है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

(ii) अक्रियाशील आरक्षित निधियाँ :

वर्ष 2000–2001 से 2018–19 की अवधि में चार आरक्षित निधियां अक्रियाशील रहीं। विवरण निम्नानुसार है।

अक्रियाशील आरक्षित निधियाँ की जानकारी

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2019 तक का शेष	कितने—कितने वर्ष से अक्रियाशील
8229—विकास एवं कल्याण निधि	शिक्षा के उद्देश्य के लिए विकास निधि	जमा 0.03	2011–12
	कृषि के उद्देश्य के लिए विकास निधि	जमा 0.06	2000–01
	प्रतिपूरक वनीकरण निधि	जमा 18.89	2008–09
8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	अन्य निधियाँ	जमा 0.01	2000–01
योग		जमा 18.99	..

(ix) जमा लेखे :

केन्द्रीय सङ्क निधि (सीआरएफ) : भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सङ्क निधि (सी.आर.एफ.) से राज्य शासन को विशिष्ट सङ्क परियोजनाओं पर व्यय के लिए वार्षिक अनुदान प्रदाय किया जाता है। वर्तमान लेखांकन प्रक्रियानुसार अनुदान राशि प्रथमतः राजस्व प्राप्ति के रूप में मुख्यशीर्ष “1601—सहायता अनुदान” के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए एवं समतुल्य राशि राजस्व व्यय मुख्यशीर्ष “3054—सङ्कें एवं पुल” को नामे कर लोक लेखे के अधीन मुख्यशीर्ष “8449—अन्य प्राप्तियाँ—103—केन्द्रीय सङ्क निधि से अनुदान” में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि लेखाओं में अनुदान प्राप्ति से राजस्व आधिक्य में बढ़ोत्री (अथवा राजस्व घाटा की कमी) नहीं होवे। विशेष सङ्क परियोजनाओं के व्यय को प्रथमतः संबंधित राजस्व या पूँजीगत मुख्यशीर्षों (मुख्यशीर्ष 3054 या 5054) के अधीन दर्ज कर, तदोपरांत मुख्यशीर्ष 3054 / 5054 को ऋणात्मक नामे कर निधि (मुख्यशीर्ष 8449—103) को तत्संबंधि नामे कर निधि शेष से समायोजित किया जाता है।

राज्य शासन ने उक्त प्रक्रिया का पालन वर्ष 2017–18 तक किया। उक्त लेखांकन प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुये, वर्ष 2018–19 में भारत सरकार से केन्द्रीय सङ्क निधि से प्राप्त ₹ 214.02 करोड़ की राशि में से केवल ₹ 200.00 करोड़ राज्य शासन द्वारा “8449—अन्य प्राप्तियाँ—103—केन्द्रीय सङ्क निधि से अनुदान” में स्थानांतरित किए गए जिससे राजस्व आधिक्य में बढ़ोत्री एवं राजकोषीय घाटे में ₹ 14.02 करोड़ की कमी दर्शित हुई।

(x) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर : “भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996” के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य मूल्य के 1 प्रतिशत की दर से उपकर संग्रहित कर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को स्थानान्तरित किया जाना है। वर्ष 2018–19 में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ₹ 50.51 करोड़ संग्रहित किया गया एवं ₹ 52.66 करोड़ (पूर्व वर्ष के शेषों सहित) कल्याण मण्डल को स्थानान्तरित किया गया तथा शेष ₹ 4.89 करोड़ लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8443 में रखा गया है।

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	अस्थानान्तरित राशि
लोक निर्माण विभाग	3.77
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	0.15
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)	0.17
ग्रामीण विकास मण्डल (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)	0.80
कुल	4.89

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के लेखांकन हेतु लेखांकन नियम तैयार नहीं किया गया है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

- (xi) **आकस्मिक निधि :** छत्तीसगढ़ शासन ने संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत ₹ 100.00 करोड़ की एक आकस्मिक निधि का गठन किया। इस शेष से अग्रिम अप्रत्याशित व्यय को पूर्ण करने के उददेश्य से किए जाते हैं जो कि राज्य विधान मंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करते ही निधि को पूर्ण सीमा तक प्रतिपूर्ति कर दिया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 14.73 करोड़ आकस्मिक निधि से आहरित किए गए एवं मार्च 2019 तक ₹ 9.81 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई तथा ₹ 4.92 करोड़ की प्रतिपूर्ति नहीं की गई। 31 मार्च 2019 को इस निधि का शेष ₹ 95.08 करोड़ था।
- (xii) **चैक्स् एवं बिल :** मुख्यशीर्ष 8670—चैक्स् एवं बिल के अन्तर्गत जमा शेष दर्शाया जाना यह इंगित करता है कि जारी किये गये चैक्स् को 31 मार्च 2019 तक भुनाया नहीं गया है। 1 अप्रैल 2018 को उक्त शीर्ष का प्रारंभिक शेष ₹ 59.12 करोड़ (जमा) था। वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 60,469.72 करोड़ के चैक्स् जारी किये गये हैं जिसके विरुद्ध ₹ 60,468.02 करोड़ के चैक्स् भुनाये गये तथा अंतशेष राशि ₹ 60.82 करोड़ (जमा) रहा।
- (xiii) **केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का पुनर्गठन :** भारत सरकार, नीति आयोग ने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 से मौजूदा सभी 66 केन्द्रीय प्रवर्तित योजना को 28 अम्बेला योजनाओं में युक्तियुक्तकरण किया। ये योजनाएं अब ‘केन्द्र प्रवर्तित योजना’ के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुनर्गठित पद्धति के अनुसार बजट में प्रदर्शित नहीं किया गया तथा पूर्व वर्षों जैसा ही बजट प्रदर्शन जारी रखा।

वर्ष 2018–19 में लेखा नियंत्रक के पब्लिक फायनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल में दर्शाएं गए छत्तीसगढ़ शासन को सहायता अनुदान के ₹ 12,430.17¹⁵ करोड़ के विरुद्ध ₹ 12,505.96^{16,17} करोड़ की राशि के क्लियरन्स मेमो (भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केन्द्रीय लेखा शाखा से) एवं संबंधित मंत्रालयों से स्वीकृतियाँ प्राप्त हुये, जिसे राज्य शासन के लेखे में उचित रूप से दर्ज किया गया। वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये समस्त विमुक्तियाँ एवं मुख्यशीर्ष 1601 में दर्ज विमुक्तियों को उनसे संबंधित राज्य योजनाओं से मैप किया गया तथा परिशिष्ट-V (क) में दर्शाया गया है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ भारत सरकार से केन्द्रीय योजनाओं के लिए विमुक्तियाँ प्राप्त किए गए हैं, परन्तु वर्ष के दौरान राशि का संपूर्ण उपयोग नहीं किया गया है या विमुक्तियों से अधिक व्यय किया गया है, को विवरण क्रमांक 15 के अनुलग्नक में दर्शाया गया है।

- (xiv) **राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानांतरण (राज्य बजट के बाहर से उपलब्ध कराई गई निधियाँ) :** वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के बजट परिपत्र 2018–19 के पैरा 3.2 (ii) के अनुसार केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं में वे योजनाएं शामिल होगी जो केन्द्रीय अभिकरणों यथा मंत्रालयों/विभागों या भारत सरकार की विभिन्न अभिकरणों जैसे स्वायत्त निकायों अथवा अन्य स्पेशल परपस व्हेकल द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एवं क्रियान्वयित होंगे। कुछ प्रकरणों में अपवादस्वरूप एवं वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की विशेष पूर्वानुमति से केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं को संबंधित राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा लागू किये जाने हेतु अनुमति दी जा सकती है। इन प्रकरणों में निधि का अंतरण क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किये जायेंगे, ना कि राज्य के कोषालयों के माध्यम से। वर्ष 2018–19 में दौरान, ₹ 6,381.79 करोड़ की राशि प्रत्यक्ष तौर पर क्रियान्वयन अभिकरणों को स्थानांतरित किये गये। विवरण परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है।

¹⁵ भारत शासन द्वारा वर्ष 2018–19 में विमुक्त की गई राशि की जानकारी पी.एफ.एम.एस. पोर्टल से प्राप्त की गई।

¹⁶ विवरण क्रमांक 14 में मुख्यशीर्ष 1601 के अन्तर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना में ₹ 8,214.77 करोड़ वित्त आयोग अनुदान में ₹ 1,679.48 करोड़ एवं राज्य/विधान मण्डल वाले संघराज्य क्षेत्र को अन्य स्थानांतरण/अनुदान के अन्तर्गत ₹ 2,611.71 करोड़ दर्ज है।

¹⁷ एकीकृत वन्य जीव आवासों के विकास से संबंधित ₹ 1.00 करोड़ एवं सतत शहरी परिवहन परियोजना से संबंधित ₹ 0.22 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य शासन से वसूली को पी.एफ.एम.एस. पोर्टल में सम्मिलित नहीं किये गया, राज्य के अंग से संबंधित ₹ 15.00 करोड़ को पी.एफ.एम.एस. पोर्टल में सम्मिलित किये गये किन्तु राज्य शासन के लेखों में मुख्य शीर्ष 2015 के अंतर्गत चुनाव व्यय के प्रतिपूर्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया, पण के रूप में सहायता अनुदान ₹ 99.67 करोड़ को पी.एफ.एम.एस. पोर्टल में सम्मिलित किया गया राज्य शासन के लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजिकाका मिशन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.आर.एम.) से संबंधित ₹ 1.22 करोड़ को वर्ष 2018–19 में पी.एफ.एम.एस. में सम्मिलित किया गया किन्तु राज्य शासन के लेखों में वर्ष 2019–20 में दर्ज किया गया, एन.आर.एच.एम. एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित ₹ 12.78 करोड़ एवं ₹ 7.66 करोड़ के अनुदान को पी.एफ.एम.एस. पोर्टल में सम्मिलित नहीं किया गया किन्तु राज्य शासन के लेखों में सम्मिलित किया गया गया एवं कोषालय में जमा ₹ 31.44 करोड़ को पी.एस.एम.एस. पोर्टल में सम्मिलित नहीं किया गया किन्तु राज्य शासन के लेखों में सम्मिलित किया गया है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

- (xv) **केन्द्रीय ऋणों का अपलेखन :** तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुपालन में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार, द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2012 को जारी किये गये स्वीकृति अनुसार विभिन्न मंत्रालयों (केवल वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदत्त ऋणों को छोड़कर) द्वारा राज्य शासनों को केन्द्रीय आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति में बकाया ऋणों एवं मंत्रालयों के लेजर में वर्तमान बकाया राशि तक सीमित ऋणों को अपलेखित किया गया है। 31 मार्च 2010 के पश्चात अपलेखित ऋणों के विरुद्ध भुगतान किए मूल एवं ब्याज का समायोजन, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार को केन्द्रीय योजनाओं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के ऋणों के भविष्य में राज्यों से किये जाने वाले पुर्णभुगतान के विरुद्ध किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के ऋण से संबंधित ₹ 0.04 करोड़ (₹ 0.03 करोड़ का मूलधन एवं ₹ 0.01 करोड़ का ब्याज) तथा कृषि मंत्रालय के ऋण से संबंधित ₹ 12.81 करोड़ (₹ 5.03 करोड़ का मूलधन एवं ₹ 7.78 करोड़ का ब्याज) का अधिक भुगतान किया गया। कृषि मंत्रालय से संबंधित उपरोक्त ₹ 12.81 करोड़ के अधिक भुगतान में से, वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012–13 में ₹ 3.26 करोड़ एवं वर्ष 2018–19 में ₹ 7.16 करोड़, वित्त मंत्रालय के बकाया ऋणों के विरुद्ध समायोजित किया गया एवं ₹ 2.39 करोड़ की बकाया राशि को कृषि मंत्रालय द्वारा उनके ऋण अवशेष के विरुद्ध समायोजित किया गया। यह समायोजन ऋण से संबंधित जानकारी अपेक्षित होने के कारण वित्त लेखे में सम्मिलित नहीं किया गया है यथा :— क्या ऋणों को बकाया ब्लॉक ऋणों, बैंक टू बैंक आधार ऋण, 12 वें वित्त आयोग ऋण इत्यादि के विरुद्ध समायोजित किया जाना है एवं किस वर्ष से बकाया ऋण संबंधित है।
- (xvi) **छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 / मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण के अन्तर्गत राजकोषीय लक्ष्य :** छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 4 (1) के अंतर्गत विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये वर्ष 2018–19 के मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार राजकोषीय लक्ष्यों एवं इसके विरुद्ध उपलब्धियों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि / कमी
कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा	(−)6.10 प्रतिशत	लेखा अनुसार वर्ष 2018–19 हेतु राजस्व आधिक्य ₹ 683.76 करोड़ है।
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	3.07 प्रतिशत	लेखा अनुसार वर्ष 2018–19 का राजकोषीय घाटा ₹ 8,292.23 करोड़ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,11,659.54 करोड़ (वर्तमान मूल्य पर) का 2.66 प्रतिशत है।
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया देयताएं	18.06 प्रतिशत	31.03.2019 तक कुल बकाया ऋण लोक लेखा दायित्व समेत ₹ 66,749.51 करोड़ था तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,11,659.54 करोड़ (वर्तमान मूल्य पर) था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से ऋण की प्रतिशतता 21.42 है।
ब्याज भुगतान राज्य के स्वयं के राजस्व के प्रतिशत के रूप में	10.96 प्रतिशत	राजस्व से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 12.54 है। ब्याज भुगतान ₹ 3,652.55 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के राजस्व ₹ 29,130.28 ¹⁸ करोड़ था।
प्राथमिक घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में।	1.92 प्रतिशत	प्राथमिक घाटा ₹ 4,639.68 ¹⁹ करोड़ था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 3,11,659.54 करोड़ (वर्तमान मूल्य पर) 1.49 प्रतिशत है।
ब्याज भुगतान तथा पेंशन कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में।	12.46 प्रतिशत	ब्याज भुगतान एवं पेंशन पर व्यय ₹ 9,081.05 ²⁰ करोड़ था जो कि कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 65,094.93 करोड़ का 13.95 प्रतिशत था।

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोत : भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का पोर्टल

¹⁸ राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹ 21,427.26 करोड़ एवं करेतर राजस्व ₹ 7,703.02 करोड़ सम्मिलित है।

¹⁹ राजकोषीय घाटा ₹ 8,292.23 करोड़ (−)ब्याज भुगतान ₹ 3,652.55 करोड़।

²⁰ ब्याज भुगतान ₹ 3,652.55 करोड़ एवं पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ ₹ 5,428.50 करोड़ सम्मिलित है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

- (xvii) राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट : प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट नहीं है।
- (xviii) भारतीय सरकार का लेखांकन मानकों का अनुपालन : आज दिनांक तक, भारत सरकार द्वारा तीन भारतीय सरकार का लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया गया है। वे हैं :
- सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (भारतीय लेखा मानक-1)
 - सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण (भारतीय लेखा मानक-2)
 - सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमो (भारतीय लेखा मानक-3)

इन तीन मानकों का अनुपालन इस प्रकार है :-

1. सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी—प्रकटीकरण अपेक्षाएं (भारतीय लेखा मानक-1)

लेखांकन मानक में अपेक्षा है कि :-

- राज्य शासन, वित्त विभाग के अंतर्गत स्वीकृत, रदद और बकाया गारंटियों के डाटाबेस का रखरखाव हेतु ट्रैकिंग यूनिट की स्थापना करें।
- सरकार द्वारा निष्पादित ऐसी गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों के निर्वहन के लिए गारंटी उन्मोचन निधि का गठन करें या स्वचालित डेबिट तंत्र की स्थापना करें।
- बजट दस्तावेजों में गारंटी विवरण का प्रकटन करें।
- अन्य महत्वपूर्ण विवरण।

इन मानकों के अनुपालन में, गारंटी ट्रैकिंग का कार्य संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन ने उनके पत्र दिनांक 20 मई 2019 के द्वारा सूचित किया गया कि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश गारंटी मध्यम एवं निम्न जोखिम प्रकृति के होने के कारण गारंटी उन्मोचन निधि का गठन नहीं किया गया है तथा संस्थानों द्वारा राज्य के गठन से ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की गई थी एवं संस्थाओं से प्राप्त गारंटी प्रस्तावों के पूर्ण परीक्षण एवं वित्तीय स्थिति के आंकलन के पश्चात ही गारंटी प्रदाय किया जाता है। गारंटियों का विवरण राज्य शासन के बजट दस्तावेजों (खण्ड-5) में दर्शाया जाता है।

2. सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण (भारतीय लेखा मानक-2) : सहायता अनुदान के लेखांकन (भारतीय लेखा मानक-2) में यह अपेक्षित है कि :-

- ग्रांटर द्वारा संवितरित सहायता अनुदान को राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाना चाहिए।
- ग्रांटर द्वारा संवितरित सहायता अनुदान को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाना चाहिए।
- पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान पर व्यय को महालेखाकार की सलाह पर राज्यपाल द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकृत ना किया गया हो, पूंजीगत शीर्ष में नामे नहीं किया जाना चाहिए।
- पण के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान को ग्रांटी के वित्तीय विवरणों में उनकी प्राप्ति के समय प्रकटन किया जाना चाहिए।

इन मानकों के अनुपालन में, शासन द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान को राज्य शासन के लेखों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा संवितरित सहायता अनुदान को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2018–19 में राज्य शासन ने बजट प्रावधान कर पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान से संबंधित ₹ 1,998.74 करोड़ के व्यय को महालेखाकार के सलाह के बिना पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया। पण के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान को राज्य शासन की प्राप्तियों के रूप में नहीं दर्शाया गया है।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

3. सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमो (भारतीय लेखा मानक-3) : इस मानक में अपेक्षित समस्त प्रकटनों को वित्त लेखे में समिलित किया गया है।
- (xix) राजस्व आधिक्य एवं वित्तीय घाटे पर प्रभाव : पूर्व के अनुच्छेदों में उल्लेखित राज्य शासन के राजस्व आधिक्य एवं वित्तीय घाटे पर प्रभाव निम्नानुसार दर्शाया गया है :

राजस्व एवं वित्तीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

परिच्छेद क्रमांक	मद	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अत्युक्ति	न्यूनोक्ति	अत्युक्ति	न्यूनोक्ति
1(v)	राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान	1,998.74
1 (v)	पूंजीगत अनुभाग में दर्ज कार्यालय व्यय	0.85
1(v)	राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में दर्ज व्यवसायिक सेवाएं	3.95
1(v)	राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में दर्ज अनुरक्षण व्यय	0.21
2(iv)	लेखे में पेंशन व्यय समिलित नहीं किया जाना	399.82	399.82
3(viii) (I) (a) (i)	राज्य आपदा उन्मोचन निधि के सहायता अनुदान का स्थानांतरण नहीं किया जाना	125.10	125.10
	राज्य आपदा उन्मोचन निधि के सहायता अनुदान से संबंधित राज्य शासन का अंशदान का स्थानांतरण नहीं किया जाना	13.90	13.90
3(viii) (I) (b) (i)	निक्षेप निधि में कम अंशदान	164.54	164.54
3(viii) (I) (b)(iv)(a)	अधोसंरचना विकास उपकर का स्थानांतरण नहीं किया जाना	165.87	165.87
3(viii) (I) (b)(iv)(b)	पर्यावरण उपकर का स्थानांतरण नहीं किया जाना	165.87	165.87
3(ix)	केन्द्रीय सङ्काल निधि के सहायता अनुदान का स्थानांतरण नहीं किया जाना	14.02	14.02
3(xi)	आकस्मिकता निधि से असमायोजित अग्रिम	4.92	4.92
योग (निवल) प्रभाव		3,057.79	1,054.04

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—क
आवधिक / अन्य समायोजनों का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—1 (ii) के संदर्भ में)
(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अन्तरण		लेखाशीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
	से	को	से	को		
1.	अधोसंरचना विकास उपकर निधि	भू—राजस्व	8229—200	2029	100.00	अधोसंरचना विकास उपकर निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
		लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	8229—200	4059	4.99	
		सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8229—200	5054	81.66	
2.	विद्युत एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	विद्युत विकास निधि	2045—797	8229—110	223.00	विद्युत विकास निधि को स्थानांतरण
3.	विद्युत विकास निधि	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय	8229—110	4801	100.00	विद्युत विकास निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
		अपारंपरिक उर्जा स्रोत पर पूंजीगत व्यय	8229—110	4810	95.27	
		अपारंपरिक उर्जा स्रोत	8229—110	2810	9.80	
4.	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	निक्षेप निधि	2048—101	8222—02—101	100.00	खुले बाजार ऋण के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि
5.	ब्याज का भुगतान	सामान्य भविष्य निधि	2049—03—104	8009—01—101	488.89	सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को वार्षिक ब्याज का स्थानांतरण
6.	ब्याज का भुगतान	बीमा तथा पेंशन निधि	2049—60—701	8011—107	61.79	राज्य शासन के कर्मचारियों का समूह बीमा निधि में ब्याज का स्थानांतरण
7.	ब्याज का भुगतान	परिवार कल्याण निधि	2049—60—701	8342—120	3.88	परिवार कल्याण निधि में ब्याज का स्थानांतरण
8.	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ	अन्य विकास तथा कल्याण निधि—पेंशन निधि	2071—01—797	8229—200	22.00	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु पेंशन निधि को स्थानांतरण
9.	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि—राज्य आपदा उन्मोचन निधि	2245—05—101	8121—122	271.50	राज्य आपदा उन्मोचन निधि में केन्द्रांश एवं राज्यांश का स्थानांतरण
10.	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि—राज्य आपदा उन्मोचन निधि	2245—80—103	8121—122	49.31	राष्ट्रीय आपदा उन्मोचन निधि से सहायता अनुदान का स्थानांतरण

लेखाओं के लिए टिप्पणियों—जारी

अनुलग्नक—क
आवधिक / अन्य समायोजनों का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों—अनुच्छेद क्रमांक—1 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अन्तरण		लेखाशीर्ष		राशि	अभ्युक्ति
	से	को	से	को		
11.	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों—राज्य आपदा उन्मोचन निधि	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	8121—122	2245—05— 901	128.23	राज्य आपदा उन्मोचन निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
				2245—80— 901	5.30	
12.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	अन्य विकास निधि—वन विकास निधि	2406—01— 797	8229—200	20.23	वन विकास निधि को स्थानांतरण
13.	अन्य विकास निधि—वन विकास निधि	वानिकी तथा वन्य प्राणी	8229—200	2406—01— 902	14.05	वन विकास निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
14.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	अन्य विकास निधि—खनिज विकास निधि	2853—02— 797	8229—200	118.00	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि को स्थानांतरण
15.	अन्य विकास निधि—खनिज विकास निधि	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	8229—200	4853—01— 902	3.40	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
				6853—01— 902	82.65	
16.	सड़कें एवं पुल	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	3054—797	8449—103	200.00	केन्द्रीय सड़क निधि से स्थानांतरण
17.	केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	सड़कें एवं पुल	8449—103	5054—03— 902	251.62	केन्द्रीय सड़क निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति
18.	अन्य कल्याण निधि—पंचायत भू—राजस्व उपकर एवं स्टाम्प ड्यूटी निधि	स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	8229—200	3604—902	24.72	पंचायत भू—राजस्व, उपकर तथा स्टाम्प ड्यूटी निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—ख (i)

पूंजीगत अनुभाग में दर्ज सहायता अनुदान का विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—1 (v) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	9.39
2	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	1.39
3	4215	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	24.02
4	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	227.70
5	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	219.93
6	4403	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	5.00
7	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	498.16
8	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	230.00
9	4810	नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्रोत पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	560.26
10	5275	अन्य संचार पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	208.00
11	5425	अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	2.12
12	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	45	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	12.77
योग					1,998.74

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—ख (ii)

पूंजीगत अनुभाग में दर्ज कार्यालय व्यय का विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—1 (v) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4700	वृहद् सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.36
2	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.43
3	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	04	कार्यालय व्यय	0.06
योग					0.85

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—ख (iii)

पूंजीगत अनुभाग में दर्ज व्यवसायिक सेवा का विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—1 (v) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4700	वृहद् सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10	व्यवसायिक सेवा व्यय	0.61
2	4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	10	व्यवसायिक सेवा व्यय	3.34
कुल					3.95

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—ख (iv)

पूंजीगत अनुभाग में दर्ज अनुरक्षण कार्य का विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियों—अनुच्छेद क्रमांक—1 (v) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	नामावली	उद्देश्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	24	अनुरक्षण कार्य	0.21
				कुल	0.21

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—ग

लघुशीर्ष—800 'अन्य व्यय' के अन्तर्गत दर्ज व्यय का मुख्य शीर्षवार विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—2 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्यशीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघुशीर्ष—800 अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में दर्ज व्यय	लघुशीर्ष—800 अन्य व्यय के अन्तर्गत दर्ज व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत
1	2029	भू—राजस्व	282.87	100.00	35.35
2	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	322.21	89.41	27.75
3	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	4.65	0.84	18.06
4	2810	नवीन एवं अक्षय ऊर्जा स्त्रोत	26.25	11.81	44.99
5	2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	191.26	37.09	19.39
6	3275	अन्य संचार सेवा	50.15	50.15	100.00
7	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7.88	7.88	100.00
8	4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	20.54	3.33	16.21
9	4408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.62	0.12	19.35
10	4700	वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	635.56	501.07	78.84
11	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	65.25	48.71	74.65
12	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	130.00	100.00	76.92
13	5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	3.09	3.09	100.00

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—घ

लघुशीर्ष—800 ‘अन्य प्राप्तियों’ के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्य शीर्षवार विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—2 (ii) के संदर्भ में)

₹ करोड़ में

सरल क्रमांक	मुख्यशीर्ष	नामावली	कुल प्राप्ति	लघुशीर्ष—800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में दर्ज प्राप्ति	लघुशीर्ष—800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्ज प्राप्ति का कुल प्राप्तियों से प्रतिशत
1	0029	भू—राजस्व	487.57	93.22	19.12
2	0039	राज्य उत्पाद शुल्क	4,489.02	979.34	21.82
3	0043	विद्युत कर तथा शुल्क	1,790.27	239.29	13.37
4	0051	लोक सेवा आयोग	8.58	2.18	25.41
5	0055	पुलिस	29.18	23.44	80.33
6	0056	जेल	5.78	2.46	42.56
7	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	2.84	2.14	75.35
8	0059	लोक निर्माण कार्य	73.57	75.56	102.70*
9	0070	अन्य प्रशासनिक सेवायें	42.10	23.30	55.34
10	0071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली	23.23	7.49	32.24
11	0202	सामान्य शिक्षा	14.04	2.82	20.09
12	0210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	52.86	6.77	12.81
13	0211	परिवार कल्याण	0.07	0.07	100.00
14	0217	शहरी विकास	30.31	30.32	100.03*
15	0220	सूचना तथा प्रचार	0.33	0.33	100.00
16	0230	श्रम तथा रोजगार	26.75	10.86	40.60
17	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5.70	5.70	100.00
18	0401	फसल कृषि कर्म	25.83	16.90	65.43
19	0403	पशु पालन	6.11	2.43	39.77
20	0405	मछली पालन	5.45	2.11	38.72
21	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	236.73	92.35	39.01
22	0408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार	0.63	0.65	103.17*
23	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	1.28	1.23	96.09

(*) मुख्यशीर्ष 0059, 0217, 0408 एवं 0852 के अन्तर्गत राजस्व की वापसी के कारण लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियाँ इन शीर्षों के कुल प्राप्तियों से अधिक प्रदर्शित हो रहा हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व की वापसियों क्रमशः ₹ 3.70 करोड़, ₹ 0.02 करोड़, ₹ 0.01 करोड़ एवं ₹ 0.01 करोड़ हैं।

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—घ—समाप्त

लघुशीर्ष—800 ‘अन्य प्राप्तियों’ के अन्तर्गत दर्ज प्राप्तियों का मुख्य शीर्षवार विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—2 (ii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्यशीर्ष	नामावली	कुल प्राप्ति	लघुशीर्ष—800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में दर्ज प्राप्ति	लघुशीर्ष—800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत दर्ज प्राप्ति का कुल प्राप्तियों से प्रतिशत
24	0515	अन्य ग्राम विकास कायक्रम	4.30	1.41	32.79
25	0701	मध्यम सिंचाई	11.32	2.20	19.43
26	0702	लघु सिंचाई	164.06	164.06	100.00
27	0852	उद्योग	5.31	5.32	100.19*
28	0853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	6,110.24	883.44	14.46
29	1053	नागर विमानन	0.17	0.17	100.00

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—ड
व्यक्तिगत निष्क्रेप खाते का विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—2 (viii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	कोषालय	मुख्य शीर्ष	राशि
1	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बिलासपुर	2056	0.31
2	संयुक्त संचालक, पंचायत विकास, बिलासपुर	2235	0.08
3	जिलाधीश, (भू—अभिलेख), धमतरी	2029	0.08
4	उप जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी	2015	0.03
	योग		0.50

लेखाओं के लिए टिप्पणियों—जारी

अनुलग्नक—च

ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण
(लेखाओं के लिए टिप्पणियों—अनुच्छेद क्रमांक—३ (iii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

मुख्यशीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	नामावली	राशि
6210	03	105	अन्य विविध कर्ज	0.03
6216	02	195	महिलाओं, हरिजन सुधार गृह निर्मल निवास सहकारी समिति इत्यादि को आवासीय कालोनी के लिए कर्ज	0.02
6216	02	796	निम्न आय समूह आवास योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्ज	2.80
6216	02	800	अन्य कर्ज	0.25
6216	03	796	मध्यम आय समूह आवास योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्ज	0.18
6216	80	796	सामान्य बीमा निगम द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कर्ज	1.33
6225	01	789	सफाई करने वालों के मुक्ति और पुनर्वास के लिए योजना	0.39
6225	01	800	सफाई करने वालों के मुक्ति और पुनर्वास इत्यादि के लिए योजना	1.99
6225	02	794	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता	0.02
6225	02	796	आदिवासी किसान को कर्ज	0.05
6225	02	800	अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए ऋण	0.01
6235	01	103	गैर कृषि परिवार के लिए आवास कर्ज	0.04
6235	01	200	भूमिहीन मजदूरों इत्यादि के बसाने की योजना के तहत दिये गये कर्ज	0.01
6235	60	200	रोजगार उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज	0.81
6235	60	796	शिक्षित बेरोजगारों, अनुसूचित जनजाति कृषकों इत्यादि को कर्ज	0.09
6235	60	800	व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को कर्ज	0.06
6245	01	102	प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जल अभाव के लिये कर्ज	0.21
6250	60	800	शिक्षित बेरोजगार, कृषकों और गैर कृषकों के लिए कर्ज	0.91
6401	..	105	स्थानीय खाद संसाधन, ग्राम पंचायत, उर्वरक गोदाम के निर्माण हेतु नगर निगम को कर्ज	0.17

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—च

ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण—जारी
(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—3 (iii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

मुख्यशीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	नामावली	राशि
6401	..	110	अन्य विविध कर्ज	0.02
6401	..	195	अन्य विविध कर्ज	0.04
6401	..	796	सरकारी संयंत्र ट्रेक्टर स्टेशन आदि के तहत कर्ज	0.09
6401	..	800	भूमी सुधार ऋण अधिनियम, उन्नत बीज का वितरण के लिए कर्ज	6.59
6402	..	102	भूमी सुधार ऋण अधिनियम	1.36
6402	..	796	आकृति निर्माण, राष्ट्रीय जल अधिग्रहण योजना हेतु कर्ज	3.47
6402	..	800	सिंचाई के क्षेत्र में लघु नहर का निर्माण एवं नये कुंआ का निर्माण हेतु कर्ज	0.01
6403	..	102	अन्य विविध कर्ज	0.01
6403	..	103	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी मुर्गी पालन परिसंघ, चयनित प्राइवेट कुक्कट पालकों को जल पोल्ट्री का विस्तार हेतु कर्ज	0.25
6408	01	796	गोदाम ग्रिड का निर्माण, मोबाइल उचित मूल्य की दुकान आदि को कर्ज	0.59
6408	02	195	शीत भण्डार संयंत्र की स्थापना के लिये सहकारी समितियों एवं तेल बीज खरीदी के लिए विपणन समितियाँ, सहकारी समितियाँ को कर्ज	0.42
6425	..	108	संसाधन इकाइयों की स्थापना, शीत भण्डारों की स्थापना, चावल मिलों को सीमांत कर्ज	1.16
6425	..	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	8.26
6425	..	800	हरिजन कृषकों, मछुआरा सहकारी समितियों आदि को कर्ज	0.01
6435	01	101	अन्य विविध कर्ज	0.02
6435	01	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.01
6515	..	102	सामुदायिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण करने हेतु कर्ज	0.20
6515	..	103	लोकोपयोगी निर्माण कार्यों, कोन्टूर निर्माण के लिये पंचायतों आदि को कर्ज	0.38
6702	..	796	नये कुओं के निर्माण और पुराने कुओं की मरम्मत, पंप सेट की स्थापना आदि के लिए कर्ज	0.07

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—जारी

अनुलग्नक—च

ऋण जिसका अपलेखन किया जाना है का विस्तृत विवरण—समाप्त
 (लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—3 (iii) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

मुख्यशीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	नामावली	राशि
6702	..	800	भूमि सुधार अधिनियम, कृषि ऋण अधिनियम, इत्यादि के अन्तर्गत कर्ज	0.05
6705	..	800	केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत एकीकृत डेअरी एवं कृषि विकास के लिए कर्ज	0.05
6851	..	109	संसाधन ईकाईयों की स्थापना, हथकरघे का बिजली करघे में परिवर्तन, बुनाई उपकरणों की आपूर्ति आदि हेतु प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को कर्ज	0.38
6851	..	200	जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना के लिये कर्ज	0.21
6851	..	796	लघु वनोपज बीज को संग्रहित करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य आदिवासी विकास परिसंघ को ऋण, हाथकरघा मशीनों के विकास, हथकरघा बोर्ड, राज्य खादी बोर्ड इत्यादि को ऋण	0.49
6853	01	190	मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम को कर्ज	0.01
6860	01	190	परियोजना पैकेज, हथकरघा इकाई आदि की स्थापना के लिए कर्ज	0.06
6860	01	796	परियोजना पैकेज के लिए कर्ज	0.11
6860	03	800	चमड़ा विकास निगम को कर्ज	0.02
6860	04	190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	0.38
6885	01	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	1.64
6885	01	800	अन्य कर्ज	0.17
6885	60	190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	0.60
6885	60	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत कर्ज	0.54
6885	60	800	नये उद्योगों आदि को ऋण	3.48
योग				40.52

लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—समाप्त

अनुलग्नक—छ

मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष का विवरण

(लेखाओं के लिए टिप्पणियाँ—अनुच्छेद क्रमांक—३ (v) के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

लेखों का शीर्ष	2016–17		2017–18		2018–19	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658—101 वेतन एवं लेखा कार्यालय—उचंत	48.21	0.44	54.38	0.14	52.55	18.83
निवल	नामे 47.77		नामे 54.24		नामे 33.72	
8658—102—उचंत लेखा (सिविल)	2.20	0.16	19.26	0.98	32.44	0.17
निवल	नामे 2.04		नामे 18.28		नामे 32.27	
8658—109—रिजर्व बैंक उचन्त—मुख्यालय	(-) 0.37	(-) 3.08	(-)0.67	(-)0.08	2.61	3.02
निवल	नामे 2.71		जमा 0.59		जमा 0.41	
8658—110—रिजर्व बैंक उचन्त—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	0.73	0.15	0.14	0.00	1.72	0.00
निवल	नामे 0.58		नामे 0.14		नामे 1.72	
8658—129—सामग्री क्रय समाशोधन उचंत लेखा	0.00	87.29	0.00	85.40	0.00	84.11
निवल	जमा 87.29		जमा 85.40		जमा 84.11	
8782—102—लोक निर्माण प्रेषण	29.92	22.45	18.29	11.50	112.34	9.13
निवल	नामे 7.47		नामे 6.79		नामे 103.21	
8782—103—वन प्रेषण	12.14	0.33	10.84	7.11	37.83	5.22
निवल	नामे 11.81		नामे 3.73		नामे 32.61	

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2020
www.cag.gov.in



agchattisgarh@cag.gov.in